हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

13 मार्च, 2008

खण्ड, अंक—5

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 13 मार्च, 2008

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5) 1
कमेटी का गठन	(5) 4
ताराकिंत प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(5) 5

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नो के लिखित उत्तर	(5)21
अतांराकित प्रश्न एवं उत्तर	(5) 35
अनुपस्थिति के बारे मे सूचना	(5) 36
अनुपस्थिति की अनुमति	(5) 36
ध्यानाकर्षण प्रस्तावो की सूचनाए	(5)36
डी०ए०वी० कालेज सढौरा के छात्रो का अभिनंदन	(5)38
आगरा नहर के प्रशासनिक नियंत्रण सम्बन्धी गैर सरकारी संकल्प	(5)74
बैठक का समय बढाना	
आगरा नहर के प्रशासानिक निएयंत्रण सम्बंधी गैर सरकारी संकल्प	
अनैक्चर	(3)78

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 13 मार्च, 2008

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर, चण्डीगढ मे प्रात 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री रघुवीर सिह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सवाल जवाब होगे।

Loans to the Farmers and Traders

***853. Shri Randhir Singh :** Will be the Cooperation Minister be pleased to state—

(a) the types of loans which are made available to the fanners and traders by the Cooperative Apex Bank togetherwith the scheme under which these loans are given ; and

(b) the scheme under which the minimum and maximum loan amount is made available by the abovesaid Bank ?

Agriculture Minister (Sardar H.S. Chatha) : Sir,

(a) The statement regarding types of loans together with the schemes which

are made available to the farmers and traders by the Central Cooperative Banks are given as under :—

Sr.	No. Name of Scheme	Types of loans
1.	Kisan Credit Card Scheme	Under this scheme, crop loan with a maximum credit limit of Rs. 1,00,000/-(Rs. 75,000/- Cash Component+ Rs. 25, 000/- Kind Component) is provided to the farmers for raising of crops through Primary Agriculture Cooperative Societies without collateral security.
2.	Revolving Cash Credit Scheme	Besides crop loan progressive farmers can avail a credit limit up to Rs. 5.00 Lacs against collateral security to meet their socio- economic requirements through District Central Cooperative Banks.
3.	Scheme for Purchase of land	Under this scheme small and marginal farmers can avail loan for purchase of land up to 5 acres non-irrigated or 2.5 irrigated acres with 10% margin.
4.	Scheme for financing to farmers for two wheelers	Under this scheme, loan equal to 75% of the cost of vehicle is being provided to the farmers by the District Central Cooperative Banks.
5.	Medium Term loan sponsored scheme	Under this scheme loans are being advanced to the farmers for purchase of bullocks, carts, buffaloes, buggy, cross breed cows, sheep, goats etc. as per scale offinance fixed by District Rural

		Development Agency (DRDA) or as per economic unit.
6.	Cash Credit facility to businessmen/traders	Under this scheme, cash credit limit up to Rs. 5.00 lacs is being provided by the District Central Cooperative Banks to businessmen/traders against collateral or hypothecation of stock in trade.

(b) The minimum and maximum amount of loan under the above schemes made available by the District Central Coop. Banks is as under

Sr.	No. Name of the Scheme	Minimum/Maximum loan amount
1.	Kisan Credit Card Scheme —	Amount of loans is worked out on the basis of farmer's land holding crops raised by him and prevailing scales of finance with a maximum loan up to Rs. 1.00 lac.
2.	Revolving Cash Credit Scheme	The maximum amount of loan under this scheme is up to Rs. 5.00 lacs.
3.	Scheme for purchase of land	The maximum amount of laon under this scheme is equal to 90% of the cost of land to be purchased by the fanner.
4.	Scheme for financing to farmers	The maximum amount of loan under this scheme is equal to 75% of the cost of

	for two wheelers	vehicle to be purchase by the fanner.
5.	Medium Term loan sponsored scheme	The amount of loan is beng determined on the basis of assets like bullocks, carts, buffaloes, buggy, cross breed cows etc. to be purchased by the borrower as per scale of finance fixed by District Rural Development Agency (DRDA).
6.	Cash Credit facility to businessmen/trader s	The maximum amount of limit is Rs. 5.00 lacs.

श्री रणधीर सिंहः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन स्कीम्स का मंत्री जी ने ब्यौरा दिया है इनके तहत हमारे किसान भाई रजिस्ट्री पंच करवा देते हैं और उनको लोन मिलने में 3–3, 4–4 महीने का समय लग जाता है। इसमें करप्शन भी फैलती है और किसानों को जिस समय पैसा चाहिए होता है उस समय उनको पैसा नहीं मिलता है। क्या मंत्री जी इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे?

सरदार० एस० चट्ठाः स्पीकर सर, 250 एकड उपजाऊ भूमि और 5 एकड़ अनउपजाऊ भूमि तक लोन दिया जाता है। लोन देने का जो प्रोसीजर है वह तो एडोप्ट करना ही पडेगा। जमीन पर पहले कर्ज लिया हुआ है या नहीं लिया इसका सर्टीफिकेट देना पडता है। उसके बाद लोनिग मे कोई देरी नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, यदि मेरे माननीय साथी की जानकारी में

कोई स्पेसीफिक इंराटांस है तो उसके बारे में वे मुझे बता दें, हम अवश्य इन्क्वायरी करवायेंगे। इसके साथ–साथ मैं सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि यदि कहीं से कोई शिकायत आती है तो उसके बारे मे वे हमे बतायें, हम अवश्य हल करेगे।

श्री रणधीर सिंहः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की जानकारी मे लाना चाहूंगा कि इन्हीं केसिज के तहत उचाना के घासों गांव में 6 करोड़ रुपये का एम्बैजलमैंट हुआ है। वहां पर एक किसान को 3.25 लाख रुपये में से केवल 1 .25 लाख रुपये ही दिए गए। इसी तरह से मेरे हल्के के गांव मतलोडा में कोपरेटिव सोसायटीज में 72 लाख रूपये का एम्बैजलमैंट हुआ और जिस अधिकारी ने एम्बैजलमैंट किया था उसी अधिकारी को वहीं पर दोबारा सर्विस में रख लिया। इसी तरह से कैरोडी गांव मे एक करोड़ रुपये का एम्बैजलमैंट हुआ है। घांसो और काकरोड गांवों की कोपरेटिव ब्रांचिज की इन्क्वायरी हो रही है। क्या इन दो केसिज में जिनमें उन कर्मचारियों को जिनको वापिस लिया गया है उनकी दोबारा इन्क्वायरी करवाकर मंत्री जी उनके खिलाफ क्रिमीनल केस दर्ज करवायेंगे।

सरदार एच०एस० चट्ठाः अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी इस बारे मे मुझे लिखकर दे दें, हम इस पर अवश्य कार्यवाही करवायेगे।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने माननीय साथी के प्रश्न के जवाब में कोआपरेटिव लोन की विभिन्न स्कीम्ज के बारे मे और जिस प्रकार से हम लोन देते हैं उस बारे में जानकारी दी है और उन पर चर्चा भी हुई है। अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए इण्डियन नैशनल लोक दल के नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि उनके पिता के समय में कई हजारों करोड रुपये के कर्जे माफ किए गए और उन्होने कई हजारो करोड़ रुपये की फिगर्ज भी सदन में पेश की थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि उनका यह क्लेम सरासर झूठा था। उन्होंने इस सदन को गुमराह किया है। उन्होंने इस सदन के अंदर झूठ और असत्य बोला और सदन को तथा इस सदन के सदस्यों को अपनी पूरी चर्चा में गुमराह करने का एक प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास अब सारे आकड़े मौजूद है। 1987–88 में जो इन्ट्रक्ट लोन वेवर स्कीम चौधरी देवी लाल की सरकार ने लागू की थी, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उस समय उस स्कीम के तहत कुल 33 करोड़, 64 लाख और 27 हजार रुपये का लाभ लोगो को दिया गया था न कि कई हजार करोड़ रुपये का। श्री चौटाला जी झूठ बोल रहे थे। इसमें 3,94,582 लोगों का 26 करोड़ 67 लाख रुपये का और 8544 लीग टर्म लोनज में 7 करोड 64 लाख यानि कि कुल मात्र 33 करोड़ 64 लाख रुपये माफ हुए। जबकि वे कल यहां सदन में झूठ बोल कर चले गये।

श्री अध्यक्षः पलाका साहब, क्या आप इस बारे में कुछ बताना चाहेगे जो कल श्री ओम प्रकाश चौटाला असत्य बोल कर चले गये। क्या यह सही है कि जो पार्लियामैट्री अफेयरस मिनिस्टर बता रहे हैं इतना ही लोन माफ हुआ है ?

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः स्पीकर सर, हमने इस बारे मे आकडे दिये है।

श्री अध्यक्षः पलाका जी, आकडो मे ही असत्य बोला गया था। श्री ओम प्रकाश चौटाला यह भी कह रहे थे कि हजारो करोड़ रुपये के ऋण माफ हुए हैं।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः अध्यक्ष .महोदय, हमने सदन मे आकडे दिए हैं हम उसी के आधार पर ही बोल रहे थे। हम आपको भी लिखित में आकडे दे देंगे और मंत्री जी को भी लिखित मे आकड़े दे देंगे। श्री अध्यक्ष पलाका जी, आकड़ें तो विधान सभा मे दिये जा चुके है उनके बारे में लिखित मे देने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः कल हमारे नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो आकड़े दिये थे वे सारे देश के लोगों के कर्जे के बारे मे थे। कांग्रेस के एक सांसद ने सवाल पूछा था और उसका जवाब उस समय के मन्त्री जी ने दिया था।

श्री अध्यक्षः पलाका साहब, वह तो बाहर की बात हे। इस सदन मे हरियाणा प्रदेश के कितने कर्जे माफ हुए वह रिकार्ड

संसदीय कार्य मंत्री ने दिया है। संसदीय कार्य मंत्री उन्हीं आकडों की ही बात कर रहे हैं। मंत्री जी जो आकडे बता रहे है इनका कहना है कि ये ही लोन माफ हुए है। इनका यह भी कहना है कि जो श्री ओम प्रकाश चौटाला द्वारा आकडे दिए गए हैं वे असात्य हैं और इसके आधार पर उनके खिलाफ हाऊस कार्यवाही करे। आप या तो यह कहो कि जो असत्य बोल रहा है उसके खिलाफ हाऊस सदन की मान–मर्यादा के उल्लंघन का मोशन लेकर आये। कल श्री ओम प्रकाश चौटाला ने जो फीगर्ज बताई थी उन फीगर्ज की एवज मे पार्लियामैंट्री अफेयर मिनिस्टर दूसरी फीगर्ज बता रहे हें। पलाका जी, क्या आप और आपके साथी इस बात से एग्री करते हो कि जो असत्य बोल रहा है उसके खिलाफ हाऊस की मान–मर्यादा का उल्लंघन करने का प्रस्ताव लाया जाये, आप इस बारे में बताये।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः स्पीकर सर,....

श्री अध्यक्षः पलाका साहब, आप बैठे। Now next question please.

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर सर, पहले आप इस बारे मे कोई फैसला करे।

कमेटी का गठन

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिह सुरजेवाला): स्पीकर सर, मेरा आपसे अनुरोध है कि या तो श्री चौटाला जी झूठ बोल रहे हैं

या फिर सरकार की तरफ से कुछ गलत बात कही जा रही है। अगर पलाका साहब यह मानते हें कि ये आकड़े सच है तो हाऊस की एक? कमेटी बना दी जाये जो यह जांच करे कि जो आकड़े श्री चौटाला जी ने दिए है वे गलत है या सरकार द्वारा इस बारे मे जो बयान दिया गया है वह गलत है। जांच के दौरान अगर यह पाया जाये कि श्री चौटाला ने झूठ बोला है तो उनके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आये और अगर मुझे गलत पाया जाये तो मेरे खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज लाया जाये। दोनो में से एक को तो सजा होनी ही चाहिए।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): स्पीकर सर, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है श्री चौटाला ने कल यह भी कहा था कि वे हरियाणा की तरफ से प्रेजिडेशियल रैफ्रेस के लिए सुप्रीम कोर्ट मे गये थे यह भी असत्य है। ऐसी बहुत सारी बाते कल उन्होने कही। यहा पर अगर कोई व्यक्ति ऑन रिकार्ड कोई बात कहता है तो उसे असत्य बात नहीं कहनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर वे कोई बात करे तो उनको सत्य बोलना चाहिए। जो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रेजिडेशियल रैफ्रैंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई थी ऐसी बात नहीं है इसके लिए यू०पी०ए० की गवर्नमैंट गई थी। इस बारे मे मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बारे में आप यहा रूलिग दें कि जो व्यक्ति जीरो ऑवर मे गलत किस्म की बात कहते है और जो गलत तथ्य उठाते हैं इसके लिए उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, अगर आप सभी यह चाहते हैं कि इसके लिए हाऊस की एक कमेटी बनाई जाये जो इन तथ्यों की सत्यता का पता लगाये। मैं श्री मांगे राम गुप्ता, जो कि हरियाणा के वित्त मंत्री भी रहे हैं, की अध्यक्षता में एक? कमेटी बनाता हूं। श्री ईश्वर सिंह पलाका को भी उसका मैम्बर बनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त श्री फूल चन्द मुलाना, श्री करण सिंह दलाल, बहुजन समाज पार्टी के श्री अरजन सिंह और निर्दलीय सदस्य श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान भी उस कमेटी के सदस्य होंगे।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Grant of sanction for prosecution of public servants

***881. Shri Karan Singh Dalal. @Shri S.S. Surjewala :** Will the Chief Minister be pleased to state–

(a) whether the State Government has received any request from S.P. Central Bureau of Investigation for grant of sanction to prosecute the public servants in case No. RC 3 (A) /04/ACU-9 under sections 120B/ R/W 420, 467, 468 and 471 IPC and B (1) R/W 13(1)(D) of PC Act 1988 registered against the officials of Haryana Government or against Ex-Chief Minister in the recruitment of J. B .T. teachers in the year 2000 in Haryana Government;

(b) if so, the contents of the grounds of seeking sanction to prosecute the public servants alongwith the names of such public servants; and

(c) the action taken by the Govt. on the request of

C.B. I. in (a) above alongwith the fate of *the* J.B.T. teachers who were fraudulently appointed and the J.B.T. teachers who were genuinely selected but denied appointment ?

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) :

(a) Yes, Sir,

(b) The Central Bureau of Investigation (CBI) has sought sanction from the State Government to prosecute the following public servants in case No. RC. 3(A)/04/ACU.IX for hatching a conspiracy to tamper the merit lists of the candidates aspiring for selection as J.B.T. teachers and replacing the same with forged list in order to favour certain candidates and appointing them as J.B .T. teachers on the basis of the said forged merit list :—

Sr. No.	Name & Designation of Chairperson & Members of District Level Selection Committees.	Name of District
1.	Ms. Vinod Kumari, Member the then Principal Govt. Girls Senior Secondary School, Bhiwani	Bhiwani
2.	Smt. Kanta Sharma, Chairperson, the then District Primary Education Officer, Jhajjar Haryana	Fatehabad
3.	Shri Anar Singh, Member the then Deputy District Education Officer, Jbajjar	Jhajjar

4.	Shri Mahavir Singh Lather, Member tie then Block Education Officer, Julala District, Jind	Kaithal
5.	Shri Ram Kumar, Member the den Block Education Officer Kalayat-Kaithal	Kaithal
6.	Shri Bani Singh Member Principl at Satnali, District Mahendergarh Haryana From Jay 1988 to 1-2-2002	Mahendergarh
7.	Shri O.P. Tiwari, Member the then Deputy District Education Officer, Sirsa, Haryana	Sirsa
8.	Shri Rajender Pal Singh, Chairnan the then District Primary' Education Officer, Yamuna.Nagar, Haryana	Yamuna Nagar

(c) Sanction to prosecute above mentioned eight officers/officials of the Education Department has been accorded and conveyed to the C.B.I. in so far as the fate of the J.B.T. teachers who are alleged to have been fraudulently appointed and the J.B.T. teachers who were genuinely selected but denied appointment would depend on the outcome of the petitions pending before the Hon'ble Supreme Court of India for adjudication.

श्री एस०एस० सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जे०बी०टी० के रो जो सलैक्शन हुए थे इसके लिए क्या प्रोसीजर एडॉप्ट किया गया था ? क्या ये सलैक्शन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने

की थी या कोई विभागीय कमेटी थी, यदि कोई कमेटी थी तो उस कमेटी के सदस्य और अध्यक्ष कौन थे यह भी बताया जाये 9

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, ये 3206 जे०बी०टी० टीचर्ज की सलैक्शन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के प्रव्यू से बाहर निकाल ली थी। उसके बाद डिपार्टमैटल सलैक्शन कमेटी द्वारा यह भर्ती की गई थी। यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और कोर्ट ने पाया कि इन सारी भर्तियों के अन्दर भारी अनियमितताएं बरती गई थी। इसमें श्री ओमप्रकाश चौटाला, उनके बेटे श्री अजय चौटाला, उनके उस समय के विशेष कार्य अधिकारी श्री विद्याधर तथा बहुत सारे और अधिकारियों का नाम आया था। उसमें यह भी पाया गया कि किस प्रकार जो लोग योग्यता के आधार पर चुने गये उनको ताक पर रख दिया और वे सारी लिस्टे श्री चौटाला जी और उनके बेटो द्वारा बदल दी गई। यह सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने सी०बी०आई० को इन्क्वायरी दो हे। उस इन्क्वायरी में यह सब बाते सच पाई हैं।

श्री एस० एस० सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता था कि इन रनलैक्शन्ज के लिए जो कमेटी बनी थी उनके अध्यक्ष और सदस्य कौन थे ? इस मामले मे जो पोलिटिकल आदमी और कुछ सीनियर आफिसर्ज शामिल हैं क्या उनके खिलाफ भी एफ०आई०आर० रजिस्टर कर रहे हैं और क्या हरियाणा सरकार

ने या स्वीकर साहब ने उनकी अनुमति प्रदान कर दी है क्योंकि श्री ओमप्रकाश चौटाला जी भी इस हाउस के मैम्बर हैं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, अलग–अलग जिलों के डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर इस सलैक्शन कमेटी के अध्यक्ष थे। दूसरी बात माननीय सदस्य ने एफ०आई०आर० की पूछी है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मै आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि एफ०आई०आर० दर्ज हुई है जिसका नम्बर है RC3(A)/04/ACU-IX under sections 120B/R/W 420, 467, 468 and 471 IPC and B (L) R/W 13(1) (D) of PC Act 1988. इस सारे मामले की जाँच सी०बी०आई० के द्वारा की गई उसमें पाया गया कि श्री ओमप्रकाश चौटाला पूर्व मुख्य मंत्री, श्री अजय चौटाला, श्री शेर सिंह बडशामी राजनैतिक सलाहकार, श्री विद्याधर (आई०ए०एस०) आफिसर औन स्पैशल डयूटी, 57 ऐजुकेशन डिपार्टमैंट के अधिकारी, Chairpersons and Members of the 18 District Level Committees और श्री संजीव कुमार आई०ए०एस०, इन सब लोगों को दोषी पाया गया है ओर इस समय उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रहो है। हरियाणा सरकार की तरफ से इन सब अधिकारियों को प्रोसिक्यूशन के लिए हमने मन्जूरी दे दी है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक आई०ए०एस० अधिकारियो का सवाल है, इनकी प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन भारत सरकार ने देनी है इस बारे में हमने अपनी रिक्मैंडेशन भेज दी हैं।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, यह सवाल माननीय श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला तथा मैंने दिया है। माननीय मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है उसमे (c) के जवाब मे इन्होंने कहा है:

"In so far as the fate of JBT teachers who are alleged to have been fraudulently appointed and the JBT teachers who were genuinely selected but denied appointment would depend on the outcome of the petitions pending before the Hon' ble Supreme Court for adjudication."

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इसमें कौन–कौन सी पैटीशन्ज इस समय पड़ी हुई हैं, उनके टाईटल क्या हैं और कौन–कौन सी पेंटीशन्ज हैं। स्पीकर सर, संजीव कुमार वर्सिज स्टेट ऑफ हरियाणा एण्ड अदर्ज में सुप्रीम कोर्ट ने सी०बी०ई० परोब का हुक्म दिया उसी जजमैंट मे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो आदेश दिए थे आपकी इजाजत से मैं वह पढ़ कर सुना देता हूं।

In case titled Sanjiv Kumar v/s State of Haryana and others, Writ petition (Crl.) No. 93 of 2003, decided on November 25, 2003, it has been mentioned—

"The result of the inquiry would depend on the fate of these two sets of persons ? It is only one set of persons which would be found to be genuine and hence entitled to hold the posts of teachers and the persons from the list, if found to be false, shall have to make room for the others."

स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्ट के आर्डरज स्पष्ट हैं कि सी०बी०आई० की इन्क्वायरी आएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने माना है कि वह इन्क्वायरी आ गई है कि किस तरीके से इस प्रदेश के पूर्व मुख्य मन्त्री ने प्रदेश के लोगो को शर्मसार किया है। शिक्षा जैसे विभाग में पैसे ले कर अध्यापकों की भर्ती की और योग्य अध्यापकों को दरकिनार करके अपने चहेतों को, न सिर्फ हरियाणा से बल्कि यू०पी० और दूसरे प्रदेशों से भर्ती किया, जहां पर ये राजनीति करने में लगे हुए थे। अध्यक्ष महोदय, अगर जांच की जाए तो उनमें से कई लोगो के सर्टिफिकेट भी नकली पाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं .आपकी मार्फत माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ऑलरैडी आया हुआ है उसके अनुसार क्या इन तीन हजार जे०बी०टी० टीचर्ज को हटाकर उन बेसहारा लोगो को रोजगार देंगे, जो इसके हकदार है। अध्यक्ष महोदय, हमें यह कहते हुए भी शर्म आती है कि उनमें से कई जे०बी०टी० टीचर्ज रिक्शा चलाने अथवा मजदूरी करने का काम कर रहे हैं क्योंकि इन नौकरियों पर उनका हक होते हुए भी उनको नौकरियां नहीं दी गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन योग्य उम्मीदवारों को नौकरियो मे लगाएंगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब सी०बी०आई० परोब पूरी कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी आ चुका है तो इन लोगों पर केवल मुकद्दमे बनाना नाकाफी होगा। क्या मन्त्री जी इस बात की कोई व्यवस्था करेंगे कि जो तनखाह इन अध्यापको ने ली है वह तनखाह इन मुलजिमों श्री

ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे श्री अजय चौटाला और जिन अधिकारियो के नाम इन्होने लिये हैं उनसे वसूली जाए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा (विघ्न)

श्री ईश्वर सिंह पलाका: अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: पलाका साहब, मन्त्री जी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब सुन लिजिए उसके बाद आपको बोलने का समय दिया जाएगा। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बैठेंगे तो मैं जवाब दूंगा।

श्री ईश्वर सिंह पलाका: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि वे लोग रिक्शा चला रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं। अच्छा विद्वान व्यक्ति होते हुए भी अगर किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला और वह रिक्शा चला रहा है तो इसमे क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष: पलाका साहब, आप अपनी सीट पर बैठें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे थे। इनका पहला प्रश्न था कि इन्होंने कोर्ट के आर्डर को कोट करके कहा है कि इस इन्क्रवायरी के फेट

पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है क्या उसके बाद पहले वाली सिलैक्शन लिस्ट, जो जैनुअन सिलैक्शन लिस्ट है, वह रहेगी या जो लोग लगे हुए हैं वे ही लगे रहेगे, सरकार इस बारे मै क्या निर्णय लेगी। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी इन्कवायरी हो कर आई है और हमें हाल ही में इसकी रिपोर्ट मिली है, हम इसको स्टडी करवा रहे हैं। इस इन्कवायरी रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आडर्ज दोनो को स्टडी करके, मैं सदन को एश्योर करता हूं कि within next three months, we will take a decision on this issue. Secondly, the Hon'ble Member has asked whether the salary will be recovered from the guilty persons or not ? अध्यक्ष महोदय, जब सरकार अगले 3 महीनो में इस बारे मे निर्णय कर लेगी और जो कान्सीक्वैसीज होंगे, आप समझते हैं they will naturally follow. तीसरी, बात इन्होंने कही है कि उनमें से कई लोगों के सर्टिफिकेट नकली हैं और क्या गवर्नमैंट पहले उनकी जांच करवाएगी? अध्यक्ष महोदय, हालांकि इस बारे में सी०बी०आई० की इन्क्रवायरी हो चुकी है और अगर 3 महीने में हम किसी निर्णय पर पहुंच गए तो फिर शायद सर्टिफिकेट्स की जांच करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। परन्तु हमारी सरकार उन सभी व्यक्तियो की जो जे०बी०टी० की पोस्ट पर उस पीरियड में लगे थे, अगले 6 महीनों में उनके सर्टिफिकेट्स की वेरासिटी और अथैन्टिसीटी की भी जॉच करवाएगी।

श्री एस० एस० सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि उन पोलिटिकल लोगो के खिलाफ जिसमें ओम

प्रकाश चौटाला और उनके साथी शामिल हैं क्या उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर दिए गए हैं और अगर कर दिए गए हैं तो क्या उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है ? इस बारे मे अब क्या सिचुएशन है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह केस स्टेट पुलिस से जुडा हुआ नहीं है। लेकिन हमारे पास इस बारे में इन्फर्मेशन है जैसा मैंने माननीय सदस्य को बताया कि प्रिलिमिनरी इन्कवायरी इस केस में सी०बी०आई० ने 12–12–2003 को दर्ज की थी और रैगुलर केस प्रिवैशन ऑफ क्रप्शन एक्ट के तहत 24–5–2004 को दूसरी धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। इसमे सी०बी०आई० की इन्वैस्टीगेशन रिपोर्ट आ गई है। उससे स्पष्ट है कि जिनके नाम मैंने पहले भी माननीय सदस्यो को पढ़कर सुना दिए हैं, वे लोग उसमें संलिप्त हैं। उनमें ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय सिंह चौटाला, उनके पोलिटिकल एडवाईजर शेर सिंह बडसामी, ओ०एस०डी० श्री विद्याधर और अन्य अधिकारी हैं। अध्यक्ष महोदय, इन नामो की बहुत लम्बी लिस्ट है। सी०बी०आई० के पास यह रिपोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लम्बित है। सी०बी०आई० अवश्य इस रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कापी है। यह कापी संजीव कुमार वर्सिज स्टेट

ऑफ हरियाणा एंड अदर्ज की है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस हुक्म की कापी सदन की पटल पर रखना चाहता हूं। So that it can become the part of the proceedings of the House and the concerned department can pursue the matter. It is a matter of record. **It** is the judgment of Supreme Court.

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, we also have the copy of this report फिर भी सम्मानित सदस्य इसे सदन के पटल पर रखना चाहते है तो we have no objection. Dalal ji, you can place it on the table of the House.

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, if, you allow me, place a copy of this judgment on the table of the House. अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमैंटरी यह है कि सी०बी०आई० ने जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की है, यह देश में अपनी तरह की अनोखी सी०बी०आई० की जांच हुई है। इसकी निगरानी स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने की है। सी०बी०आई० ने भरसक प्रयास किए और मेरे घर पर भी रेड की लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मेरा कहना है कि सी०बी०आई० ने यह इन्क्रवायरी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की है और इसमें वे लोग शामिल हैं जो०चे पदों पर बैठने से पहले ईश्वर, अल्लाह का नाम लेकर शपथ लेते हैं, व्यवस्था की शपथ लेते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं करेगे, दुर्भावना के साथ काम नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश का एक अनपढ मुख्य मंत्री जिसने सारे प्रदेश के कायदे कानून दो ताक पर रख कर, न सिर्फ नए बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है बल्कि जो हरियाणा के छोटे बच्चों की पंजीरी है, जिन बच्चों ने

जे०बी०टी० के अध्यापकों से शिक्षा के प्रथम अध्यायो को सीखना था उनके भविष्य के साथ खिलवाड किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इथिक्स कमेटी पार्लियासैंट में भी है और हमारे यहां पर भी अभी-अभी बनाई गई है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इथिक स कमेटी में इस पूर्व मुख्य मंत्री का आचरण हमे इस बात के लिए आमन्त्रण नहीं देता है कि उनके आचरण का मामला इथिक्स कमेटी को भेज दिया जाए और वह कमेटी देखे कि क्या इनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है या नहीं ताकि हरियाणा और पूरे देश के लोगों को पता लगे कि संवैधानिक पदो पर बैठकर अगर हम बच्चो के भविष्य के साथ खिलवाड करेंगे तो उनके साथ कानून तो कार्यवाही करेगा ही। ऐसी सर्वोच्च संस्थाएं जैसे आप अध्यक्ष के पद पर विराजमान हैं और हम सब लोग यहां लोगों की दुख और तकलीफो को दूर करने के लिए आते हैं हमे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लेकिन जो लोग अगर यहां बैठकर लोगो के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं जैसे कि श्री ओम प्रकाश चौटाला जैसे सदस्य क्या उनकी सदस्यता प्रिविलेज कमेटी या इथिक्स कमेटी के द्वारा या विधान सभा के हमारे जो नये कानून हैं उनके दायरे में लाकर समाप्त करने के लिए प्रयास करेंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता और भावना दोनो से अपने आपको जोड़ता हूं।

स्पीकर साहब, शिक्षा और खास तौर से प्राईमरी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कृषि और शिक्षा दोनों आपके स्वय के बहुत नजदीक हैं। स्पीकर साहब, इस प्रकार की दुर्दशा शाक्त ही पूरे देश मे, आजाद हिन्दुस्तान में किसी ने की होगी जैसी जे०बी०टी० के सिलैक्शन में श्री ओम प्रकाश चौटाला और उनकी सरकार ने की है। इनकी वह सारी बाते, सारे कच्चे चिट्ठे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय केदिशा निर्देश के बाद गठित की गयी जांच में खुले हैं, यह जगजाहिर हैं, सर्वविदित है। यह भी सच है कि सत्ता मे सबसे०ंची कुर्सियो पर बैठकर जो राजनेता देश के भविष्य, देश की अगली पीढी के साथ इस प्रकार का घोर अन्याय करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको जनता कभी माफ करेगी, देश का कानून तो माफ करेगा नहीं, देश का कानून तो अपनी प्रक्रिया लेगा ही। स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने मोरल और एथिकल इशु उठाए हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि जहां तक कानूनी और संवैधानिक कार्यवाही करने की बात है, वह हम कर रहे हैं और as far as Ethics Committee is concerned, to my knowledge there is no such committee in this legislature. However, I will request the Hon'ble member कि अगर वह जो भी ऐप्रोप्रिएट मोशन लेकर आएंगे तो इस घोटाले को उजागर करने में सरकार का रवैया पूर्णतः पारदर्शित रहेगा। हम केवल न्याय और सच के साथ हैं। मुख्य गंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडा का नीतिगत निर्णय इस मामले मे है कि दोषी कोई भी हो, कितने भी बडे पद पर आसीन हो उसके खिलाफ कानून पूरी सख्ती से निपटेगा। अध्यक्ष महोदय, हम

गरीब से गरीब आदमी को सम्पूर्ण न्याय दिलवाएंगे, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर इस मामले पर आप आधे घंटे की डिसकशन करवा लेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री अध्यक्षः आप क्वैश्चन ऑवर खत्म होने के बाद इस बारे में अपना नोटिस दे सकते है।

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन साल में इस बात पर बहुत बहस हुई कि पिछली सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त थी उस सरकार के नजदीकी लोग भ्रष्टाचार मे संलिप्त थे तथा उस समय की सरकार ने हरियाणा के सभी वर्गो के लोगो पर, राजनीतिक लोगो पर झूठे मुकदमे बनाए। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या पिछले तीन साल मे उनके नजनीकी लोगो पर इस बारे में कोई कार्यवाही हुई है, क्या उनके व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इनका प्रश्न जे०बी०टी० सिलैक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है यह एक पृथक प्रश्न है लेकिन मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कल भी एक सवाल के जवाब मे मैंने इसकी पूरी जानकारी देते हुए बताया था कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को हरियाणा सरकार ने

नीतिगत निर्णय लेकर सारे मामले को जांच के लिए भेज दिया था। यह जांच इस समय उनके पास विचाराधीन है। जो जांच विजीलैंस के पास है उसके बारे मे मैंने हाउस के फ्लोर पर कल ऐश्योरैंस दी थी कि जून, 2009 तक एनमिल हसबैंडरी डिपार्टमैंट में हुए स्कैम की जांच पूरी करके हम रिपोर्ट दे देगे। इसके अलावा 37 और जांच हैं, वह भी विजीलैंस के पास इस समय विचाराधीन हैं और बहुत जल्दी इनको भी पूरी कर लेगे ऐसा मैंने कल आश्वासन दिया था। इनमें से एक जांच पूरी करके हमने कार्यवाही भी की है और पर्चा भी हमने दर्ज करवा दिया है। जो लोग गलत तौर से एच०सी०एस० सिलैक्न मे नियुक्त किए गए थे उनके खिलाफ भी कार्यवाही की गयी थी।

तारांकित प्रश्न संख्या 864

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री भूपिन्द्र चौधरी सदन में उपस्थित नही थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या 905

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री साईदा खान सदन में उपस्थित नहीं थे।)

10.00 बजे

Hot-line facility for sewerage and water works

***870 Dr. Shies Shankar Bhardwaj :** Will the

Water Supply and Sanitation Minister be pleased to state the time by which the Hot-line facility is likely to be provided for the sewerage disposal and water works of Bhiwani ?

बिजली मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेबाला): श्रीमान् जी। सीवरेन्ज डिस्पोजल व द्वितीय जलघर भिवानी शहर के लिए होट–लाईन सुविधा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा हालुवास में 132 कें०वी० सब–स्टेशन के चालू होने पर की जाएगी जोकि निर्माणाधीन है। भिवानी शहर के डिस्पोजल कैं लिए अस्थाई होट–लाईन सुविधा सिविल अस्पताल भिवानी के स्वतंत्र फीडर से 20 दिन के अदर दे दी जाएगी। फिलहाल तोशाम बाईपास पर द्वितीय जलघर के पास एक जी०ओ० स्विच शहरी क्षेत्र को अलग करने के लिए लगाया गया है। महम रोड पर पुराने जलधर के लिए पहले ही होट–लाईन सुविधा उपलव्य है।

डा० शिव शंकर भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, यह सौभाग्य की बात है कि माननीय श्री रणदीप सिह सुरजेवाला जी के पास पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट और बिजली विभाग दोनों ही हैं। इसके बावजूद भी कडे बार समस्या आ जाती है। होता क्या है कि जिस वक्त बिजली होती है उस वक्त पानी नहीं छोडते हैं और जिस वक्त पानी छोड़ते हैं उस वक्त बिजली नहीं होती है। पिछले 3 –व दिन से भिवानी मे पानी की समस्या आ रही है। पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट ने हमसे होट–लाईन के लिए पैसे भी जमा करा लिए थे तो मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि अब तक होट–लाईन का काम क्यो नहीं हुआ है? इसके अतिरिक्त 132

के०वी० का स्टेशन बनने में थोड़ा सा समय लग जाएगा क्योंकि उस मामले मे कोर्ट में केस विचाराधीन है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या तब तक कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था करेगे ताकि पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चल सके।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। लेकिन हमने उसके हल के लिए प्रयास किए हैं। ये इस बारे में जवाब पढकर देखें उसमें लिखा है कि

"The temporary hot. line facility for sewage disposal of Bhiwani town is likely to be given within 20 days from an independent feeder of the Civil Hospital, Bhiwani."

जहां तक सैकेण्ड वाटर वर्क्स का प्रश्न हं। 132 के०वी की लाइन आने में समय लग सकता है फिर भी आपने सुझाव दिया है तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा और जो भी आल्टरनेटिव हल होगा उसको निकालने का हम अवश्य प्रयास करेगे। जिस दिन 132 के०वी० का स्टेशन बन जाएगा उस दिन हम सप्लाई ठीक दे देंगे। दूसरी जो बात माननीय सदस्य ने कही है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने टेकओवर करने के फौरन बाद हमें निर्देश दिये थे कि जहां–जहां वाटर वर्क्स हैं वहां पानी पहुंचाने का प्रयास कीजिए उसके लिए 2–3 करोड़ रुपये दिये थे और इस साल और ज्यादा राशि देंगे। उस राशि से हम डैडीकेटिड फीडर बना रहे हैं उनसे सारे शहर

और बड़े गांवो को फर्स्ट फेज मे हम कवर करेंगे। यह डैडीकेटिड फीडर अपने खर्च पर जनस्वास्थ्य विभाग बना कर देगा। मुझे लगता है कि हम भिवानी को 2008 –2009 के अंदर उस स्कीम मे डालने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्षः महेन्द्र प्रताप जी, क्या आपने इस बारे में सप्लीमैंट्री पूछनी है?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः सर, मैंने पिछले सवाल मे पूछनी थी।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन्होने इस बारे में बहुत सारे प्रयास किए हैं लेकिन इन प्रयासों से भी ज्यादा जरूरत दोनो विभागो मे कोऑर्डीनेशन की है। आमतौर पर देखा गया है कि दोनो विभागों मे कोऑर्डीनेशन की काफी कमी रहती हे। क्या मंत्री जी सुनिश्चित करेंगे कि दोनो विभागों में कोऑर्डीनेशन सुचारू रूप से चले?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। यह भी सही है कि बिजली चले जाने पर पानी का प्रैशर टूट जाता है। हमने बिजली विभाग को लिखित हिदायत दे दी है कि पीने के पानी की आपूर्ति के समय में बिजली की आपूर्ति कोऑर्डीनेशन करके छोड़ी जाए और इस बारे में समन्वय बनाकर रखा जाए।

श्री राम किशन फौजीः अध्यक्ष महोदय, हम मानते हैं कि बिजली की दिक्कत है और उस वजह से पीने के पानी के लिए भी बड़ी मुसीबत होती है। क्या मंत्री जी बिजली की समस्या के समाधान के लिए जनरेटर की व्यवस्था हर गांव में करने का प्रबन्ध करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः आध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता तो वाजिब है। एक समय में जैनरेटर्ज हमारे पास हुआ करते थे। अध्यक्ष महोदय, उनके लिए अब नयी समस्या शुरू हो गई थी। इसमें बजटरी ऐलोकेशज का प्रश्न है। हमारे पास पीने के पानी के लिए अपने सीमित साधन हैं और हर गांव के अन्दर जैनरेटर्ज लगाने तो संभव नहीं हैं। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम यह जरूर कर रहे हैं कि जो डैडीकेटिड फीडर्ज हम लगा रहे हैं उनके तहत सब–स्टेशन से सीधे वाटर वर्क्स को बिजली. मिलेगी इस दौरान और कुछ नहीं चलेगा। जब ये लग जायेगे तो यह समस्या दूर हो जायेगी। It is a few years programme and it can't happen in an overnight and you would appreciate, Sir कि हरियाणा प्रदेश में कुल 6764 के करीब गांव हैं और 76 के करीब शहर हैं इसलिए इस को लागू करने के लिए कुछ समय तो जरूर लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए स्पेशल बजटरी ऐलोकेशज किया है और इसके लिए विभाग कार्यरत है।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवानः स्पीकर सर, दादरी शहर के अन्दर एक नया वाटर वर्क्स बनाया जा रहा है जिसके लिए बिजली के कनैक्शन के लिए विभाग पैसा जमा कराने के लिए तैयार हैं परन्तु बिजली विभाग वाले एस्टिमेट नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से वाटर वर्क्स चालु होने मे जिले हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस वाटर वर्क्स के लिए गर्मियो से पहले बिजली का कनैक्शन उपलब्ध हो जायेगा ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, क्योकि यह प्रश्न इस सवाल से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन मैंने माननीय सदस्य का प्रश्ना नोट कर लिया है और मैं बिजली विभाग के अधिकारियों को कहूगा कि इसका एस्टिमेट जल्दी बना दें और दोनों विभाग आपस मे समन्वय बना लें।

श्रीमती समिता सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो डैडिकेटिड फीडर्स की इन्होंने बात की हैं क्या इनको हीट लाईन से जोडा जायेगा ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, डैडिकेटिड फीडर्स का मतलब ही यह है कि उस फीडर को बिजली हमेशा मिलती रहेगी। That's why it is a dedicated feeder and it is better than a hot-line. It is just like an independent hot-line on which no body else will be there. It will be a direct

connection from the sub-station for water works and it will not be tapped by anybody else.

Repair of Roads

***921. Shri Somvir Singh, :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following roads which were constructed by the Panchayati Raj Department :-

1. Dhigawa Jatan to Kharkhari ; and

2. Barwas to Jhuppa Khurd

if so, the time by which the said roads are likely to be repaired ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, only the road at Sr. No. 2 was transferred to the Public Works Department and the same has been repaired.

अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ इन सड़को पर थोड़ा कंकरीट और सीमेंट का काम होना था और ये रोडज रिपेयर कर दिये गये हैं।

श्री सोमवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विभाग के द्वारा ढिगावा जाटान से खरखड़ी के रोड आज से दस साल पहले वर्ष 1998 में बनाया गया था। जहां तक मंत्री जी ने जिस रोड को पी०डब्ल्यू०डी० विभाग को ट्रांसफर करने की बात की है, यह कब तक बन जायेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, जो आकड़े मेरे पास इस समय उपलव्य हैं उनके मुताबिक 110 सडकें ऐसी थीं जो पंचायती राज से ई०एस० फण्ड्स के द्वारा बनाई गई थी। उन मे से 51 सडकें रिपेयर कर दी गई हैं और माननीय सदस्य की हल्के की सड़कों के बारे में इन्होने पूछा है और जवाब मैं बताया है कि बारवास से झुप्पा खुर्द तक की सडक को रिपेयर कर दिया है और बाकि ढिगाग जाटान से खरखडी तक की रोड को पंचायती राज विभाग ने पी०डब्ल्यू०डी० विभाग को ट्रांसफर नहीं की हैं। इस बारे विभाग के आफिसर्ज ने पंचायती राज विभाग को लिखकर भेज दिया है। सरकार ने यह फैसला लिया है कि जैसे ही यह ट्रांसफर हो जाएगी इसकी रिपेयर का कार्य शुरू करवा देंगे। जैसे ही वे हैंड ओवर कर देंगे तब इस सड़क की रिपेयर कर देंगे।

श्री अरजन सिहः अख्स महोदय, कई बार हमने सदन में जिक्र किया और लिखकर भी दिया है और परसों मैंने मंत्री जी से भी इस बारे में मात की थी कि हमारे हल्के में बूडिया, खदरी, देवधर वाया मुडकला और खिजराबाद एक बी०के०डी० रोड है, जो हिमाचल से मिलती है उनकी हालत बख्त बदतर है और उस सड़क पर सारी दुनिया के ट्रक लोड होकर चलते है जिस वजह से वह टूट जाती है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ये सडक कब तक बन जाएगी और बनेगी या नहीं बनेगी। हम इस सड़क के बनने की उम्मीद रखे या उम्मीद छोड दें। मेरा एक और सवाल है कि हथनीकुंड बैराज पर जो यू०पी० से जुड़ने वाली सड़क है

उसका एक किलोमीटर का टुकडा जो नहीं बन पाया, पिछली सरकार के साढे 5 साल निकल गए, चलो उनसे तो हमें उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन इस सरकार के भी 3 साल बीत गये हैं और यु०पी० की सड़क पुल तक बन गई है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा का यह एक किलोमीटर का टुकड़ा वैसे का वैसे पड़ा है तो क्या इसको बनाने के बारे सरकार कोई कार्यवहि करेगी ? स्थ्यैन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि जिस सड़क का इन्होंने जिक्र किया उस सड़क के बारे में सरकार बी०ओ०टाइ० बेसिज पर रिपेयर करने के बारे में विचार कर रही है, इस सड़क पर ट्रक बहुत लोड लेकर चलते हैं जिसकी वजह से यह सडक टूट जाती है। सरकार ने इस बारे में निर्णय ले लिया है कि जल्दी ही इस सड़क को बी०ओ०टी० बेसिज पर रिपेयर करवाई जाएगी। जहां तक इन्होने हथनीकुड में एक किलोमीटर के टुकडे की बात की तो इस बारे मे जब हम हथनीकुंड बैराज पर गए थे तो इन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष भी यह बात रखी थी। उन्होने कसी वक्त आदेश दे दिए थे, इसके एस्टीमेट्स बनाए जा रहे हैं और इसका काम जल्दी ही करवा देगे।

श्री अरजन सिंहः हमारा 40 किलोमीटर का एरिया ऐसा पड़ता है जहां कहीं मची हरियाणा की कोई सडक यू०पी० से नहीं जुड़ती। निर्मल सिंह जी ने भी इस बारे में लिखकर दिया था और

मैं भी मंत्री जी से इस बारे में जानना चाहता हूं कि क्या वहाँ सड़क बनाई जाएगी ?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को कहना चाहता हूं कि ये इस बारे में लिखकर दे दे, इस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह अध्यक्ष महोदय, सड़कों के विषय में, चाहे वे मार्कीटिग बोर्ड की हों या पी०डब्ल्यू०डी० की हों, मैं इनके बारे में एक जनरल सवाल करना चाहता हूं कि सरकार ने 3 साल में रोड्स के लिए बजट को 3 गुणा बढाया है इसमें कोई संदेह नहीं है। रोड्स के काम काफी हद तक हुए भी हैं लेकिन मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि जितनी सड़कों के टैण्डर्ज दो– दो, अढाई–अढाई साल पहले दे दिए गए और वे टैण्डर्ज एक–एक व्यक्ति को कई–कई जिलों के दे दिए गए, क्या यह जानकारी मार्कीटिंग बोर्ड और पी०डब्ल्यू०डी० को है? इसके बारे में जनता में आक्रोश है कि सरकार के पैसा देने के बाद और दो–दो, तीन साल से टैण्डर्ज देने के बाद भी ये सडके नहीं बन पाई ओर जो सड़के बनी भी हैं वे भी काफी हद तक टूट गई हैं। क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करवाएंगे? एक ही व्यक्ति को कई–कई जिलों के ठेके दे दिए, क्या इसकी जांच करवाएंगे 9 अगर दिए गऐ हैं तो क्या ये ठेके कैंसिल करवाएंगे और दोषी व्यक्तियो के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगा? मैं यह भी जानना

चाहता हूं कि यै ठेके देने का प्रोसीजर क्या है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा जी अपने चहेतों की बात कर रहे थे इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि तोशाम रोड और भिवानी रोड के ठेके 2004 में अपने चहेतो को दिए गए थे और उन रोड्ज पर सब–स्टैण्डर्ड माल डलवाना शुरू कर दिया गया था जिसकी वजह से आज तक वह काम नहीं हो पाया। जहां तक आपने टैण्डरिंग में होने वाली अनियमितता की बात की है तो उस बारे मे मैं कहना चाहूंगा कि जहां भी इस प्रकार की अनियमितता होती है, उस बारे में लिखकर दें तो जरूर कार्यवाही की जाएगी। पी०डब्ल्यू०डी०(बी० एण्ड आर०) टैण्डर्ज फ्लोट करता है और इसने पहली बार ई–टैण्डरिग की है अगर इस बारे कोर्ह सदस्य लिखित में देगा कि इस तरह से अनियमितता हो रही है तो उस मामले में सख्ती से कार्यवाही होगी।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने चहेतों की बात की है ये खुद खुलासा करवाना चाहते हैं, मुझे किसी का नाम लेने की आदत नहीं है। जिस व्यक्ति को मार्किटिंग बोर्ड के ठेके 3 वर्ष पूर्व दिए गए वे इन्हीं के चहेते हैं और आज भी चहेते बने बैठे हैं।

To restore the balance of sex ratio

***895. 1.G. Sher Singh** Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that skewed sex ratio

would effect the social fabric in the long run; if so, the steps taken by the Government to restore the balance of sex ratio ?

स्वास्थ्य मन्त्री (बहिन करतार देवी): हां श्रीमान् जी। विषम लिंग अनुपात अन्ततः सामाजिक रचना पर प्रभाव डालता है।

लिंग अनुपात का संतुलन पुनः प्राप्त करने हेतू सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसकी सूचना सदन के पटल पर रखी है।

सूचना

लिंग अनुपात का संतुलन पुनः प्राप्त करने हेतू उठाए गए कदम

लिंग अनुपात मे सुधार लाने तथा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने जिससे कि सामाजिक ताना–बाना ठीक हो सके राज्य सरकार द्वारा तीन प्रकार की नीतियां अपनाई जा रही हैः –

1 पी०एन०डी०टी० एक्ट का सख्ती से लागू करना।

2. जागरूकता एवं चेतना अभियान चलाना।

3. महिला सशक्तिकरण हेतु कदम उठाना।

पी०एन०डी०टी० एक्ट का सस्ती से लागू करना

राज्य सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या तथा लिंग जांच को रोकने के लिए पी०एन०डी०टी० एक्ट को लागू करने हेतू निम्नलिखित कदम उठाए गए हैंः ––

1 बहुसदस्यीय राज्य समुचित प्राधिकरण का गठन।

2 जिला समुचित प्राधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

3. स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड का गठन।

4. राज्य एवं जिला सलाहकार समितियो का गठन किया गया है।

5. स्टेट टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह टास्क फोर्स अनाधिकृत गतिविधियों को रोकने के लिए अल्ट्रासाउंड केन्द्रो का निरीक्षण तथा छापेमारी करती है।

राज्य में सर्वेक्षण उपरान्त अब तक 976 अल्ट्रासाउंडाजैनेटिक क्लीनिक तथा 66 जैनेटिक परामर्श केन्द्र पी०एन०डी०टी० एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। सरकारी क्षेत्र मे 46 अल्ट्रासाउड मशीन पजीकृत की गई हैं। 102 अल्ट्रासाउंड मशीन सील तथा जक की गई हैं। राज्य के अब तक भिन्न–भिन्न 6363 अल्ट्रासाउंड क्लीनिको का निरीक्षण किया गया है। 177 अल्ट्रासाउंड केन्द्रों का पी०एन०डी०टी० एक्ट की उल्लंघना करने पर पंजीकरण बर्खात्तानिरस्त किया जा चुका है। भिन्न–भिन्न कोर्टों में पी०एन०डी०टी० एक्ट की उल्लंघना के फलस्वरूप 39 केस दायर किए गए हैं तथा 11 व्यक्तियों/डाक्टरो को सजा मिल चुकी है।

राज्य सरकार के भरसक प्रयासों के फलस्वरूप 0–6 वर्ष तक की आयु में लिंग अनुपात 860 हो गया है (सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम)।

राज्य सरकार ने सामुदायिक भागेदारी की मदद से सघन जागरुकता एवं चेतना आभियान चलाए हैं। पिछले 3 वर्षो मे भिन्न–भिन्न स्तरों पर सेमिनार, वर्कशाप तथा जनता की मीटिंग के आयोजन किए गये हैं। इस दौरान उठाए गए मुख्य कदम निम्न प्रकार से हैं: –

1 कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध चाद राज्य स्तरीय सेमिनार, कुरक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद और नारनौल मे स्वास्थ्य विभाग एवं हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसिज आाथोरिटी द्वारा आयोजित किए जा चुके हैं। माननीय मुख्यमन्त्री हरियाणा तथा माननीय मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट श्री वी०के० जैन विशिष्ट व्यक्तियो में से उपस्थित थे। माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने घोषणा की कि हर जिले में जो गांव सबसे अच्छा लिंग अनुपात प्राप्त करेगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम तथा राज्य मे जो गांव सबसे अच्छा लिंग अनुपात प्राप्त करेगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।

2. फतेहाबाद में गांव झालनिया को सबसे अधिक लिंग अनुपात 1227 प्राप्त करने पर एक लाख रुपए का इनाम माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा फतेहाबाद मे दिया गया। इसी तरह एक लाख

रुपए का इनाम 1082 का लिंग अनुपात प्राप्त करने पर गांव निजामपुर जिला महेन्द्रगढ़ को दिया गया है। ये गतिविधियां आगे भी जारी रहेंगी।

3 माननीय मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा वर्ष 2006 को दाल कन्या वर्ष घोषित किया गया था जिसमे छठी से 12वीं कक्षा तक की लड़कियों का नियमित मुफत स्वास्थ्य निरीक्षण किया गया तथा खून की कस्सी को रोकने के लिए सप्ताह मे एक बार आयरन फालिक एसिड (100 कि०ग्रा०) की गोलियां दी गई।

4. माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने यह भी घोषणा की है कि राज्य मे सबसे अच्छा लिंग अनुपात प्राप्त करने वाले 3 जिलो को क्रमशः 5, 3 और 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।

5. उपरोक्त गतिविधियों के अतिरिक्त पी०एन०डी०टी० एक्ट बारे जागरूकता लाने के लिए 296 सेमिनार, 73 सम्मेलन, 89 रैलियां, 10 फिल्म शोज, यह 46 क्वीज प्रतियोगिता और 136 प्रदर्शनियां आयोजित की गई है।

महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम

1 हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि यदि घरेलू बिजली के मीटर का कनेक्शन महिला के नाम पर हूँ तो उस केस मे 10 पैसे प्रति यूनिट की रियायत दी जाएगी।

2. यदि जमीन जायदाद महिला के नाम से खरीदी जाती है तो सरकार द्वारा 2 प्रतिशत की स्टाम्प डयूटी पर छूट मिलेगी।

3. शिक्षा संस्थानों में सीधी भर्ती पर 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के जिए आरक्षित की गई है

4. सुरक्षित तथा साफ सुथरे वातावरण में प्रसूति हेतू 500 डिलिवरी हट स्थापित की जा रही है जिसमें जन्म प्रमाण पत्र भी दिया जाता है तथा पुरूष स्त्री अनुपात भी मोनिटर किया जाता है।

5. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रह रहे माताओं को प्रसूति के समय घर पर/स्वास्थ्य संस्थानों पर प्रसूति करवाने के लिए क्रमशः 500/700 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है।

6. राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से लाडली स्कीम चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत बाल कन्या के जन्म पर वित्तीय सहायता 5 वर्ष तक दी जाती

7. राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से बालिका समृद्धि योजना चलाई जा रही है जिकके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे प्रसूति से पहले, प्रसूति के दौरान तथा प्रसूति के बाद मे अपने खान पान का ध्यान रख सकें।

राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयत्नो के फलस्वरूप लिंग अनुपात में सुधार आया है, आशा की जाती है कि इसमें और सुधार आएगा तथा असंतुलित लिंग अनुपात के सामाजिक ताने–बाने पर जो कुप्रभाव पड़े है उन्हे भी पुनः ठीक किया जा सकेगा।

बहिन करतार देवीः माननीय स्पीकर सर, मैं आदरणीय साथी का धन्यवाद करना चाहती हू कि एक बहुत ही महत्यपूर्ण सवाल इन्होंने पूछा है। जो सवाल माननीय साथी ने पूछा है उसके बारे में हमारी सरकार बहुत चिंतित है। विषम लिंगानुपात अन्ततः सामाजिक रचना पर प्रभाव डालता है। इसको संतुलित करने के लिए हमारी सरकार ने तीन तरह के कदम उठाये हैं। एक तो पी०एन०डी०टी० एक्ट को सख्ती से लागु करना, दूसरा जागरूकता एवं चेतना अभियान चलाना और तीसरा महिला सशक्तिकरण हेतु कदम उठाना। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इन नीतियों की सूचना सदन के पटल पर रखी हुई है लेकिन आपकी इजाजत हो तो इन नीतियों के बारे में मैं विस्तार से सदन मे बताना चाहूंगी कि हरियाणा में पी०एन०डी०टी० एक्ट की उल्लंघना करने वाले 12 लोगों को सजायें हुई हैं। हरियाणा राज्य देश का पहला राज्य है जहा पी०एन०डी०टी० एक्ट की उल्लंघना करने वालों को सजा सुनाई गई है और किसी राज्य में पी०एन०डी०टी० एक्ट के तहत अब तक किसी को कोई सजा नहीं हुई है। हमारी सरकार ने पी०एन०डी०टी० एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए तीन चार

कमेटियां बनाई हैं। जिला लैवल पर सिविल सर्जन को अध्यक्षता में और स्टेट लैवल पर सुपरवाइजरी बोर्ड का गठन मेरी अध्यक्षता मे किया गया है। इसी तरह से राज्य एवं जिला सलाहकार समितियों का गठन किया गया है और स्टेट टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। यह टास्क फोर्स अनाधिकृत गतिविधियों को रोकने के लिए अल्ट्रासाउंड केन्द्रों का निरीक्षण तथा छापेमारी करती है। अध्यक्ष महोदय, इस समय प्रदेश में पी०एन०डी०टी० एक्ट के तहत 976 अल्ट्रासाउड क्लीनिक तथा जैनेटिक परामर्श केन्द्र पंजीकृत हैं। सरकारी क्षेत्र में 46 अल्ट्रासाउंड मशीन पंजीकृत की गई हैं। ऐसे केसों में 102 अल्ट्रासाउड मशीनें सील तथा जब्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के अब तक भिन्न–भिन्न 6363 अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों का निरीक्षण किया गया है और 177 अल्ट्रासाउंड केन्द्रों का पी०एन०डी०टी० एक्ट की उल्लंघना करने पर पंजीकरण निरस्त किया गया है। पी०एन०डी०टी० एक्ट की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ 39 केस विभिन्न कोटो में दायर किए हुए हैं तथा इनमे 11 डाक्टर्ज को सजा भी मिल चुकी है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के भरसक प्रयासो के फलस्वरूप 06 वर्ष तक की आयु मे लिंगानुपात 860 हो गया है। कई जिलो में तो लिंगानुपात 913 तक पहुंच गया है। हिसार में लिंगापुपात 913 तक पहुंच गया है, पंचकुला में 900 है और भी कर्ष जिलें हैं जहां पर लिंगानुपात 873–875 तक पहुंच गया है। इनमें औसतन महेन्द्रगढ़, नारनौल और गुडगांव अभी बहुत नीचे हैं। अध्यक्ष महोदय, लिंगानुपात को ठीक करने में ज्यूडीशियरी का भी बहुत योगदान रहा है इसके

लिए मैं उनका भी धन्यवाद करती हूं। हमारी सरकार ने सामुदायिक भागेदारी की मदद से जागरूकता एवं चेतना अभियान चलाए हैं। पिछले तीन वर्षो मे भिन्न–भिन्न स्लरों पर सेमीनार्ज, वर्कशापस तथा जनता की मीटिंग्ज के आयोजन किए गए हैं। कन्या भ्रूण हत्या के विरूद्ध चार राज्य स्तरीय सेमीनार किए गए हैं। जिनमें सबसे पहला सेमीनार कुरक्षेत्र में किया गया। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में दस जिले ऐसे हैं जिनमे सबसे कम लिंगानुपात है इनमे हरियाणा के कुरक्षेत्र, अम्बाला और सोनीपत तीन जिले हैं जबकि 7 जिले पंजाब के हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस बारे मे पहला सेमीनार कुरक्षेत्र में किया गया जिसमें श्री वी०के जैन, मुख्य न्यायधीश स्वयं पधारे थे। हमारे मुख्यमंत्री जी भी उस सेमीनार में गए थे। उसके बाद सिरसा, फतेहाबाद और नारनौल में भी इस तरह से सेमीनार आयोजित किए गए, जिनमें जैन साहब और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने भी हिस्सा लिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहां पर घोषणा की थी कि हर जिले में जो गांव सबसे अच्छा लिंगानुपात प्राप्त करेगा उसे एक–एक लाख रुपये का इनाम तथा राज्य मे जो गांव सबसे अच्छा लिंगानुपात प्राप्त करेगा उसे 5 लाख रुपये, दूसरे स्थान पर रहने वाले गांव को तीन लाख रुपये और तीसरे स्थान पर रहने वाले गांव को 2 लाख रुपये इनाम के तौर पर दिए जायेगे। अक्स महोदय, फतेहाबाद के गांव झालनियां औन् नारनौल के गांव निजामपुर को अपने अपने जिले मे सबसे अधिक लिंगानुपात प्राप्त करने के लिए एक–एक लाख रुपये का इनाम भी दिया जा चुका है। इस तरह से लोगों में

जागरूकता लाने के लिए हमारी सरकार ने प्रदेश में काफी सेमीनार, नुकक्ड नाटक और पब्लिक मीटिंग्ज की हैं। इससे थोड़ा सा तो इसमे सुधार आया है लेकिन हमारा प्रयास यह है कि यह अनुपात बराबर का जरूर होना चाहिए। हमारे देश में केवल एक मात्र केरल ही ऐसा राज्य है जहां पर लड़के कम हैं और लड़कियां ज्यादा हैं। हमारी संस्कृति मे भी महिलाओं को बहुत०ंचा स्थान दिया गया है और हमारे वेदों में भी यह लिखा हुआ है 'यत्र नारीयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।'' मैं इस बात से भी सहमत हूं कि आज हमारे समाज में महिलाओं का जो आदर और सम्मान होना चाहिए था वह उतना आज नहीं हो रहा है। आज जो कन्या को पैदा होने से ही रोका जा रहा है और उसको गर्भ में ही मरवा दिया जाता है। हरियाणा सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को कानूनन अपराध घोषित किया हुआ है और इसके साथ ही सामाजिक तौर पर भी यह एक बहुत बड़ा पाप है। इन बातों को प्रदेश की जनता को समझाने का हमने काफी प्रयास किया है। इसके लिए काफी सेमिनारज मैंने किये हैं और इसके लिए मैं ज्यूडिशरी का भी धन्यवाद करना चाहती हूं कि जब स्वयं जज इस बारे में बोलते हैं कि अगर इस कानून का उल्लंघन किया गया तो वास्तव मे उसकी सजा होगी तो लोगों के०पर उसका ज्यादा अच्छा असर होता है। इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भो धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के विरूद्ध प्रोत्साहन के लिए एक–एक लाख और पाँच–पाँच लाख रुपये के इनाम की घोषणा की है और इसके साथ–साथ वर्ष 2006 को 'बाल कन्या

वर्ष' घोषित किया गया था। जिसमे छठी से 12वीं तक की सभी लडकियों के स्वास्थ्य का नियमित मुफ्त निरीक्षण किया गया था और कन्याओ में खून की कमी को रोकने के लिए सप्ताह में एक बार आयरन फॉलिक एसिड (100 मि०ग्रा०) की गोलियां दी गई। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा की कि राज्य में सबसे अच्छे लिंगानुपात करने वाले तीन जिलों को क्रमशः 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपये का इनाम दिया जायेगा। इन गतिविधियो के अतिरिक्त पी०एन०डी०टी० एक्ट के बारे जागरूकता लाने के लिए 296 सेमिनार, 73 सम्मेलन, 69 रैलियां, 10 फिल्म शोज, 46 क्विज प्रतियोगिताएं और 136 प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार का प्रयास है कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओ का आदर हो क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आज सारे के सारे सम्बन्ध चाहे भाई– बहन का सम्बन्ध हो ओर चाहे मां–बेटे का सम्बन्ध हो ये सभी पैसे से जुडते जा रहे हैं इसीलिए हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि अगर घरेलु बिजली के मीटर का कनैक्शन महिला के नाम पर होगा तो उस केस मे 10 पैसे प्रति यूनिट की रियायत दी जाएगी और अगर किसी जमीन–जायदाद की रजिस्ट्री महिला के नाम पर होगी तो 2 प्रतिशत स्टॉम्प डयूटी की छूट मिलेगी। शिक्षा संस्थानो मे सीधी भर्ती पर 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं और अब तो कोर्ट ने भी इसकी मंजूरी दे दी हे। इसके अतिरिक्त साफ सुथरे और सुरक्षित वातारण में प्रसूति हो इसके लिए भी हरियाणा प्रदेश मे 500 डिलीवरी हट्स स्थापित की गई

हैं। इन डिलीवरी हट्स में जन्म प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। स्पीकर सर, आपको यह जानकर खुशी होगी कि जन्म प्रमाण–पत्र देने का 92 प्रतिशत काम वहीं से तो जाता है।

देश भर मे हमारी सरकार के इस कदम की प्रशंसा हो रही है कि सभी बच्चो के जन्म का रिकार्ड भी इसमे रखा जाता है साथ ही जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जो डिलीवरी घर पर होती हैं उनको 500 रुपये और जो डिलीवरी हास्पिटल में होती हैं उसमें रक रुपये दिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर भी खुशी होगी हमारी सरकार द्वारा मेवात के लिए 02 अक्तूबर, श्का को छ प्रसूति वैन दी गई हैं। अगर कोई भी महिला टेलीफोन करती है तो सरकारी वैन उसको लेकर जाती है और दो दिन बाद उसको वापिस घर छोड़कर जाती हैं। हमारे इस प्रयास से पहले जो सरकारी हॉस्पिटल्ल मे 10 प्रतिशत डिलीवरीज होती थी वे अब 46 प्रतिशत हो गई हैं। इस प्रकार से सरकार ने महिलाओ के कल्याणार्थ अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चारों तरफ प्रयास किये हैं। लेकिन फिर भी 1000/ 860 रेशो होने से भी यह काम चलता नहीं है। मुख्य मंत्री जी बार–बार कहते हैं कि हम हरियाणा को नम्बर एक राज्य बनायेंगे। हम पैसे मे नम्बर एक बनते जा रहे हैं लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और लिंगानुपात मे जब तक नम्बर एक नहीं बनेगे, हम नम्बर एक कहलाने के सही अधिकारी नहीं होगे। इसलिए इस बात की तरफ हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। मैं सभी माननीय सदस्यो से

विनम्रतापूर्वक तथा आदर के साथ यह प्रार्थना करना चाहूंगी कि अपने—अपने क्षेत्र में इस बात की तरफ ध्यान दें कि कोई भ्रूण हत्या कहीं भी न हो। इससे लिंगानुपात में भी सुधार आयेगा।

श्री शाहीदा खानः अध्यक्ष महोदय मेरा एक सवाल था.... ....

श्री अध्यक्षः शाहीदा खान जी, आपका सवाल लगा था लेकिन आप उस समय सदन मे उपस्थित नहीं थे ?

श्री शाहीदा खानः अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल तो चला गया है लेकिन मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कुछ पूछ लेता हूँ। हमारे मेवात में जो हॉस्पीटल हैं उसमें कोई भी ठहर कर खुश नहीं है और उसमें कोई काम नहीं होता है। वहीं पर अगर कुछ होता है तो वहाँ धारा 325, 307 और 376 के केस बनते हैं। एक दिन मैं हास्पीटल चला गया तो उस समय गर्मी के दिन थे और हॉस्पीटल मे लाईट नहीं थी। वहा पर जनरेटर तो था लेकिन चल नहीं रहा था। मैंने सी०एम०ओ० से बात करने की कोशिश की तो पहले तो सी०एम०ओ० ने फोन ही नहीं उठाया और जब उठाया तो बताया कि इस जनरेटर की तार खराब है। इसी प्रकार का हाल नुंह और तावडू के हॉस्पीटलो का भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे उपरोक्त समस्याओं को दूर करने लिए कोई कदम उठायेगी।

श्री अध्यक्षः ऐसा है आपका सवाल तो निकल गया। इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आई०जीव शेर सिंह जी ने पूछा है कन्या भ्रूण हत्या का। अगर आप उस पर कोई सप्लीमैंट्री प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बाकि आप अपने सवाल के बारे में माननीय मंत्री जी को लिख कर भिजवा देना।

आई०जी० शेर सिंहः अध्यक्ष महोदय, इसमे कोई शक नहीं है कि सरकार की तरफ से और मंत्री जी की तरफ से जो जवाब मिला है वह बहुत ही उत्साहजनक है। सरकार ने बहुत गम्भीरता से इस तरफ कदम बढाए हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार सामूहिक रूप से पुरस्कार भी दिये जा रहे हैं उसी प्रकार व्यक्ति विशेष के लिए भी क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? जिस घर मे लड़की पैदा होती है उसके लिए भी क्या कोई विशेष स्कीम सरकार चलाना चाहती है?

बहिन करतार देवीः अध्यक्ष महोदय, हमारी जो लाडली स्कीम है, उसमें व्यक्ति विशेष को ज्यादा तवज्जो दी गई है। जिस परिवार में केवल लड़की या लड़कियां हैं उसमें पति –पत्नी को 45 साल की उस के बाद 500/– रुपये पैंशन के रूप में दिये जाते हैं ताकि लड़की जब ससुराल से घर आये तो वे उसको आराम से विदा कर सके। पिछले वर्ष को माननीय मुख्य मंत्री जी ने बालिका वर्ष घोषित करते हुए यह घोषणा की थी कि जो बी०पी०एल० कार्ड धारक परिवार हैं उनकी लडकियों को बी०ए० तक मुफ्त शिक्षा दी जायेगी। उसमें कॉपी, किताब और वर्दी तक सरकार की

तरफ से देने का प्रावधान किया गया है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहती हू कि इसके अतिरिक्त अगर माननीय सदस्य के ध्यान में कोई सुझाव हो तो वह हमे दे दें हम उस पर गम्भीरता सो विचार करेगे। हरियाणा तो वैसे भी भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली है जिन्होंने अपने मुंह से गीता का उपदेश दिया था। उस भूमि को तो कन्याओ के सम्मान में सबसे आगे होना चाहिए।

Mr. Speaker : Hon'ble members, now the Questions Hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

C.T. Scan facility at Civil Hospital, Karnal

***910. Smt. Sumita Singh, M.L.A. :** Will the Health Minister be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the difficulty being faced by the people due to no availability of C.T. Scan facility at Civil Hospital Karnal; and

(b) if so, the time by which the aforesaid facility is likely to be made available at Civil Hospital Karnal ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी): महोदया

(क) हां,

(ख) सरकार ने दिनांक 7—2—2008 को सिविल अस्पताल करनाल के लिए सी०टी० स्कैन की खरीद का निपटान कर दिया है। यह वर्ष 2008—2009 में उपलब्ध करवा दी जाएगी।

Autonomous Status to the Government College of Ateli and Narnaul

***930. Shri Naresh Yadav :** Will the Education Minister be pleased to state-

1. Whether there is any proposal under consideration of the Government to give autonomous status to the Government College of Ateli and Govt. College of Narnaul ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता):

1. नहीं, श्रीमान जी।

Construction of Railway overbridge at Dadri

***928. Major Nirpender Singh Sangwan :** Will the F.W.D. (B&R) Minister be pleased to state the time by which the construction work of *he* Railway over bridge at Dadri is likely to be started together with the time by whch the said over bridge is likely to be completed ?

सिंचाई मन्त्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): श्रीमान् जी। यह कार्य अप्रैल, 2008 मे शुरू होना संभावित है और सितम्बर, 2009 मे पुल का निर्माण कार्य पूरा करने की संभावना है।

Drinking Water Facilities in Nangal Durgu and Nizampur Area

***817. Shri Radhey Shyam Sharma :** Will the Water Supply and Sanitation Minister be pleased to state :-

(a) the time by which the drinking water will reach in the tank of Nangal Durgu together with the efforts made by the Government in this regard so far ;

(b) the time by which the water tank will be constructed for the drinking water for the villages of Nizampur area; and

(c) whether there is any scheme to solve the drinking water problem during the summer season in the Narnaul Assembly Constituency ?

बिजली मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला):

(क) श्रीमान् जी, नांगल दर्गू 6 गांवों की समूह योजना, नामतः नांगल दर्गू गंगुताना, पंचनोटा, मसनोटा, गोलवा और बायल, जिनकी 1991 की जनगणना अनुसार कुल जनसख्या 13252 व्यक्ति है, की जल आपूर्ति मे बढोतरी के लिए 125.10 लाख रुपये का अनुमान 1995 में प्रशासकीय अनुमोदन किया गया था। यह योजना त्त लिटर प्रति व्यक्ति दैनिक की दर से जल आपूर्ति करने के लिए नहर पर आधारित थी। सिंचाई विभाग से शहबाजपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की अलीपुर माईनर से 1.42 क्यूसिक डिस्चार्ज आउटलेट के लिए नहरी पानी की उपलब्धता के लिए सहमति प्राप्त हो गई थी। यद्यपि जलघर 2002 में पूरा हो गया था परन्तु

अलीपुर माईनर मे पानी उपलब्ध न होने के कारण इसे चालू नहीं किया जा सका।

इस समय नांगल दर्गू में तीन नलकुपों द्वारा पीने का पानी दिया जा रहा है। जब हांसी–बुटाना नहर चालू हो जाएगी तब नांगल दर्गु जलचर में पर्याप्त मात्रा में नहरी पानी उपलव्य होने की आशा है। इसके लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योकि हांसी ब्रांच– बुटाना ब्रांच के चालू होने से सम्बन्धित मामला अदालत में विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार हरियाणा सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के इस मामले में बातचीत की जा रही है।

(ख) इस समय निजामपुर क्षेत्र के गांवों मे नलकुपों द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इन गांवों के लिए नहरी पानी पर आधारित जलधर का प्रस्ताव हांसी ब्रांच–बुटाना ब्रांच के चालु होने के बाद बनाया जाएगा। इस समय यह मामला अदालत मे विचाराधीन है।

(ग) जी हां श्रीमान्, ग्रीष्म ऋतु में पेयजल कठिनाईयों को हल करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है।

वित्त वर्ष 2005–06, 2006–07 और 2007–08 के दौरान नारनौल निर्वाचन क्षेत्र मे पेयजल आपूर्ति के लिए 440.72 लाख रुपये, 498.58 लाख रुपये और 176.60 लाख रुपये खर्च किए गए।

Irregularities in Mid Day Meal Scheme

***807. Dr. Sita Ram :** Will the Education Minister be pleased to state whether any kind of irregularities have been found in the purchase of food material and gas stoves etc. under the Sary Shiksha Abhiyan (Mid Day Meal Scheme); if so, the action taken by department against the concerned officers ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): श्रीमान् जी,

मिड–डे–मील योजना के अन्तर्गत भोजन सामग्री क्रय करने मे कोई अनियमितता का विवरण नहीं आया है। परन्तु इस स्कीम के अन्तर्गत गैस चूल्हा/स्टोव क्रय करने में 6 जिलों में अनियमितताएं पाई गई हैं। सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासानिक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई हे।

Steps taken for Administrative Reforms

***823, Dr. Sushil Indora, M.L.A :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any steps have been taken by the Government for making Administrative Reforms in the administration during the year 2006-2007; if so, the details thereof ?

Interim Reply

Randeep Singh Surjewala

D.O. No. 1/11/2008-4AR

Power, P.W.D. (Water Supply

& Sanitation) and Parliamentary

Affairs Minister, Haryana,

Chandigarh.

Telefax No. 0172 / 2740212 (0)

Dated : 12-3-2008

Subject: **Starred Assembly Question No. 823 due for reply on 13-3-2008.**

Dear Sir,

This question pertains to making administrative reforms in the administration during the year 2006-07. The question is due for reply on 13-3-M08.

In this regard, all the departments were asked to send the information well in time. Though many of the departments have responded, several others have yet to send the requisite information. The information required is substantial and voluminous and that too from a large number of departments.

I would, therefore, request that 15 days' time may please be allowed for preparing an authentic reply.

Yours sincerely,

Sd/-

(Randeep Singh Surjewala)

Dr. Raghuvir Singh Kadian,

Hon'ble Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

Constitution of Debt Reconciliation Boards

***834. Shri S.S. Surjewala :** Will the Minister of State for Revenue and Disaster Management be pleased to state -

(a) whether the Haryana Government has constituted Debt Reconciliation Boards in the State; if so, the criteria laid down by the Government for the functioning of these Boards and the procedure adopted by such Boards; and

(b) the district-wise number of cases received by these Boards upto 31-1-2008 togetherwith the number of cases disposed off ?

राजस्व राज्य मन्त्री (श्रीमती सावित्री जिंदल):

(क) जी, हां। मानदण्ड सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) जिलावार सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरण

(क) हरियाणा सरकार ने हरियाणा कृषि ऋणिता अवमुक्ति अधिनियम, 1989 की धारा 5 के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 2 मार्च, 2007 द्वारा प्रत्येक जिले के लिए लेनदार तथा देनदार के बीच सुलह करवाने हेतु ऋण सुलह बोर्ड गठित किए

हैं। इन बोर्डो की कार्य प्रणाली का मानदण्ड (क्राईटेरिया) हरियाणा कृषि ऋणिता अवमुक्ति अधिनियम, 1982 में निर्धारित किया गया है। फिर भी अधिनियम के मुख्य तथ्य इस विभाग के यादी दिनांक 16–3–2007 द्वारा राज्य के सभी मण्डलीय आयुक्तो/उपायुक्तों तथा अतिरिक्त उपायुक्तों को भेजे गए हैं। कथित अधिनियम के प्रावधान अनुसार सभी लेनदार तथा देनदार अपनी जायज समस्याओं के समाधान हेतु इस अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत बोर्ड के अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। ऋण सुलह बोर्ड को दिए जाने वाले प्रत्येक प्रार्थना पत्र में लेनदार व देनदार के पूर्ववत तथा उनकी सम्पत्ति व ऋण इत्यादि का ब्यौरा होना चाहिए। बोर्ड द्वारा नोटिस देकर लेनदार व देनदार सुलह हेतु बुलाये जा सकते है तथा दोनों पक्षों की सुनवाई करने उपरांत बोर्ड के पास उचित आदेश पारित करने की शक्ति है।

हरियाणा कृषि ऋणिता अवमुक्ति अधिनियम, 1989 की धारा 2 (जी) के अन्तर्गत किसी सहकारी बैंक या समिति या राष्ट्रीयकृत/वाणिज्य बैंक का देय ऋण 'ऋण ' की परिभाषा में आता 'है। इन वित्तीय संस्थाओ के ऋणी अपनी जायज समस्याओ के समाधान हेतु इन जिला स्तर के ऋण सुलह बोर्डों को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। बोर्ड के पास ऋणी को न केवल उस द्वारा वित्तीय संस्थाओ से लिए गये ऋण बल्कि निजी देनदार और साहूकारों से लिए गए ऋण के लिए भी राहत देने की शक्तिया होगी। हरियाणा कृषि ऋणिता अवमुक्ति अधिनियम, 1989 की धारा

3(सी) तथा 4 के अन्तर्गत ऋणी की ऋण अदायगी की क्षमता को देखते हुए गण की अदायगी की समय सीमा पुनः निर्धारित करने की शक्तियां होगी। कथित अधिनियम की धारा 12 (8) के अन्तर्गत किसी ऋणी ने मूलधन के दो गुणा से अधिक ऋण चुका दिया है, वह भो जिला स्तर के ऋण सुलह बोर्ड से राहत प्राप्त कर सकता हैं। अतः लेनदार ने देनदार को मूलधन के बराबर या दो गुणा से अधिक ऋण चुका दिया है, या देनदार को यह अवगत करवाने पर वह इतनी धनराशि जमा करवा देता है जो मूलधन के दो गुणा के बराबर हो जाए तो बोर्ड के पास ऋणी को पूरी तरह ऋण मुक्त करने की शक्तियां होंगी। यदि लेनदार द्वारा देनदार को मूलधन के दो गुणा से अधिक ऋण चुकाया गया पाया जाता है तो बोर्ड उस अधिक चुकाए गए ऋण को देनदार द्वारा लेनदार को वापस लौटाने के आदेश देगा।

(ख) जिला ऋण सुलह बोर्डो के पास 31 जनवरी, 2008 तक कुल 141 केस प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 31 जनवरी, 2008 तक 33 केसों का निपटान किया जा चुका हैं। जिलावार विवरण निम्न प्रकार है –

क्र०	जिला का नाम	प्राप्त हुए केस	निपटाये गए केस

1	भिवानी	56	8
2.	गुडगांव	1	शून्य
3.	झज्जर	12	4
4	जीन्द	6	2
5.	करनाल	17	शून्य
6.	कुरुक्षेत्र	25	10
7.	पानीपत	9	शून्य
8.	रोहतक	4	1
9.	सिरसा	4	4
10.	सोनीपत	6	3
11	यमुनानगर	1	1
12.	शेष जिले	शून्य	शून्य
	कुल	**141**	**33**

Name of Government High School Kharak Pandav after the name of Martyr Bhisam Singh

***854. Shri Randhir Singh :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to name the

Governrnent High School Kharak Pandav after the name of Martyr Bhisam Singh ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता): श्रीमान् जी, मामला विचाराधीन है।

Nomination to H.C.S. (EL Branch)

***882. Shri Karan Singh Dalal, MLA. :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of employees nominated to HCS (Ex. Branch) since 1985 till date al ongwith the dates of their nominations ;

(b) the names of employees in (a) above who were employees of Boards and Corporations other than the employees of State Government Departments prior to their nominations to HCS (Ex. Branch);

(c) the Government Rules governing the nominations of employees at the time of their nominations ; and

(d) whether any of the employees nominated to HCS (Ex. Branch) in (a) above were nominated in violation of the existing Government Rules of their nominations ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

श्री मान जी, एक सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(क) हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के नियमों में नामजद करने का कोई प्रावधान नहीं है तथापि, 1985 से आज तक हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों की पंजिका क–I. ग्रूप–ग सेवाओं के सदस्यों की पंजिका क–II, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारियों की पजिंका–ग तथा विशेष भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए गए कर्मचारियों के नाम उनकी नियुक्ति की तिथि सहित निम्न प्रकार है –

रिक्त का वर्ष	पंजिका		कर्मचारी का नाम	नियुक्ति की तिथि
सर्वश्री/श्रीमती–				
	क–I	1	अशोक कुमार बिश्नोई	19– 10 – 1993 (दिनांक 16 – 8 –1989 से नियुक्ति मानी गई)
		2.	नरेन्द्र सिंह	19–10–1993 (दिनांक 21

		1		–8–1983 से नियुक्ति मानी गई)
	क–II	1	आर० के० चौधरी	2-2-1991
		2.	ओ०पी० लोहान	2-2-1991
	ग	1	गुरदेव सिंह	30-4-1992
1989	क–I	1.	अश्वनी कुमार	8-2-1996
		2.	आर०के० चौहान	7-2-1996
		3.	इन्द्र सिंह	8-2-1996
		4.	आर०के० गर्ग.	7-2-1996
	क–II	1.	जे०डी० अरोड़ा	19-10-1993
		2.	एस०के० शर्मा	19-10-1993
	ग	1	आर०के० मलिक	21-10-1993
		2.	भोला राम	21-10-1993
1992	विशेष भर्ती	1	विद्या धर	16-5-1994

		2.	एस०पी० अरोडा	16-5-1994
		3.	पी०एस० बिश्नोई	16-5-1994
		4.	एस०आर० वशिष्ठ	16-5-1994
		5.	डी०पी०एस० यादव	16-5-1994
		6.	बी०आर० बेरी	16-5-1994
		7.	जे०पी० थम्मन	16-5-1994
		8.	इन्द्र पाल बिश्नोई	16-5-1994
		9.	रूप सिंह	16-5-1994
		10.	एम०एस० सांगवान	16-5-1994
		11	अरूण शर्मा	16-5-1994
		12.	जे०आर० चेची	16-5-1994
		13	ए०आर० गोयल	16-5-1994

		14.	वाई०सी० भारद्वाज	16-5-1994
		15.	धर्मपाल सिंह	16-5-1994
		16.	हरी ओम सिवाच	16-5-1994
		17.	सरोज लोहचब	15-5-1994
		18.	सूरजभान	16-5-1994
		19.	एस०बी० लोहिया	16-5-1994
		20.	सूरजभान	16-5-1994
		21.	राम नाथ	16-5-1994
		22.	भाल सिंह बिश्नोई	16-5-1994
		23.	अनिल शर्मा	16-5-1994
		24.	महाबीर सिंह यादव	16-5-1994
		25.	पी०के० शर्मा	16-5-1994

		26.	एच०सी० जैन	16-5-1994
		27.	तेजिन्द्र पूनिया	16-5-1994
		28.	दलीप सिंह	15-5-1994
		29.	राम सरूप वर्मा	16-5-1994
		30.	विजय सिंह	17-5-1994
	क–I	1.	अरविन्द शर्मा	25-3-1998
		2.	जय सिंह सांगवान	26-3-1998
		3.	इन्द्र सिंह	27-3-1998
	क–II	1.	शिव दयाल थरेजा	7-2-1996
		2.	भूप सिंह बिश्नोई	7-2-1996
		3	सतबीर सिंह सैनी	7-2-1996
	ग	1.	रोशन लाल	7-2-1996
		2.	दलबीर सिंह	7-2-1996

1995	क–I	1.	के०के० गुप्ता	30-11-1999
		2.	एच०सी० भाटिया	30-11-1999
		3.	गुरमीत सिंह	30-11-1999
		4.	के०एस० गिल	1-12-1999
	क–II	1.	एच०सी० शर्मा	12-2-1999
		2.	आर०के० रोहिला	12-2-1999
		3.	जी०एल० यादव	12-2-1999
	ग	1	एस०के० कत्याल	27-3-1998
		2.	पी०डी० वर्मा	25-3-1998
1998	क–I	1.	देवेन्द्र कौशिक	26-11-2002
		2.	नर सिंह डुल	26-11-2002
		3.	हवा सिंह	26-11-2002
	क–II	1	राजपाल सिंह	29-11-1999

		2.	जगतार सिंह	29-11-1999
		3.	ईश्वर सिंह दहिया	29-11-1999
	ग	1.	बलवान सिंह भाखड	26-11-2002
2000	क–I	1.	राम कुमार बेनिवाल	4-2-2003
		2.	प्रेम चन्द गगल	4-2-2003
		3.	सतबीर सिंह जांगू	4-2-2003
		4.	नरेन्द्र सिंह यादव	4-2-2003
		5.	अश्वनी मैंगी	4-2-2003
	क–II	1.	सतपाल शर्मा	16-12-2002
		2.	तिलक राज	16-12-2002
		3.	सुरजीत सिंह	16-12-2002
	ग	1.	अमरदीप सिंह	4-2-2003

		2.	सतबीर सिंह कुण्डु	4-2-2003
2002	क–I	1.	अश्वनी कुमार	13-6-2003
		2.	सजय राय	13-6-2003
		3.	बीर सिंह कालीरावणा	13-6-2003
		4.	सतबीर सिंह लोहचब	13-6-2003
		5.	सुभाष श्योरायण	13-6-2003
		6.	औम प्रकाश शर्मा	13-6-2003
		7.	सुशील कुमार	13-6-2003
		8.	अमरदीप जैन	13-6-2003
	क–II	1.	प्रताप सिंह	13-6-2003
		2.	बीर सिंह	13-6-2003
		3.	डी०आर० कैरों	13-6-2003

		4.	उमेद सिंह मोहन	13-6-2003
		5.	परवेश कुमार	13-6-2003
		6.	अशोक कुमार	13-6-2003
	ग	1.	ओम प्रकाश	13-6-2003
		2.	राजीव अहलावत	13-6-2003
		3.	विक्रम सिंह मलिक	13-6-2003
		4.	सुरेश कुमार	13-6-2003
2003	क–I	1	अनुराग ढालिया	4-10-2004
		2.	रमेश कुमार काजल	4-10-2004
		3.	बलराज जाखड़	4-10-2004
		4.	मनजीत सिंह	4-10-2004
		5.	सुभाष चन्द्र गाबा	4-10-2004
		6.	मांगे राम डुल	4-10-2004

		7.	सतीश कुमार	4-10-2004
		8.	संत लाल पचार	4-10-2004
	क–II	1.	श्रवण कुमार	4-10-2004
		2.	विरेन्द्र सिंह	4-10-2004
		3.	देवी लाल सिहाग	4-10-2004
		4.	सुरेश कुमार चहल	4-10-2004
		5.	पृथ्वी सिंह	4-10-2004
		6.	नवीन कुमार आसूजा	4-10-2004
	ग	1.	होशियार सिंह सिवाच	4-10-2004
		2.	सुभाष चन्द्र सिहाग	4-10-2004
		3.	सतीश कुमार जैन	4-10-2004

		4.	योगेश कुमार मेहता	4-10-2004
		5.	बलजीत सिंह	4-10-2004

(छ) श्री राम नाथ, सचिव, नगरपालिका समिति, हिसार की नियुक्ति 1994 में हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में विशेष भर्ती के माध्यम से की गई थी। श्री प्रताप सिंह, लिपिक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला की नियुक्ति 2003 मे तथा श्री श्रवण कुमार, सहायक सचिव, हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की नियुक्ति 2004 में हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में पंजिका क–।। से की गई थी।

(ग) कर्मचारियों की नियुक्ति समय–समय पर यथा संशोधित पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 1930, के द्वारा शासित थी।

(घ) उक्त (क) में वर्णित कर्मचारियों की नियुक्ति उस समय लागू नियमानुसार की गई थी सिवाय श्री राम नाथ, जो कि सचिव नगरपालिका समिति थे और जिनका नाम सिविल याचिका संख्या 4176/1994–राम नाथ बनाम हरियाणा सरकार आदि में माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के सम्मुख दिनांक 4–4–1994 को तत्कालीन महाधिवक्ता, हरियाणा द्वारा दी गई अंडरटेकिंग के आधार पर सरकार द्वारा विचारा गया था। तथापि, वर्ष 1994 में 30 उम्मीदवारों की विशेष भर्ती जिस में श्री रामनाथ

का नाम भी शामिल है इस समय माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के सम्मुख दायर 14 सिविल याचिकाओं में लम्बित है।

Policy of H.S.A.M.B. for repair of roads

***865. Shri Bhupinder Chaudhary :** Will the Agriculture Minister be pleased to state the existing policy of the Haryana State Agricultural Marketing Board for the repair of roads ?

कृषि मन्त्री (सरदार एच०एस० चड्ढा): हां, श्रीमान जी, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बोर्ड की सडको की मरम्मत बारे नीति हाउस के पटल पर रखी जाती है।

नीति

मार्किटिंग बोर्ड मार्किट कमेटियो द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत की नीति 17– 8–95 की बोर्ड की बैठक मे स्वीकृत की गई थी जिसमे निम्नलिखित दो प्रकार की सडकों की मरम्मत शुरू करने बारे निर्णय लिया गया था।

1 वार्षिक रखरखाव/मरम्मतः––

वार्षिक रखरखाव/मरम्मत में बरम सबको के पैच कार्य, पुलियों की मरम्मत, किलोमीटर पत्थरों पर रोगन व साईन बोर्ड इत्यादि को सम्मिलित किया गया था। सड़कों की वार्षिक मरम्मत

व रखरखाव का कार्य लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) के नियमों के आधार पर लगातार करवाया जायेगा।

2. विशेष मरम्मतः–

विशेष मरम्मत का कार्य लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडके) के नियमो के आधार पर स्थिति के अनुसार बनाये गये अनुमान के आधार पर करवाये जाएंगे यह मरम्मत भारी पैच वर्क चौडाई वियरिंग कोट के अतिरिक्त परिमिक्स कारपेट इत्यादि के साथ करवाये जायेंगे।

Replacement of Obsolete electricity wires

*906. **Shri Sahida Khan :** Will the Power Minister be pleased to state —

(a) Whether there is any scheme of the Government to replace the obsolete electricity wires with the new electricity wires; and

(b) If so, the name of the places in district Mewat where the obsolete electricity wires have been replaced with new wires during the last two years to date together with the total length thereof ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला):

(क) ही श्रीमान् जहाँ–जहाँ आवश्यकता है, वहाँ–वहाँ बिजली कम्पनियां अपने सामान्य परिचालन कार्य के अन्तर्गत बिजली की पुरानी हो चुकी तारो को नई तारो से बदल रही हैं।

(ख) जिला मेवात में पिछले दो वर्षो में जहाॅ–जहाँ पुरानी तारो को नई तारों से बदला गया है, उन फीडरों/स्थानों का विवरण निम्न प्रकार है:

क्रमाक	11के वी फीडर	उपकेन्द्र का नाम	बदली गई तारो की लम्बाई (कि०मी०)				लाभान्वित गांवों की संख्या
			2006–07		2007–08		
			11 के वी	0.433 वोल्ट	11 के वी	0.433 वोल्ट	
1	उजिना	66 के वी नूंह	31.300	8.200			21
2.	अगोन	33 के वी फिरोजपुर झिरका	32.425	9.875			17
3.	शाहचौखा	66 के वी पुन्हाना	34.280	8.720			27
4.	मालब	66 के वी नूह			32.750	9.650	23

5.	साकरस	66 के वी नगीना			32.400	7.900	8
6.	रनियाला	33 के वी फिरोजपुर झिरका			31.600	6.200	21
7.	सिंगार	66 के वी पुन्हाना			30.850	8.750	14
		योग	98.005	26.795	127.60	32.500	131

कुल तारे जो 2006–07 में बदली गई = 124.800 कि०मी०

कुल तारे जो 2007–08 में बदली गई = 160.100 कि०मी०

कुल तारे जो बीते दो वर्षीमें बदली गई = 284.900 कि०मी०

2006–07 में तारो को बदलने का खर्च = रुपए 59.90 लाख

2007–08 में तारो को बदलने का खर्च = रुपए 76.85 लाख

बीते दो वर्षो में तारों को बदलनेका खर्च = रुपए 136. 75 लाख

Settlement of Gadia Lohar (Dhey) in Bhiwani

***871 Dr. Shiv Shankar Bhardwaj** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide proper settlement and other facilities such as ration cards and Voter ID-Cards to the Gadia Lohar (Dhey) of Bhiwani ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री ए०सी० चौधरी): भिवानी में गाडिया लोहार व ढेय जातियों के पुनर्वास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

गाडिया लोहार जाति के 40 व्यक्तियों तथा देय जाति के 146 व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी किये गये हैं।

गाडिया लोहार जाति के 43 व्यक्तियों तथा देय जाति के 14 व्यक्तियों के मतदाता पहचान पत्र बनाये गये हैं।

Widening and repair of Tosham-Behal-Sudiwas road

***922. Shri Somvir Singh :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state—

(a) whether the widening and repair work of the Tosham-Behal-Sudiwas road was handed over to any Company/Contractor; if so, the reasons for delay in execution of the said work; and

(b) the time by which the widening and repair work of the road as referred to in part (a) above is likely to be completed ?

सिंचाई मन्त्री (कैप्टन अजय सिंह यादव):

(क) तथा (ख)

हां, श्रीमान् जी। इस सड़क के निर्माण का कार्य अलग–अलग तौर पर भिवानी मण्डल के लिये दिनांक 15 – 4–2005 को तथा चरखी–दादरी मण्डल के लिये 22 – 7 – 2005 को श्री करतार सिंह ठेकेदार को आबंटित किया गया था। कार्य को गुणवता मुद्दे के कारण 11/2005 में रोक दिया गया था। कार्य से जुडे हुये मुद्दो का समाधान किया जा रहा है तथा कार्य जल्द ही आरम्भ होने की संभावना है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Amount Spent on conducting the Examination of H.C.S.

112. Shri. Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the amount spent on the conducting of the Examination of Haryana Civil Services and Other Allied Services held in December, 2000 and January, 2001 togetherwith details of amount given/spent on paper setting and for marking the Answer-Sheets;

(b) the amount of T.A. and D.A. drawn by the Secretary and Chairman/ Members of Haryana Public Service

Commission in connection of (a) above; and

(c) the names with designation and full addresses of Examiners and of those who set the papers of examinations as mentioned in (a) above ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुथना के अनुसार वर्ष 2000–01 मे हुई हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) तथा अन्य अलाईड सेवाएं की परीक्षाओ के संचालन में पेपर सैटिंग और उत्तर पुस्तिकाओं की प्रिटिंग तथा मार्किग को छोडकर कुज आम खर्चा 20,68,249/– रुपये हुआ है। आयोग ने उक्त परीक्षा के पेपर सैटिंग, प्रश्न पत्रों का प्रकाशन तथा उत्तर पुस्तिकाओ की मार्किग के बारे कोई सूचना नहीं भेजी है।

(ख) दिनांक 3– 11 –2000 से 4–9–2001 तक तत्कालीन सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग के यात्रा भत्तों तथा दैनिक भत्तों पर कुल 2,00,676/– रुपये खर्च हुए हैं। आयोग द्वारा अध्यक्ष/सदस्यो, हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे वांछित सूचना नहीं दी गई है। (ग) आयोग ने परीक्षको के नाम, पेपर सैटिंग तथा प्रश्न पुस्तिकाओं की छपवाई तथा उत्तर पुस्तिकाओ की मार्किग के कार्य को अति संवेदनशील तथा गोपनीय बताते हुए इनसे सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने से इन्कार किया है। आगे आयोग ने यह भी दावा किया है कि इस परीक्षा के आधार पर हुए चयन को पजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय मे याचिका नं०

15390/2002 – कर्ण सिंह दलाल बनाम हरियाणा सरकार व अन्य द्वारा चुनौती दी हुई है, जिसकी सुनवाई दिनांक 19–3–2008 को निश्चित है। इस प्रकार मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

अनुपस्थिति के बारे में सूचना

Mr. Speaker : Hon' ble Members, I am to inform the House that **I** have received a letter from Smt. Kiran Chaudhary, Minister of State for Forests and Tourism dated 12th March, 2008 vide which she has stated that she is unable to attend the sitting of the House due to illness of her mother.

अनुपस्थिति की अनुमति

Mr.. Speaker : Hon'ble Members, I have received Leave of Absence dated 12th March, 2008 from Shri Bharat Singh Chokkar, M.L.A. which reads as under :-

"Respected Sir,

I have the honour to request to grant me leave on 13th and 14th, March, 2008 as my wife is sick. So, I will not be able to attend the Session on 13th and 14th March, 2008.

Thanking You".

Mr. Speaker : Question is—

That permission for leave of absence from 13th and 14th March, 2008 for the Budget Session be granted .

Volces : Yes, yes.

The motion was granted.

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

डा० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, मैडिकल कॉलेज से सम्बन्धित मेरी एक कॉलिंग अटैंशन मोशन. पी०जी० एण्ट्रैंस एग्जाम से सम्बन्धित थी, उसका क्या फेट है?

श्री अध्यक्ष: डॉक्टर साहब ऐसा है कि आपकी कॉलिंग अटैंशन मोशन regarding severe damage of crops due to heavy cold/pala, has been disallowed and your second calling attention notice regarding high-handedness/bungling in post-graduate entrance examination of Haryana Medical Colleges, has been sent to the Government for comments. Within 72 hours उसका जवाब आ जाएगा। वैसे हाउस इतने लम्बे समय तक चलेगा आप इस विषय पर किसी भी समय बोल सकते हैं।

डा० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और अरजैंट मैटर है और इसे दिए हुए भी 3–4 दिन हो गए हैं। लोग वहां पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हस्पताल में मरीज आ रहे हैं उनको बड़ी भारी दिक्कत है। सर, यह बड़ा अरजैंट मैटर है और आप कह रहे हैं कि इसमे 72 घण्टे मे जवाब आ जाएगा।

बिजली मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से डॉ० साहब से जानना चाहूंगा कि क्या ये खुद किसी पेशैंट से एक बार भी मिल कर आए हैं।

(विघ्न) ये चिन्ता न करें इनकी कॉलिंग अटैंशन मोशन का जवाब इनको दे दिया जाएगा।

डॉ० सीता रामः स्पीकर सर, यह किसी मरीज कै। मिलने जाने की बात नही है। हमे किसी प्रकार का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। उनकी बात को उठाने का हमें हक है और जो उचित माध्यम –है वहीं पर हमें अपनी बात उठानी चाहिए। इनकी तरह वहां पर जा कर हमे ड्रामा करने की जरूरत नहीं

श्री अध्यक्ष डॉ० साहब, कल मैंने आपको गवर्नर एड्रैस पर बोलने के लिए समय दिया था। तो उस वक्त आपके लीडर ने यह कहा था कि ये गवर्नर एड्रैस पर क्या बोलेंगे (विघ्न) आपने जो मुडा कॉलिंग अटैंशन मोशन मैं दिया है वह आप गवर्नर एड्रैस पर बोलते हुए कल भी कवर कर सकते थे लेकिन कल आपने बोलने से मना कर दिया था। कल आप कुछ नहीं बोले।

डा सीता रामः ....

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (विघ्न) डॉ० साहब, आपकी कॉलिंग अटैंशन मोशन आई हुई है और उसका भी एक प्रोसीजर है। आपकी कॉलिंग मोशन का जवाब मैं तो नहीं दूंगा। आपकी कॉलिंग अटैंशन मोशन सरकार के पास फैक्टस वैरिफिकेशन के लिए भेजी हुई है। सरकार की तरफ से जो भी जवाब आएगा वह आपको बता दिया जाएगा।

डा० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मेरी दो कॉलिंग अटैंशन मोशन्ज थी। One was regarding shortage of power in the State and the second was regarding situation arising out due to scarcity of domestic gas in the State. जो कि बहुत जरूरी मामलो से सम्बन्धित हैं जिनके कारण प्रदेश में त्राहि–त्राहि मची हुई है। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम इन सभी बातों को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं इस बारे में यह पूछना चाहता हूं कि इनका क्या केट है?

Mr. Speaker : Indora 1i, your Calling Attention Motions have already been disallowed and the reasons thereof have been communicated to you. जब रीजन ऑफ रिजैक्शन आपके पास आ गये हैं, उसके बावजूद भी आप इस बारे में यहां पर बोल रहे हैं। आप बैठ जाएं।

डी०ए०वी० कॉलेज, सढौरा के छात्रों का अभिनन्दन

बिजली मन्त्री (श्री रणदीप सिह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, डी०ए०वी० कॉलेज, सढौरा के छात्र यहां दर्शक दीर्घा में मौजूदा हैं। ये विद्यार्थी देश की अगली पीढी हैं, देश का भविष्य हैं, यहां आने पर हम उनका स्वागत करते है।

आगरा नहर के प्रशासनिक नियंत्रण सबंधी गैर–सरकारी संकल्प

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Karan Singh Dalai will move his non-official resolution.

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं ––

'कि यह सदन राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि हरियाणा प्रदेश के क्षेत्र को पानी के हिस्से की उचित तथा सुनिश्चित पूर्ति के लिए आगरा नहर की कार्यकारिणी पर प्रशासनिक नियन्त्रण रखने के लिए कोई क्रियाविधि निकाली जाए।''

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House recommends to the State Government that some mechanism may be evolved to have the administrative control over the functioning of Agra Canal for proper and assured supply of share of water to the territory of Haryana State.

11.00 बजे

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, आज गैर– सरकारी काम काज का दिन है और मैंने एक गैर–सरकारी संकल्प दिया है और इस पर आपने मुझे बोलने का समय दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह आगरा कैनाल 1896 मे अंग्रेजी हकूमत के दौरान बनी थी। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारा जिला फरीदाबाद जो कि पहले जिला गुडगांव हुआ करता था। उस वक्त इस आगरा कैनाल की मार्फत हमारे पुराने गुडगांव जिले के किसानो को पीने का पानी मुहैया

करवाया जाता था। अध्यक्ष महोदय, इस नहर के बनने सो हमारे पुराने गुडगांव जिले के लोगो ने एक खुशहाली देखी और उस पुराने गुडगांव जिले के 3 जिले फरीदाबाद, मेवात और गुडगांव बने। अध्यक्ष महोदय, इस आगरा कैनाल में 4000 क्यूसिक पानी की क्षमता है। अध्यक्ष महोदय, 4000 क्यूसिक पानी डब्ल्यू०जे०सी० सिस्टम से आता है। अध्यक्ष महोदय, यह पानी ताजेवाला हैडवर्कस से चलता है और इसमें हिंडन नदी भी जोडी गई है। ओखला बैराज में यह पानी रोकते हैं। अध्यक्ष महोदय, ओखला बैराज से 3 जगहो के लिए पानी का बंटवारा किया जाता है। पहले बंटवारे में यह पानी गुडगांव के लिए दिया जाता है और यह पानी फरीदाबाद से गुडगांव होते हुए राजस्थान जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस नहर का निर्माण संयुक्त पंजाब के वक्त में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पिता श्री रणबीर सिंह जी के वक्त में हुआ था। दूसरे बंटवारे में यह चार हजार क्यूसिंक पानी हमारे जिले फरीदाबाद से होते हुए आगरा कैनाल तक जाता है। अध्यक्ष महोदय, यमुना के पानी का बंटवारा भी ओखला बैराज से होता है। अध्याक्ष महोदय, जितने भी पुराने गुडगांव के माननीय सदस्य यहां पर आते रहे हैं उन्होने यहां सदन में हमेशा इस बारे मे जिक्र किया है। हमारी विडम्बना है कि तमाम हरियाणा की जितनी भी नदियों के पानी के बंटवारे हुए हैं वे सही नहीं हुए हैं। उन पर हमेशा ही ट्रिब्यूनल बने हैं, उन पर हमेशा हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट मे याचिकाएं डाली गई हैं और हरियाणा मे नदियो के पानी पर संघर्ष हुआ है। हरियाणा मे नदियों वेय पानी पर हमेशा राजनीति की गई है। हमें इस बात का

दुःख है कि जिला फरीदाबाद जो हरियाणा का सबसे बडा जिला है, उस के किसानों के पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे उनके खेत मे पानी पहुच सके। ' इतनी बडी मात्रा वाली यानि चार हजार क्यूसिक पानी की नहरे अगर हरियाणा मे गिनी जाएं जो बहुत कम हरियाणा के अंदर से ऐसी नहरे गुजरती हुई दिखायी देंगी जिनके अंदर चार हजार क्यूसिक पानी चलता हो। अध्यक्ष महोदय, जब प्रदेश का बंटवारा हुआ, जब यह देश आजाद हुआ तथा जब स्टेट रिआर्गेनाइजेशन ऐक्ट के तहत स्टेट्स बनी उसके बाद यू०पी० और हरियाणा में पानी के बंटवारे मे हमारा अधिकार कितना होगा, इस बारे में आज तक कोई फैसला नहीं किया गया। इसका नतीजा और खामियाजा हम और हमारे बच्चे आज तक भुगत रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब यहां पर बैठे नहीं हैं लेकिन नूहं के विधायक श्री हबीब–उर–रहमान जी यहां पर बैठे हुए हैं उनको सारे हालात का पता है। अध्यक्ष महोदय, आप मेवात की हालत जाकर देखिए। मेवात के एरियाज मे किसी जमाने में आगरा कैनाल का पानी जाया करता था, जिसके कारण वहां के एरियाज मे खुशहाली नजर आया करती थी। उस समय यहां के किसान गन्ना उगाया करते थे क्योकि उस समय वहां के रजबाहों में पानी चलता था। जब उन रजबाहो में पानी चलता था तो वहां की धरती के अंदर से मीठा पानी निकलता था, लेकिन उस मेवात के एरियाज मे जहां कभी वहां रजबाहों के माध्यम से पानी पहुंचता था जिसके कारण कभी वहां खुशहाली हमारे देश और प्रदेश के लोगों ने देखी, वहां आज यह हालत है कि आगरा कैनाल के पानी

के बंटवारे की कोई सही व्यवस्था न होने की वजह से मेवात के एरियाज की हालत बहुत बुरी है। मेवात को तो आप छोडिए बल्कि फरीदाबाद के हमारे वे इलाके जहां के०पर से आगरा कैनाल का पानी चलता है, वहां पर भी यू०पी० के अधिकारी हमारी बात को नहीं मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है कि तमाम हरियाणा मे जो हमारा सिंचाई विभाग है वह किसानो को पानी भी देता है और आबियाना भी माफ करता है वहीं दूसरी तरफ आप हमारी दुर्दशा देखिए कि जिला फरीदाबाद में आगरा कैनाल का पानी तो हमें मिलता नहीं है उल्टे यू०पी० के अधिकारी हमसे आबियाना वसूल करने की जिद करते हैं। चूंकि आगरा कैनाल का पानी फरीदाबाद के लोगों को नहीं मिलता है बल्कि उल्टे उनसे आबियाना मांगा जाता है जिसके कारण किसानों मे नाराजगी होती है और इसकी वजह, से ही वहां पर प्रशासन और किसानों में आपस मे मुठभेड़ होने की नौबत भी आ जाती है। मैं आपके माध्यम से सदन से और सरकार से निवेदन करता हूं कि जहां हम हरियाणा की तमाम नदियों के पानी के बारे मे एक जुट होकर संघर्ष को आगे बढाऐ और पूरा प्रयास करें कि हमें हमारा पूरा पानी मिलें। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा की सरकार ने पानी के समान बंटवारे के लिए हांसी बुटाना लिक कैनाल तक का निर्माण भी करवाया है जोकि अच्छी बात है क्योंकि इससे दक्षिणी हरियाणा के जिले, जिसमे अध्यक्ष महोदय, आपका जिला और फरीदाबाद, भिवानी, महेन्द्रगढ, रोहतक, सोनीपत, करनाल और कुछ कुरुक्षेत्र जिले के हिस्सो तक को पानी मिलेगा।

यह एक बहुत ही अच्छा प्रयास हुआ है जिसके कारण आज हरियाणा के लोग मुख्यमत्री जी की और हरियाणा सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन कुछ लोग पानी के नाम पर राजनीति भी करते आए हैं। मुझे इस बात का खेद है कि आज जब आगरा कैनाल पर चर्चा होनी थी तो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनको आज सदन में हाजिर होना चाहिए था, वह हाजिर नहीं है जबकि वे बहुत लम्बे असे तक मुख्यमंत्री रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है कि जब पिछली सरकार, यानि श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के राज मे आगरा कैनाल से हमें न के बराबर पानी मिला तो उस समय हम आपके साथ बैठकर विधान सभा मे शोर मचाया करते थे। उन दिनों के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी को शायद इस बात मे आनन्द आता था कि फरीदाबाद से जहां से मेरे जैसे विधायक बनते आ रहे है और अपने फर्ज को पूरा कर रहे हैं एवं लोगो की दुख तकलीफो को विधान सभा में रखते हैं, वह उनको पसन्द नहीं आती थी। उस समय जब मैं उनके काले कारनामों को विधान सभा में उजागर करता था, उनकी गुस्ताखियो की चर्चा जब मैं पत्रकार भाईयों के सामने और विधान सभा के सामने रखता था तो जस तकलीफ को देखकर ओम प्रकाश चौटाला जी और उनकी सरकार जानबूझकर हमारे इलाके के लोगों को सजा देने का काम किया करती थी। इसी कारण ही उस सरकार ने आगरा कैनाल से हमारे –यहां के किसानों को पानी नहीं लेने दिया। अध्यक्ष महोदय, आज वहीं पर बहुत खराब हालत है। यदि हम वहां के किसान के खेत के पानी

की भी बात न करें तो यह सही नहीं होगा। हमारे जिले के साथी विधायक भी यहां पर बैठे हैं। चौधरी महेन्द्र प्रताप जी, चौधरी उदय भान जी, चौधरी हर्ष कुमार जी ओंर हमारे मैवात के इलाके से विधायक यहां बैठे हुए है। उनसे भी इस बारे मे आप दरयाफ्त कर सकते हैं, उनसे ये सरकार पूछ सकती है, बातचीत कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, उन रजबाहों में पानी न होने की वजह से आज हमारे एरिया मे हालात यह हैं कि 15– 15 हजार की आबादी वाले गांवो मे पानी नहीं चलता है। धरती के नीचे अंडरग्राउंड वॉटर की रीचार्जिग नहीं हो पा रही है जिस वजह से आज हालात यह हैं कि हमारे गांवों में हमारे बच्चों को, हमारी बहू बेटियों को पीने के पानी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, पानी का रजबाहो में, नहरो में पानी की कमी की वजह से न दे पाना, एक अलग बात है। अगर सरकार यह कहे कि पानी की कमी है इसलिए पानी नहीं दे पा रहे हैं तो यह अलग बात होती है लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारी छाती के०पर से यह पानी जाता है और हम देखते रहते हैं कि यह पानी यू०पी० के लिए और आगरा के लिए जा रहा है। तो इस सरकार से मेरा निवेदन हे कि हमारे इलाके पर इस सरकार को कृपा करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आगरा कैनाल के 51 रजबाहे हैं। माननीय मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव जी यहां बैठे हुए हैं अगर ये अपने अधिकारियों से रिकार्ड मंगाकर उसकी तहकीकात करें और देखे तो इनके सामने जो तथ्य इस बारे में आएंगे, वे चौंकाने वाले होगे? यह आगरा कैनाल 1896 में अंग्रेजी हकूमत के समय

बनी थी और उसमें डेढ लाख एकड का कमांड एरिया हमारे जिले का होता था। जो पुराना गुडगांव जिला था उस के डेक लाख एकड की बाकायदा रजबाहो के मार्फत सिंचाई हुआ करती थी और हमारे इलाके को भी वह पानी मिलता था लेकिन आज वही पानी है, वही नहर है, वही खेत हैं लेकिन आज 20 हजार एकड़ से ज्यादा हमारे एरिया की सिंचाई भी नहीं हो पा रही हे। जिसका नतीजा यह निकला कि हमारी कृषि का उत्पादन घट रहा है और सिंचाई के अभाव ने लोग गांवों में बेरोजगार बैठे हुए हैं। जैसा मैने बताया कि जो अंडरग्राउंड वॉटर है उसकी रीचार्जिग न होने की वजह से हमारी बहन बेटियो को इस समस्या का बहुत सामना करना पड रहा है। अगर इस बारे मे हरियाणा सरकार थोडा सा प्रयास करे तो इसमे कई बातें ऐसी हो सकती हैं जिनके लिए न तो उत्तरप्रदेशसे झगडा करने की कोई जरूरत है न कोई बड़ा प्रयास करने की जरूरत है। मुझे याद है कि जब यह बात मैंने मुख्यमंत्री जी को बताई थी तो उन्होने तय किया था कि यदि उन्हे स्वयं भी वहा जाना पडा तो भी जाकर बात करेगे। इस आगरा कैनाल का जो हैड वर्क्स है वह मेरे नेटिव गांव किठवाडी मे पडता हे लेकिन उस पर जो अधिकारी बैठे हैं वे हरियाणा सरकार के नहीं हैं। उसके०पर जो अधिकारी बैठते हैं वे यू०पी० के बैठते है। हमारा वहां नियंत्रण न होने की वजह से वहां पर बहुत अफरातफरी मची रहती है। वे अधिकारी जब उनकी मर्जी होती है तब वहां आते हैं और उनकी ही मर्जी होती है कि वे क्या फैसला ले, क्या न ले। जब चौधरी बसी लाल की सरकार थी तो

मे उस सरकार मे मंत्री था और चौधरी हर्ष कुमार जी बाद मे मंत्री बने थे। चौधरी हर्ष कुमार के इस महकमे के मंत्री बनने से पहले आगरा कैनाल के बारे मे चौधरी बंसी लाल जी ने एक व्यवस्था करा कर दी थी, उस व्यवस्था से हमें बहुत बडा रिलीफ मिला था। उन्होने यू०पी० के अधिकारियों के साथ बैठकर फैसला करवाया था कि जितने रजबाहे हैं, उन रजबाहो का एक किलोमीटर का एरिया छोड़कर रजबाहे की सफाई और उसकी खुदाई इत्यादि हरियाणा सरकार करेगी। वर्ष 1997 में यू०पी० के अधिकारियो के साथ बैठकर हमारे अधिकारियो ने इस बारे मे बातचीत की थी। जो यह बातचीत हुई थी यह सरकार के स्तर पर नहीं हुई थी, अधिकारियो के स्तर पर हुई थी जिसकी वजह से उस रिकार्ड को संभालकर रखना हमने इतना मुनासिब नहीं समझा। यदि उस वक्त इस व्यवस्था को अंजाम दे पाते तो काफी पानी हमारी रबी और खरीफ की फसल के लिए हमारे जिला फरीदाबाद और मेवात एरिया के किसानो को मिलता। उसका नाजायज फायदा उठाकर के यू०पी० की सरकार की तो मैं नहीं कहता लेकिन उनके अधिकारी है वे न तो हमे रबी की फसल के समय पानी देते हैं और न ही खरीफ की फसल के समय पानी देना चाहते और कई दफा तो झगड़े की नौबत आ जाती है क्योकि किसान किठवाडी हैड वीयर पर इकट्ठे हो जाते हैं और उधर से यू०पी० के किसान आ जाते हैं। क्योकि वहां का कुछ एरिया यू०पी० के अन्दर पडता हे वहां पर यू०पी० के अधिकारी आते है। यह इतना बड़ा मामला नहों है। मैं आपके माध्यम से सिचाई मंत्री जी से अनुरोध करना

चाह,। हूं कि वे अपने महकमे के अधिकारियों के साथ बैठकर उनसे यह बात करे कि आखिर क्यों इस बारे में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है। हरियाणा का चीफ इंजीनियर और यू०पी० का चीफ इर्जीनियर कोई ऐसी व्यवस्था करे कि वे हर महीने एक दफा आपस में मिला करें और पानी के बटवारे के बारे मे आपस मे बात किया करे। अध्यक्ष महोदय, जो किठवाडी हैड वीयर है वहां अगर साढे आठ फीट का वॉटर लेवल ये मेनटेन कर सकते है तो यू०पी० सरकार को और यू०पी० के किसानो को इससे कोई नुकसान नही होगा। अगर इतनी व्यवस्था कर दी जाती है तो हमारे रजबाहे, जैसे हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी, होडल डिस्ट्रीब्यूटरी, हथीन डिस्ट्रीब्यूटरी, पलवल डिस्द्रीब्यूटरी, जनौला डिस्ट्रीब्यूटरी, अलावलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी पर पानी चलने लग जायेगा। लेकिन इन यू०पी० के अधिकारियो की आदत खराब हो गई है। किसान उन अधिकारियो से पानी छोड़ने के लिए मिन्नते करते हैं और उन अधिकारियों को रिश्वत देने 'के चक्कर मे पड़ जाते हैं, क्योकि इस बारे मे कोई व्यवस्था नहीं है। किठवाडी हैड वीयर पर जो अधिकारी हैं वे यह उम्मीद करते है कि फरीदाबाद के आस–पास के गांवों के लोग आयेंगे और उनको रिश्वत देगे तभी वे पीने के लिए पानी छोडेगे। इस सारी व्यवस्था को सरकार के द्वारा ठीक किए बगैर गुजारा नहीं है। स्पीकर सर, जैसा कि हम कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने तो हरियाणा के किसानों का आबियाना माफ कर दिया है लेकिन जिला फरीदाबाद, मेवात और गुड़गांव के जिलो के किसानो को आगरा कैनाल के पानी के

बदले यू०पी० सरकार को आबियाना देना पडता है। इसलिए इन जिलो के किसानो का आबियाना भी सरकार को माफ करना चाहिए क्योकि उन किसानो ने ऐसा क्या किया हे कि वे अकेले तो आबियाना दे और बाकी प्रदेश के किसानो का आबियाना माफ हो जाये। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि जो पानी आगरा नहर मे आ रहा है वह बहुत दूषित पानी है, उस पानी मे दुर्ग्दन्ध बढ़ी हुई है क्योकि उस आगरा नहर मे कारखानो के एफ्लूऐट ट्रीटमैट प्लाटो का पानी डाला जाता है। इसी प्रकार दिल्ली के आसपास और उत्तरप्रदेश के कारखानों का पानी भी इस नहर मे डाला जाता है जिससे यह पानी दूषित हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, एक जमाना था कि इस आगरा नहर का पानी इतना साफ हुआ करता था कि गांव के आदमी इस नहर मे नहाते थे, पानी करते थे और कपडे घोसा करते थे, मैं सिचाई मंत्री कैप्टन अजय सिह यादव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इनको इस बात के लिए गौर करना चाहिए कि हमारे प्रदेश देन लोगो को साफ पानी मिलता रहे! जो इस नहर मे पानी आ रहा है उसमे बहुत दुर्गन्ध आ रही है, रसायन आ रहा है क्योकि कारखानों का गन्दा पानी इसमे उाा रहा है। जो आगरा कैनाल के आस पास के गावों मे बसे हुए हैं और इन रजबाहो के आसपास गाव बसे हुए है, उन लोगो को इस पानी की वजह से, गन्दा पानी मिल रहा हुँ। जो धरती के नीचे पानी है उस पानी मे भी यह गन्दा पानी मिल रहा है जिससे वह पानी भी दूषित हो गया है। अध्यक्ष महोदय, सिचाई मंत्री इस बात के लिए जरूर हा करे और

वे इरा बारे मे पता करे कि कारखानेदार अपने कारखानो का गन्दा पानी इस नहर मे क्यो डाल रहे है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान मे भी यह लिखा हुआ है कि इस देश मे रहने वाले हर इन्सान को स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली से 60 किलोमीटर के दायरे मे बसे हुए लोगो के साथ द्तना बडा अन्याय हो रहा है और इस तरह का गंदा पानी नहर के मार्फत चलाकर लोगो की सेहत के साथ खिलवाड करने का अपराध हो रहा है, इसके०पर अंकुश लगाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मै निवेदन कर रहा था कि सिचाई मंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि क्या ये यू० पी० की सरकार से इस मामले मे बात करेगे कि इस इलाके के लोगो का आबियाना माफ हो और अगर यू० पी० की सरकार इस पर हां –नहीं करती है तो उस आबियाने को हरियाणा सरकार भरे। जब तमाम हरियाणा मे आबियाना माफ कर दिया गया हे तो हमारे जिले के लोगो ने ऐसा क्या बिगाड़ा है। हमारे जिले का आबियाना भी माफ होना चाहिए और अगर माफ नहीं होता तो हरियाणा सरकार इस आबियाने को भरे। जहां तक पानी के बटवारे की बात है मुझे इस बात का खेद है और मैं मंत्री जी रो हैरन बात की शिकायत करता हू कि जैसा कि मै आपको बता रहा था कि जो पानी यमुना मे चलता है और गुडगांव नहर मे चलता है उस नहर की कैपेसिटी 3 हजार क्यूसिक पानी की है लेकिन उसमे मुश्किल से 300 क्यूसिक पानी डालते हैं और उस 300 क्यूसिक मे से 100 क्यूसिक तो फरीदाबाद थर्मल प्लाट को दे देते है बाकी 200 क्यूसिक पानी बताइए कि कितने

किसानो की भरपाई कर पाएगा। पानी का जो हैड है वह ओखला बैराज पर है, इस ओखला बैराज के०पर यू०पी० के अधिकारियो का नियंत्रण है, दिल्ली पर भी उनका नियत्रण है, हरियाणा मे भी उनका नियत्रण है और महकमे का ठीक रवेया न होने की वजह से 3–4 जिले बहुत बडा नुकसान झेल रहे है। अध्यक्ष महोदय, जब बारिश आती है तो बारिश का पानी इतने भयावह तरीके से यमुना के अदर चलता है कि वह पानी ताजेवाला हैड से तमाम हरियाणा मे से गुजरता हुआ जाता है जिसकी वजह से यमुना के किनारे बसे हुए गावो को खाली करवाया जाता है। शासन प्रशासन भाग–भाग कर लोगो को पानी के नुकसान से बचाने की कोशिश करता है। वही यमुना का पानी दिल्ली से आगे बढकर हमारे जिला फरीदाबाद मे आता है और यह हालत हो जाती है कि तूफानी पानी उबलता हुआ, बहुत भयावह तरीके से गांवो को उजाडते हुए हमारे जिले मे से गुजरता है तो कग आपका महकमा यह प्रयास नहीं कर सकता कि उस पानी को यमुना मे चलाने की बजाय मेहरबानी करके आगरा कैनाल मे डलवा करके फिर रजबाहो और नालो मे डलवा दे जिससे आप हमारे किसानो की जब उनको गेहूं की फसल के समय पानी की किल्लत होती है वह दूर कर सकते है। इसमे उत्तर प्रदेश को भी कोई ऐतराज नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश को कम से कम बारिश के दिनो मे, चौमासे के दिनो मे तो ऐतराज नहीं है क्योकि यमुना मे जो पानी चलता है वह चलकर समुद्र में मिलता है और रास्ते मे तमाम गावो को बरबाद करता है और फसलो को बरबाद करता है। अध्यक्ष महोदय, कैप्टन अजय

सिह यादव जी यह काम तो कर सकते है और सदन को आश्वस्त कर सकते है कि बारिश के फालतू पानी को ये आगरा कैनाल और गुडगाव कैनाल मे ओखला बैराज के मार्फत डालें और निश्चित करे कि वहां पानी का बटवारा इस तरीके से करेगे कि जो समुद्र मे पानी जा रहा है और यमुना के किनारे बसे हुए गांवो को उजाड रहा है, उस पानी को आगरा कैनाल मे डिस्ट्रीब्यूट्रीज की मार्फत डालेगे। हमारे नाले, उजीना डायवर्शन ड्रे़न, गोछी मेन ड्रेन, जलौनी ड्रेन और न जाने कितनी ड्रेने हमारे जिले और मेवात मे बनी हुई है, अगर बारिश मे उस पानी को इन डेनो मे डाल दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हू कि हमारे गावो को बहुत फायदा होगा। इसमे सरकार का कोई नुकसान नहीं है बल्कि सरकार का फायदा है। अगर बारिश मे इन ड़ेनो मे और रजबाहो मे पानी डलवा दिया जाए तो अध्यक्ष महोदय मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह पानी मेवात तक धरती के पानी को मीठा कर देगा और बारिश मे क्योकि पानी ज्यादा आता है, कारखानो का गंदा पानी भी हल्का हो जाता है, स्वच्छ पानी हमारे रजबाहो और नालो मे चलकर हमारे किसानो को जीवनदान दे सकता है और धरती के पानी की व्यवस्था को ठीक कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब को यह तो करना ही चाहिए। कैप्टन जी रिवाडी के इलाके मे पानी ले जाए तो हमे खुशी होगी कि हमारे भाई रेतीले इलाको मे पानी लेकर जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या हमारे भाई सिंचाई मंत्री को इनके पड़ोसी जिले मे बसे हुए लोगो पर तरस नहीं आ रहा हे। हमारे शास्त्रो मे लिखा है कि सगे भाई से ज्यादा

पड़ोसी काम आते है इसलिए इन्हे हमारे०पर दया करनी चाहिए। सिचाई मंत्री जी की एक कलम चलेगी एक टेलीफोन होगा तो हमारे एरिया मे खुशहाली आयेगी, हरियाली आयेगी और इसके लिए हमारे बने इन्हे दुआ देगे इसलिए सिंचाई मत्री जी हमारे एरिया की तरफ ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूँ कि जो बडे–बडे कारखानेदार हैं जो यमुना मे गंदगी डाल रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मे एक रिट डली हुई है विप्र यमुना के अन्दर गंदगी नहीं डाली जायेगी और अगर किसी ने डाल भी दी तो उसकी सफाई करवाई जायेगी। हमारे जो पर्यावरण और सिचाई विभाग है ये कत कर रहे हैं ? ये हमारे एरिया के लोगों पर तरस क्यो नहीं खा रहे है। यमुना मे जो कारखानेदार गदगी डाल रहे है और हमारे एरिया के लोगो की जिदगी के साथ खिलवाड कर रहे है उन्हे ये विभाग क्यो नहीं रोक रहे क् सिचाई मत्री जी कृपया हमे बतायें कि इन्होने आज तक ऐसे कितने कारखानेदारो के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये है जो यमुना मे गदगी डाल रहे है और हमारे एरिया के लोगो की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे है। यमुना मे गदगी मिलने के बाद से जो पानी चलकर हमारे एरिया में आता है वह अपने साथ गाद लेकर आता है जिसके कारण रजबाहे और नहरे, रजबाहे और नहरे न रहकर गंदे नाले बने हुए है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिचाई मंत्री जी के ध्यान मे लाना चाहूगा कि उन रजबाहो और नहरो की सफाई साल–दो साल मे करवाई जाती है। एक तरफ ऐसे इलाके हैं जहा बिलकुल साफ नीला पानी हे यदि उस पानी मे

सिक्का डाल दिया जाये तो वह सिक्का०पर से नजर आता है और दूसरी तरफ मेवात जिला है जहा पर नहरो और रजबाहो के तट पर खड़ा नहीं हो सकते, देखना तो दूर की बात है क्योकि उनमे बहुत गंदगी है। इसलिए माननीय सिचाई मत्री जी को एक? एस०टी०पी० यमुना पर दिल्ली से पहले और एक एस०टी०पी० दिल्ली के बाद लगाने का प्रयास करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यदि नहरो के हैड पर एस०टी०पी० सिचाई मत्री जी लगा देगे तो उससे हमारे इलाके के लोगो को बहुत लाभ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी मे यमुना की सफाई का काम चल रहा है इसलिए हरियाणा सरकार को पैसा भी नहीं देना पडेगा। मै चाहता हू कि पर्यावरण और सिचाई विभाग गंदे पानी को एस०टी०पी० लगाकर साफ करने का काम करे ताकि मेरे इलाके के लोगो को लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदय, हम मानते हैं कि यू०पी० सरकार के हमे लाभ भी हैं, ये लाभ कई बार हमे मिलते भी हैं, इसलिए हम भी उनका नुकसान नहीं चाहते है। हमारी जो तकलीफ हे उसके बारे मे आगरा कैनाल के अधिकारियो और सरकार से किसी भी व्यवस्था मे, किसी भी हालत मे बात की जाये। हमारे जिले को ताजेवाला हैड से पानी छोडा जाता है और ताजेवाला हैड की हमारे से बहुत दूरी है, दिल्ली पार करके ही हमारे यहां पानी आता हैय दूरी अधिक होने के कारण रास्ते मे कुछ पानी चोरी हो जाता है और कुछ पानी वैसे भी वेस्ट हो जाता है इसलिए हमारे एरिया को वहां से पानी देने की जरूरत नहीं है। क्या सिंचाई मंत्री जी यू० पी० सरकार से बात नहीं कर सकते कि ताजेवाला हैड से

सहारनपुर को पानी दे दिया जाये और हिंडन नदी से जो दिल्ली के०पर है उससे हमारे एरिया को पानी दे दिया जाये। ऐसा करने से यू०पी० की सरकार भी खुश होगी क्योकि उनके सहारनपुर के किसानो को भी प्रोपर पानी मिलेगा। हिडन नदीं मे गंगा का पानी आता है। अगर हमारे जिले मे गंगा का पानी आयेगा तो मंत्री जी को हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं पडेगी। मंत्री जी रिवाड़ी से फरीदाबाद आये, वहां पर हम उनको गंगा के पानी मे डुबकी लगवाकर तरोताजा करके वापिस रिवाड़ी भेज देंगे। अध्यक्ष महोदय, हिडन नदी 300–400 क्यूसिक पानी की क्षमता वाली नदी है। हिंडन नदीं का पानी ओखला नदी के जरिये हमारे जिले मे आ सकता है। इतना पानी ये उत्तर प्रदेश को दे दे और मै दावे के साथ कह सकता हू कि अगर इस तरह की व्यवस्था ये उत्तर प्रदेश सरकार के साथ करेगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार इनका समर्थन करेगी और उल्टे इनका धन्यवाद भी करेगी और इराके –कारण जो रस्साकसी, उलाहने और शिकायतबाजी जैसी बाते भी समाप्त हो जायेगी। यह काम तो माननीय मंत्री जी कर ही सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो यमुन। नदी का पानी है इसके बारे में हमने कई दफा मत्री महोदय के सामने यह प्रस्ताव रखा है और आज म।। मैं आपकी मार्फत माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हू कि आगरा कैनाल के सिस्टम को दुरूस्त करने के लिए यह जरूरी है कि यमुना नदी का पानी जो हमारे जिलो के बीच मे से गुजरता हे वहां पर यमुना नदीं के अन्दर ये बैराज क्यों नहीं बना देते। अगर यमुना मे ये बैराज बना दिये जाते है तो मैं

आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद जिले मे ये बेराज कहां– कहा पर बनाये जा सकते हैं इसकी रूपरेखा सिंचाई विभाग द्वारा भी तैयार की जा चुकी है। तो स्पीकर सर,अगर ये बैराज बना दिये जाते है तो उस बैराज को बनाने से हमे कई फायदे होगे। नम्बर एक तो यमुना नदीं के किनारे जो गांव बसे हुए है उनमे भूमिगत जल का स्तर जो कि आज 150 फुट से भी नीचे चला गया है वह०पर उठना शुरू हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जल स्तर०पर उठने से किसानो का भी फायदा होगा और बारिश के मौसम में जो यमुना नदीं मे बेशुमार पानी आता है उसको बैराज बनाकर लिफ्ट के मार्फत मेवात तक भेजा जा सकता है और मैं तो यहां तक कहता हूं कि सोहना के नीचे लिफ्ट लगाकर उस पानी को रेवाडी तक भी ले जाया जाये। क्योकि हो सकता है कि रेवाड़ी का ध्यान आने पर इनको हमारे ईलाके का भी ध्यान आ जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपकी मार्फत सिंचाई मंत्री जी से यह अनुरोध है कि ये यमुना नदी पर बैराज बनाये और बारिश के पानी को स्टोर करे जिससे हमारा जल स्तर तो०पर आयेगा ही और ये उस पानी को आगरा कैनाल और गुडगाव कैनाल मे डालकर उसको लिफ्ट की मार्फत जो मेवात, हथीन और होडल के सूखे ईलाको मे ले जाये। अध्यक्ष महोदय, अगर उस पानी को नालों, रजबाहो मे खड़ा भी कर देते है तो उससे हमारे भूमिगत वॉटर का लैवल०पर आ जायेगा और कम से कम हमे पीने का पानी तो उपलव्य हो ही जायेगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि बैराज बनाने से पहले और इस बारे

मे कुछ करने से पहले इनको इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि ताजेवाला हैड से जो पानी छोड़ा जाता है उसकी कोई गेज नहीं हे। What is the quantumof that water आपका डिपार्टमेंट इसको कोई चौक नहीं करता, न उत्तर प्रदेश का डिपार्टमैंट करता है और न ही दिल्ली का करता है। वहा पर पानी को देखा जाता है और फैसला कर दिया जाता है इसमे कम से कम जहा ओखला बेराज से आगरा ओर गुडगांव कैनाल के लिए पानी चलता है उसको इनको क्वान्टीफाई करना चाहिए और गेज लगाना चाहिए कि इतने क्यूसिक पानी हरियाणा के लिए उसमे आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद इनको यह सुविधा भी हो जायेगी कि जब मेवात को पानी देने की जरूरत हो तो गुडगांव कैनाल मे पानी को डाल दो वह पानी मेवात में चला जायेगा और जब हमारे जिले फरीदाबाद को पानी देने की जरूरत पडे तो आगरा कैनाल मे पानी छोडकर फरीदाबाद जिले के रजबाहो में पानी पहुंचाया जा सकता है। अगर यह भाईचारा भी काम नहीं आता है तो मै माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहूगा कि अगर यही हालात रहे तो हमे पानी नहीं मिलेगा और केवल हम ही सैक्रीफाईस करे यह ठीक नहीं है। इसका कोई न कोई तरीका तो निकालना ही पडेगा। हम भी हरियाणा के निवासी हैं, हमे भी पानी चाहिए। खेत के पानी की बात तो हमने छोड दी है, हम तो पीने के पानी की माँग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह इन्दर स्टेट डिस्प्यूट है उसके लिए अगर जरूरत पडती है तो इस मामले को ट्रिब्यूनल को भी रैफर किया जा सकता है। जब एस०वाई०एल०

का मामला ट्रिब्यूनल को रेफर हो सकता है तो यह मामला भी ट्रिब्यूनल को रैफर हो सकता है। इराडी ट्रिब्यूनल भी खाली बैठा हुआ है, आप यह मामला उसको रेफर कर दे या राज्य सरकार अगर कोई फैसला करके कोई और ट्रिब्यूनल गठित करना चाहती है तो उसको यह मामला सौंप दिया जाये। अगर उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मंत्री जी को आश्वस्त करती है तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमे अधिकारिक लैवल पर शक की कोई गुंजाइश न रहे और एक व्यवस्था वहां पर कायम हो। वह व्यवस्था यह सुनिश्चित करे कि आगरा कैनाल में जो पानी आता है उसमे से वे –हमारे हिस्से का पानी जरूर हमे मिले। अध्यक्ष महोदय, मै माननीय सिचाई मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे एरिया के रजबाहो की दो–दो साल तक खुदाई नहीं हो पाती है और खुदाई के बाद पहली बार जब पानी लेकर आते है तो उसके तुरन्त बाद रजबाहो मे गाद जम जाती है। पूरे हरियाणा में सिर्फ हमारे जिले फरीदाबाद में ही कच्चे रजबाहे हैं। मेवात और फरीदाबाद जिलो मे पानी आगरा कैनाल की डिस्ट्रीब्यूटरी से आता है। हम यह नहीं कह रहे है कि ये उन्हे पक्का करें। मैं इनसे यह कह रहा हू कि जब फसल की कटाई हो जाये तो उस वक्त रजबाहो की सफाई होनी चाहिए। जिले के अधिकारियो को आदेश होने चाहिएं कि अगर समय पर रजबाहो की सफाई नहीं होगी तो सबधित अधिकारी की जिम्मेदारी फिकर होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिचाई मंत्री जी से अर्ज करता हू कि जब तक कोई उचित व्यवस्था नहीं होगी तब तक हमको पानी नहीं मिल सकता।

अध्यक्ष महोदय, यू०पी० की सरकार ने क्या काम किया कि 1997 मे उन्होने एक किलोमीटर के दायरे को छोड़कर बाकी रजबाहो की सफाई की जिम्मेदारी हमे दे दी। जब खुदाई हमारा महकमा करता है तो उसका खर्चा उत्तर प्रदेश की सरकार को देना चाहिए, मंत्री जी को यू०पी० की सरकार से बात इस बारे मे करनी चाहिए। सफाई हमे करनी है और आबियाना यू०पी० की सरकार को देना है यह ठीक नहीं है। सफाई और खुदाई का खर्च यू०पी० की सरकार को उठाना चाहिए। जो आबियाना है वह इस ऐवज मे माफ होना चाहिए कि जब खुदाई ही हम कर रहे है तो आबियाना किस बात का? पहले रोस्टर सिस्टम होता था 1,45,000 एकड जो आगरा कैनाल के कमांड एरिया मे आती थी उसमे तमाम रजबाहो का रोस्टर था और उस रोस्टर मे पानी छोडने के लिए आगरा व मथुरा मे बैठे अधिकारी फैसला किया करते थे। अध्यक्ष महोदय, यू०पी० के अधिकारियो ने हमारे साथ चालाकी खेली कि खुदाई की व्यवस्था हमे

पेज 46 cont....

पकडा कर हमे रोस्टर से ही बाहर कर दिया। हम खुदाई तो करवा लेते थे और पानी के इतजार मै

रहते थे। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जब तक

व्यवस्था हो, रोस्टर मे हमारे तमाम पानी को डलवाये, रजवाहो को रोस्टर मे डलवाये। जिस

यू०पी० के अधिकारी अपने रजवाहो को चलाते हैं उसी प्रकार हमारे रजवाहो को भी चलाते रहे, हमे

बात मे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जब तक मंत्री जी स्वयं वहा जा कर कोई उचित व्यवस्था यू०पी०

सरकार के साथ मिलकर नहीं करेंगे तब तक हमारे किसानो को उचित पानी नहीं मिल सकता।

लिए मैने इन्हे जितनी बाते बताई है अगर उन पर डे अमल नहीं करते हैं तो मै इनसे आखरी

करना चाहता हू कि आप सदन के सदस्यो की एक कमेटी बना दे ओर हमारे जिले के विधायको को

कमेटी का सदस्य बना दे। इसक इलावा गुडगाव, फरीदाबाद और मेवात के विधायको को भी

शामिल कर दे। अगर इन जिलो के अतिरिक्त हरियाणा के अन्य विधायको को भी उस कमेटी का

बना दे तो हमे बहुत अच्छा लगेगा। वह कमेटी मन्त्री जी को साथ ले कर लखनऊ, उत्तर प्रदेश जाए

वहा के सिचाई मन्त्री से इस बारे मे बात करे। यदि वहा से ठीक जवाब आता है तो ठीक है वरना

आकर कमेटी माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करे और यदि जरूरी हो तो माननीय मुख्य मन्त्री

वहां के मुख्य मन्त्री जी से बात करें। मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि कैप्टन अजय सिंह यादव जी

उत्तर प्रदेश की सरकार से बात करनी चाहिए। स्पीकर सर, जैसे मैंने अर्ज किया है कि किठवाडी

पर हैड वर्क्स मे अगर साढे आठ फुट पर पानी मेनटेन कर लिया जाता है तो यू०पी० की सरकार को

नुकसान नहीं है उनके पानी की कोई कटौती नहीं होती लेकिन हमारा जलस्तर बढकर रजवाहो मे

चलना शुरू हो जाता है जबकि यू०पी० का पानी फिर भी चलता रहता है। स्पीकर सर, पिछले

उन्होने एक बडा दुस्साहस किया कि जो किठवाडी हैड वर्क्स हे वह। पर बिना हरियाणा सरकार से

किये उन्होने उस हैडवर्क्स से एक फर्लाग आगे एक और नया हैडवर्क्स बनाना शुरू कर दिया। मैं

दिन अपने गाव गया हुआ था तो वहा पर मेरी नजर पडी और मैने वहा पर काम कर रहे लोगो से

कि यह क्या हो रहा है तो उन्होंने बताया कि जो पुरानी झाल है, हम देसी भाषा मे झाल बोलते है,

तोड रहे है और आगे ले जाकर नयी झाल बना रहे है। उस लेबर को मैंने वहां पर काम करने से

और उनसे पूछा कि यह काम आप किस की इजाजत से कर रहे है तो उन्होने कहा कि यू०पी०

अधिकारियो ने हमे इजाजत दी है और हमारे पास इस काम का ठेका भी है। वहा पर कई गावो के

इकट्ठे हुए और तब जाकर उन्होने इस काम को रोका। फिर हमने माननीय मुख्य मन्त्री जी से इस

मे निवेदन किया। मै उनका धन्यवाद करता हू कि माननीय मुख्य मन्त्री हुड्डा साहब ने उसी वक्त

विभाग के सचिव को वहां पर भेजा। उन्होने वहा खुद जा कर अधिकारियो को बुलाया इस बारे मे यू०पी०

के अधिकारियो से बात की और फिर उस हैडवर्क्स के काम को रोका गया। अगर मैं उस दिन अपने

नहीं जाता तो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाता। अगर वे लोग हैडवर्क्स को एक फर्लांग

जाते तो हमारे वाटर लेवल का जो दायरा था वह सारा समाप्त हो जाना था इसलिए मै कहना चाहता

कि माननीय कैप्टन साहब का उनके अधिकारियो से बात करना बहुत जरूरी है। कोई भी रजबाहा

नहर मे कोई तरमीम करनी हो या मुरम्मत का कोई काम करना हो अथवा वे लोग देखभाल का कोई

करते है तो पहले वे हमारी स्टेट के अधिकारियो से बात जरूर करे। हमारे अधिकारियो को पता

होता ओर वे अपने अधिकार क्षेत्र का नाजायज फायदा उठा कर मनमाने तरीके से अपने कामो को

शुरू कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, फिर जब उनसे हमारा राजीनाम हुआ तो उन्होने इस बात को

किया कि ठीक है हम इस हैडवर्क्स को आगे नहीं ले जाते। अध्यक्ष महोदय, उन्होने हैडवर्क्स पर दो

पेज 46

end

दरवाजे बनाए है। हमने उनसे पूछा कि मौजूदा हैडवर्क्स पर जो दो दरवाजे बना रहे हे वह किस लिये बना रहे है तो उन्होने हमे बहकाया, यह बात सिंचाई विभाग के अधिकारी अच्छी तरह से जानते है। इस बारे में मीटिग मे बाकायदा आधिकारिक तौर पर यह बात हुई और उन्होने बताया क्योकि हम उसमे ज्यादा पानी ले रहे हैं इसलिए हम दो दरवाजे और बना रहे हैं जिससे पानी ओवर फलो न करे और हम उस पानी को आगे ले जा सके। अध्यक्ष महोदय, उनकी नीयत यह थी कि दो दरवाजे बना कर वे जो पानी रोकते उसको वे आगे ले जाने मे कामयाब हो जाते। हमारे जो हरियाणा सरकार के सिचाई विभाग के सचिव वहा पर मौजूद थे उनकी मौजूदगी मे फैसला हुआ कि दो नये दरें बनाने से जो फालतू पानी आना था उल्टा उनके अन्दर पानी कम आना शुरू हो गया है, इसकी वजह से हमे नुकसान हुआ है। चार

हजार क्यूसिक पानी आगरा केनाल तक जाने के जो दो दरें कम थे उन्होने दो दरवाजे और बना दिये। कैप्टन साहब, वहा पर मोटे–मोटे फाटक लगा दिए हैं और वे उनको नीचे ही रखते है ताकि आगे पानी न जाए। अध्यक्ष महोदय, बल्कि वहा से वे हमारा पानी भी ले जाते है। (विघन) अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हू कि जो उन्होने वायदा किया था उसको वे पूरा करे। जो फालतू पानी हमे आना था उसको वे डिलीवर करे। अगर वे ऐसा नहीं करते है तो हमारी सरकार उनसे बातचीत करे। अगर हमारी सरकार बात नहीं करती है तो वे हमारे हिस्से का पानी नहीं देगे। अध्यक्ष महोदय, जहा पहले हथीन के०पर से पानी जाता था, वह पानी होडल को भी पार कर जाता था, यहां तक कि हसनपुर तक वह पानी जाया करता था। अब वह पानी मुश्किल से दो फर्लाग तक ही जाता है। अब वहा पर बडी बड़ी झाडिया खडी हुई है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बडा अन्याय हो रहा है। यह अन्याय आपके जैसे और दूसरे अच्छे इन्सानो के होते हुए कैसे हो सकता है, जो सरकार के अग हैं। हमने हमेशा अपना यह दुखड़ा पिछली सरकारो के आगे रोया है और सभी ने हमारे से वायदा भी किया था। सिचाई मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं मैं इनसे कहना चाहता हू कि आज यह मौका है कि उन सभी वायदो को पूरा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुए हुँ। मैं इनसे भी निवेदन करता हूं कि ये इस मामले को देखे। वहा पर जो कारखाने वाले गदा पानी उसमे डाल रहे हैं उसकी वजह से हमारे यहा लोगो मे बहुत ज्यादा बीमारिया

फैल रही हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मै आपके मार्फत बहन जी से यह कहना चाहता हूं कि ये वहा पर स्वास्थ्य निदेशक को बुलवाकर चौक करवा ले। वहां पर कैंसर, टी०बी०, पीलिया, अंधापन, दांत की बीमारिया और पेट की बीमारिया वहा पर बच्चो और महिलाओ मे फैल रही हे कि नहीं। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहा पर जो धरती का पानी है उसमे फलोराईड बहुत ज्यादा मात्रा मे है। फलोराईड की वजह से दांतो की बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती है। अध्यक्ष महोदय, जब तक सिंचाई मत्री जी और इनके विभाग के लोग इस गन्दे पानी को नहीं रोकेंगे तब तक वहा पर लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। स्वास्थ्य मत्री जी को भी चाहिए कि इनका विभाग वहां पर स्वास्थ्य' मेले लगाएं और वहां पर हमारी बहनो और बच्चो के स्वास्थ्य की जाच करवाए। यह जो लोग चाहे वे गवर्नमैट के हो या प्राईवेट हो, अगर वे नहरों में गन्दा पानी मिलाते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, शास्त्रों मे लिखा है कि हमारा देश साधु और सतो का देश रहा है। इस देश ने विभिन्न धर्मो और आस्थाओ के लिए लडाई लड़ी है। हमारी मर्यादाए और धर्म यह कहता है कि स्वच्छ पानी मे मल–मूत्र और गन्दगी नहीं मिलानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं इतिहास की घटनाओ को यहां पर रखूगा तो आप भी मेरे साथ सहमत होगे कि स्वच्छ पानी में गन्दगी, मलमूत्र मिलाने की वजह से बडे–बडे युद्ध हुए हें। अध्यक्ष महोदय, महाभारत मे एक लेख मे यह जिक्र आता है कि भीम का जो पोता था उसका नाम बरब्रीक था। वह अपने माँ बाप से बिछुड गया था

भीम को इस बात का अदाजा नहीं था कि बरब्रीक कौन है। अध्यक्ष महोदय, बरब्रीक की समाधि भी आपके गाव मे बनी हुई है। मै बरब्रीक का जिक्र इसलिए कर रहा

पेज 48 Cont..

हू कि जब बरब्रीक वहां अपने तालाब की सुरक्षा कर रहा था तो अचानक भीम वहा आ गए और भीम

आकर उस तलाब मे मुह हाथ धोने शुरू कर दिए और स्पीकर साहब, जैसा आदमी करता है कि

पानी उल्टा वह तालाब मे डाल देता है तो वैसा ही भीम ने भी किया। बरब्रीक ने भीम को ऐसा करने

रोका और कहा कि आप यह पानी क्यो गंदा कर रहे है इस पर भीम ने कहा कि तू कौन होता है

रोकने वाला, मैं चाहे जो करूं। बरब्रीक ने कहा कि यह हमारा धर्म है कि हम पानी को स्वच्छ रखे लेकिन

आपने यह पानी गंदा किया है इसलिए आपको इसके लिए सजा मिलेगी। इसके बाद भीम को गुस्सा

गया और उसने बरब्रीक से कहा कि तूँ मुझे कैसे रोक सकता है? क्यीकर सर, शास्त्र यह कहते है

बरब्रीक ने अपने सगे दादा से बडा भारी युद्ध किया। राजस्थान मे खादूश्याम मे जो बरब्रीक का मदिर

वहां पर उनकी कथा लिखी हुई है। वहां पर एक किताब मे यह बात छपी हुई है। कैप्टन साहब

उसको पढ लें। असली बात यह है कि बरब्रीक को भी पानी मे गन्द मिलाने के लिए अपने सगे दादा

युद्ध करना पडा था। जब युद्ध चल रहा था तो कृष्ण भगवान ने देखा कि बरब्रीक तो अपने सगे दादा

पिटाई करने लग रहा है तब उन्होने बरब्रीक के दादा को बताया कि वह कौन है। जब बरब्रीक को यह

पता चली तो वह मरने के लिए तैयार हो गया क्योकि वह यह सोचने लगा कि उसने अपने दादा

बेइज्जती की है। अध्यक्ष महोदय, मै यह बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हू बल्कि यह बात किताब

लिखी हुई है। अगर किसी भाई को यकीन नहीं है तो खाटूश्याम मंदिर मे जाकर इसकी कथा को

सकता है। मैं यह बात कहना नही चाहता था लेकिन कैप्टन साहब को मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमे तो

अपने दादाओ से भी लड़ने की जरूरत नहीं है हमें तो उन बदमाशो से लडने की जरूरत है जो वहा

इस पानी को गदा कर रहे हें।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, क्या आपकी बात पूरी हो गयी है?

श्री कर्ण सिह दलालः नहीं सर, अभी तो मैने बोलना शुरू ही किया है। सर, शास्त्र गवाह है,

इतिहास गवाह है, हमारी मर्यादाएं गवाह हैं कि पीने के पानी को दूषित करने या तलाबों के पानी को दूषित

करने पर युद्ध हुआ करते थे। इसी बात पर गाव के गांव, बस्ती की बस्ती और बड़ी–बडी व्यवस्थाए

जाया करती थी। सर, उन दिनो तो लिखित मे सविधान भी नहीं था कि पानी को दूषित करने पर

सजा मिलेगी जबकि आज तो इस बारे मे कानून भी है। स्पीकर सर, यमुना के पानी को दूषित करने वे

बारे मे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है इसलिए अब सरकार को कार्यवाही करने मे दिक्कत क्या है

स्पीकर साहब, हमे उस समय तो कोई शिकायत नहीं थी जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमत्री हुआ

थे। ये तो यू०पी० मे राजनीति करने के लिए आगरा कैनाल के०पर से या यमुना के०पर से जाया

थे और वहां पर सारी बाते बताकर वापस आया करते थे लेकिन इनको पानी की गदगी दिखाई नहीं

थी। स्पीकर सर, जिस आदमी की जैसी फितरत होती है वह वैसी ही सोचता है। ओम प्रकाश चौटाला

के राज मे हम पानी की कमी की मार झेलते रहे लेकिन हमे पानी नहीं मिला। (विघन)

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, प्लीज आप कटीन्यू करे। (शोर एव व्यवधान) अब अचानक आप

को क्या चाबी भर गई। अभी तो चौटाला जी आकर बैठे ही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं प्यायट आफ आर्डर पर बोलना चाहता हू। श्री कर्ण

सिंह दलाल ने इस मामले मे मेरा जिक्र किया। लेकिन मै इन्हे याद कराऊं कि 1996 मे जब चौधरी बंसी

लाल के मुख्यमंत्रित्व काल में श्री कर्ण सिंह दलाल स्वय मत्री थे और बड़े बलगबाग दावे किया करते

पेज 48 end

कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आगरा कैनाल का नियंत्रण अपने हाथ मे ले लेगे। अब इनको आगरा कैनाल की गंदगी दिखाई दे रही है। पहले भी ये साढे तीन साल मन्त्री रहे थे लेकिन उस वक्त भी ये कुछ नहीं कर पाए थे। यह दो स्टेट्स का मामला है। यहा डिसकशन करने से यह हल होने वाला नहीं है। मुझे तो लगता है कि इनको पानी की गंदगी से ऐलर्जी नहीं है बल्कि मेरे से ऐलर्जी है। बोलते हुए इनको थोड़ा सा सोचना भी चाहिए, कुछ संकोच भी करना चाहिए। (विघन)

श्री कर्ण सिंह दलाल अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब ने जो बात कही है बिलकुल दुरुस्त बात कही है। मैं इनकी इस बात से इंकार नहीं करता हूं। (विध्न) हमने इस बारे में वायदा किया था लेकिन उस वायदे को पूरी तरह से पूरा न करके कुछ ऐडमिनिस्ट्रेटिवली उसकी खुदाई ओर सफाई हरियाणा सरकार ने अपने हाथो मे ली थी और उस व्यवस्था से हमारे इलाके मे पानी

उस समय टेल तक जाता था। चौटाला जी जब कभी हमारे इलाके मे जाएंगे तो देखेंगे फिर भी मैं इनको बता देता हू। चौधरी हर्ष कुमार जी उस समय मिनिस्टर थे, मैं उनकी तारीफ करता हूं इनके मंत्रित्व काल मे पूरा पानी आया। चौटाला जी ने जो बात कही है दरअसल चौटाला जी की एक बहुत बडी कमजोरी है कि ये नदियो में, नहरो मे पानी नहीं लाना चाहते ये तो लोगो की आखो में पानी लाना चाहते है। एस०वाई०एल० की ये राजनीति करते हैं लेकिन एस०वाई०एल० से भी इनको पानी नहीं चाहिए बल्कि वोट चाहिए। इनको मेरी बात का बुरा इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योकि इतने लंबे अर्से तक ये मुख्य मंत्री रहे ये अक्सर यू०पी० जाते थे और वापसी मे वहा से निकलते थे उन दिनो ये बड़ा भयंकर सपना संजो रहे थे।

श्री अध्यक्ष दलाल साहब, आपकी नॉन ऑफिशियल रिजोल्युशन पर जो स्पीच है उसी पर बोले।

श्री कर्ण सिंह दलालः ठीक है सर। अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन यह है कि हमारे जो इरीगेशन मिनिस्टर है ये सदन की एक कमेटी बनाने पर विचार करे। सदन की कमेटी जब बनेगी तो पानी के बटवारे के बारे मे यू० पी० के अधिकारियों से जो बातचीत होगी उनके बारे मे हम कोई न कोई संकल्प ले सकते हैं और जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि उन अधिकारियो के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, चाहे वे सिंचाई विभाग के है या पर्यावरण विभाग के अधिकारी हैं जिन्होने इस मामले मे कोताहो

बरतो है। पर्यावरण विभाग के अधिकारियो से तो हम इस बारे में ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते है क्योकि वे चौटाला जी के शासन काल के समय के लगे हुए हैं। इनके समय मे जिन ई०ओ०ज० की नियुक्ति हुई उनमे तमाम ऐसे नाकाबिल अधिकारी हैं जैसे कि जे०बी०टी० की भर्ती हुई थी। पर्यावरण विभाग जैसे महकमे मे अयोग्य लोगो को बड़े– बड़े अधिकारी बनाएगे तो गंदगी का इलाज कैसे कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन विभागों मे पिछले साढे पांच सालो के कार्यकाल के दौरान के अयोग्य अधिकारी बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त सिचाई विभाग मे जो भर्तिया हुई उसके साथ ही हैल्थ डिपार्टमैंट मे भी जो भर्तिया हुई मैं उनके बारे मे भी बात करना चाहता हू। हैल्थ डिपार्टमैंट जब तक सजग नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। जो अधिकारी वहां के लोगो को बीमारियो से बचाने के लिए काम कर रहे हैं, मै चाहूंगा कि मेहरबानी करके उन अधिकारियो की भी निगरानी अवश्य की जाए क्योकि उनमे अयोग्यता है, योग्यता नहीं है। यह आग्रह इसलिए है कि मै नहीं चाहता कि फरीदाबाद जो हरियाणा का सबसे बडा जिला है वह इस तरह की मार को झेले। यहाँ इस तरह से लोगो को जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दूसरा काम इस पानी के लिए कैप्टन अजय सिंह यादव कर सकते है।

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री कर्ण सिंह दलाल जी से यह कहना चाहूंगा कि वे किसी

माननीय सदस्य पर पर्सनल आक्षेप न करें क्योकि इस बारे मे हमारी मीटिंग मे भी यह बात हुई थी।

श्री अध्यक्षः मैंने उनको इस बारे में कह दिया है कि come to the point. इन्दौरा साहब आप कह रहे हैं कि इस बारे में मीटिंग मे बात हुई थी। मीटिंग में तो और भी कई बाते हुई थीं। मीटिंग मे तो यह बात भी हुई थी कि जो यहां पर फैसला होगा उसको फोलो किया जायेगा। आप उस मीटिंग के फैसले को फोलो तो नहीं कर रहे हो।

डा० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्यॉयंट ऑफ आर्डर है। कर्ण सिंह दलाल अपने गिरेबान मे झांक कर देखें कि इन्होंने कितने दल–बदल करके कितनों को नुकसान पहुंचाया है और कहां– कहां उन्होने कितनों की पीठ मे छुरा घौंपा है और क्या क्या किया है। इनको क्या यह अच्छा नहीं लगता कि सदन की गरिमा बनाने के लिए जरूरी है कि यह गैर–सरकारी प्रस्ताव सदन में आया है इस पर वे सरकार को अच्छे सुझाव दें। किसी माननीय सदस्य के बारे मे ये टीका टिप्पणी न करे। (विघन)

श्री अध्यक्षः यहां तो वहीं चल रहा है। यह तो आपने मीटिंग का जिक्र कर दिया। मीटिंग में तो कई फैसले हुए थे मीटिंग मे यह भी बात हुई थी कि आपके मैम्बर्ज ही आपकी बात नहीं मानते। उस समय यह भी बात आई थी कि आपकी पार्टी के सदस्य आपकी बात को मानेगे या नहीं।

डा० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मीटिंग मे यह भी फैसला हुआ था कि सरकार बेशर्मी से हमारे विधायको को सदन से बाहर निकाल रही है तो जो सदस्य निकाले हैं उसके बारे मे सरकार माफी मांगे। (विघन)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेबाला): अध्यक्ष महोदय, माननीय इन्दौरा साहब ने असत्य बोला है। मीटिंग मे यह फैसला हुआ था कि इनैलो के विधायक सदन में माफी मागेंगे। परन्तु इन्दौरा साहब ने फिर भी दरियादिली दिखाई कि ये मीटिंग में फैसले को मानकर आये परन्तु यहां आने के बाद चौटाला जी ने आखे दिखाई और ये यहां सदन में डर गये।

डा० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मीटिंग में यह फैसला हुआ था कि सरकार माफी मांगेगी। **श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः** इन्दौरा जी, आपने यह कहा था कि हम खेद प्रकट करेगे। फिर भी आपने दरियादिली दिखाई है कि आप यहां पर आये। मुझे नहीं लगता कि यह विवाद का विषय हे।

डा० सुशील इन्दौराः हम किस बात का खेद प्रकट करेगे, विवाद तो आप फैला रहे हैं।

प्रो० छत्रपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर हे। स्पीकर सर, आपने वजह फरमाया। चौटाला साहब के सदन में आने से पहले तो सदन में बिलकुल शांतिपूर्ण काम चल रहा था। कर्णसिंह दलाल की अपनी बात कह रहे थे और

अपाजिशन के सदस्य सुन रहे थे। आपने किसी बात पर प्वायंट आऊट किया तो इनको अब कौन सी चाबी भर गई और फिर चौटाला साहब ने अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन मे अपना जवाब दिया।

श्री अध्यक्षः आपका प्यायंट ऑफ आर्डर क्या है?

प्रो० छत्रपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर यह है कि लोगों का चौटाला साहब से मोह भंग हो गया है। चौटाला साहब के सदन में आते ही सभी विधायको को गुदगुदी सी होने लगती है और उनका कुछ न कुछ कहने का दिल करता है, पुरानी बातें याद आ जाती हैं। उस पर विपक्ष के साथियों के अन्दर बेचौनी पैदा होती है कि हमें ऐसा क्यो कहा गया है। स्पीकर सर, इश्यू चाहे कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो हाउस में, अगर चर्चा होती त्तो पुराने हालात याद आ जाते हैं। आज इन विपक्ष के साथियों को चौन से अपनी कारगुजारी के बारे मो सुनना चाहिए ताकि हरियाणा प्रान्त के बारे मे सारा माहौल क्लीयर हो। यदि श्री कर्ण सिंह दलाल जी ने कोई इन्सटान्स दिया है कि यू०पी० के अन्दर श्री चौटाला जी अपनी राजनीतिक गर्मी में वहां पैर जमाने के लिए जाते थे। उनको बाहर जाने से पहले अपने स्टेट के हकों का भी ध्यान रखना चाहिए था। स्पीकर सर, मैं विपक्ष के साथियों .से यह गुजारिश करूंगा कि वे चाबी न भरें और हाउस को चलने दे।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, माननीय इन्दौरा जी ने अपनी बात कही है और मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूं। मैं कोई उल–जलुल इल्जसम नहीं लगा रहा हूं ये बाते सच पर आधारित हैं कि नौकरियो के बारे में क्या हुआ यह मैं नहीं हाई कोर्ट और सी०बी०आई० कह रही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आप अपनी स्पीच कन्टीन्यू करें।

श्री कर्ण सिंह दलालः श्री इन्दौरा जी ने अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेश पर जो जवाब दिया है उस पर मैं कहता हूं कि छात्र तो बोलै छलनी भी बोलै जिसमे हजारो क्ये हैं, वे अपने नेता से पूछे कि उन्होंने कितनी पार्टियां बदली हैं कभी जनता दल में तो कभी समाजवादी पार्टी में तो कभी किसी और पार्टी में यह रिकार्ड की बात है आप इन पार्टियों के नाम निकालवा कर देखें कि इन्होंने कितने दल–बदल किए है (विघान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय कर्ण सिंह दलाल जी अपनी बात कह रहे हैं। When a member rose on a personal explanation, it is our duty कि सभी माननीय सदस्य पहले उनकी बात सुने और अगर कोई विरोध है तो उसके बारे में बाद मे अपनी बात कह सकते हैं। ये कम से कम उनकी बात सुनने की हिम्मत तो रखे। ये कर्ण सिंह दलाल से घबरा क्यों जाते हैं और उनसे इतना डरते क्यों हैं?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी): अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने हैल्थ विभाग को सावधान करने की चिंता जाहिर की, उनकी चिंता सही है। हर जन प्रतिनिधि को चाहिए कि अपने हल्के के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करे। मैं उनको विश्वास दिलाती हूं की स्पैशल टीम कल से वहां पर लगा देंगें और यदि कहेंगे तो स्वास्थ्य का एक बडा शिविर वहां लगा देगें ताकि चौक हो जाए कि किसको क्या बीमारी है। जहां तक गंदे पानी की बात है तो यह काम दूसरे. विभाग का है वह ही इस बारे मे देखे कि पीने के पानी की स्वच्छता जरूर हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है, इन्दौरा साहब को बुरा लगेगा, ये घर जाकर देख ले और चौटाला जी से पूछ लें कि इन्होंने कितने दल बदले हैं और कितनी पार्टियां बदली हैं, ये कमी चन्द्र शेखर की पार्टी में रहे हैं, कभी जनता दल में रहे हैं और कभी लोकदल में रहे हैं और अब इनैलो में हैं और आगे पता नहीं क्या गारंटी है कि कौन सा दल बनाते! अब इंटरनैशनल लोकदल बना सकते हैं इनका कोई पता थोडे है क्योंकि आजकल राजस्थान मे जोर अजमाइश हो रही हें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरी एक ओर पर्सनल एक्सप्लनेशन हें। ये जो दल बदल के लिए कह रहे हैं ये मुख्यमंत्री हमारी मेहरबानी से बने थे, ये लोगों की मेहरबानी से मुख्यमंत्री नहीं बने थे इसलिए इनको तो मेरा अहसान मानना ही चाहिए। मुझे तो अपनी भूल का सारी उस पछतावा रहेगा वरना तो

ये मसूर और मूग की दाल इनको कौन मुख्यमत्री बनाएगा। अब कोई इनको मुख्यमत्री बनाकर दिखा दे। (शोर एवं व्यवधान) अब इनकी तो यह हालत है कि ये तो लीडर ऑफ ओपीजशन भी नहीं बन सके। हमने तो भूल से इनको मुख्यमंत्री बना दिया था और उसका खामियाजा हरियाणा के लोगो ने भुगता, हम लोगो ने भुगता, अपनी जान से भुगता, परिवार की कुर्बानी देकर भगता, इलाके की कुर्बानी देकर भुगता। इन्दौरा जी, अगर पूरे तथ्य जानोगे तो आसु निकल आएंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री हर्ष कुमार आज एक अच्छी बात सदन मे हुई है। मुझे कहना कुछ और भी था लेकिन दलाल साहब ने टोपिक बदल लिया। दलाल साहब ने और इनकी जो मंडली हे इन्होने ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया इसमें कोई दो राय नहीं और इस बात को पूरा हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। उसका दंड इन्होने भुगता, इनके सारे साथियो ने भी भुगता। आज तक ये प्रायश्चित कर रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी भी मेहरबानी करके, अपनी करतूतो के लिए या तो इस सदन मे प्रायश्चित करे या अपना दंड निर्धारित करे। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, महाभारत मे भी अहसान का बदला अहसान से चुकाया गया है, रामचन्द्र जी के जमाने मे भी अहसान का बदला अहसान से चुकाया गया है। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा की जनता की बात छोडिए इन्होने ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया और उसका अहसान इन्होने कभी नहीं माना,

अहसानफरामोशी मे इन्होंने चुन–चुन कर बदले लिए। (शोर एव व्यवधान)

श्री सुखबीर सिंह जोनापुरिया: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्यांयट ऑफ आर्डर है। यह गलत बात है कि लोक दल के साथी एक माननीय सदस्य को अपनी बात नहीं कहने दे रहे। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इंदौरा: अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री हर्ष कुमार: अध्यक्ष महोदय, इनसे मेरा अनुरोध है कि ये मेरी बात सुने। (शोर एव व्यवधान)

डॉ० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह सढ़ौरा: अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एव व्यवधान)

Mr. Speaker : Please take your seats. Nothing is to be recorded. (Noise & interruption)

श्री हर्ष कुमार: अध्यक्ष महोदय, मै मेवात की भाषा मे एक कहावत सुनाता हू।' (शोर एवं व्यवधान) एक मेवनी के दो बेटियां थी। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इंदौराः अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एव व्यवधान)

श्री हर्ष कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं। मैं न चौटाला साहब की बात करूंगा, न दलाल साहब की बात करूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ईश्वर सिह पलाकाः अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। विपक्ष के साथी सदन की कार्यवाही में विघ्न डाल रहे हैं। आप इनको बिठायें और व्यवस्था बनायें। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इंदौराः अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्यायंट ऑफ ऑर्डर है कि लोक दल के साथियों ने सोचा हुआ है कि जब भी चौटाला जी सदन में आयेंगे ये सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अरजन सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। ये लोग भाई हर्ष कुमार की बोत क्यों नहीं सुनना चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह सढौराः अध्यक्ष महोदय, ...

डा० सीता रामः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री रामफल चिड़ानाः अध्यक्ष महोदय,...

डॉ० सुशील इंदौराः अध्यक्ष महोदय, ...

Mr. Speaker : Please take your seats. Nothing is to be recorded.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, लोक दल के साथियों को तहजीब और सदन मे बिहव करने का तरीका सीखाओ। (शोर एवं व्यवधान) ये किसी भी सम्मानित सदस्य को बाच नहीं करने दे रहे। (शोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इनेलो के माननीय सदस्यों द्वारा यह सब इस सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने के लिए ही किया जा रहा है। यह इस सदन की कार्यवाही को चलने देने का कोई तरीका नहीं है। इन्होंने नीतिगत निर्णय लिया हुआ है और आदरणीय चौटाला जी के सदन मे आते ही ये यह सब शुरू कर देते है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, इसकी कोई व्यवस्था की जाये। (शोर एवं व्यवधान।)

Mr. Speaker : Dr. Indora, **I** allow you to speak. आप क्या कहना चाह्ते हैं ?

डॉ० सुशील इंदौराः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसा करके एक सोची समझी साजिश के तहत सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः स्पीकर सर, मैं माननीय साथी इंदौरा जी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वे इस सदन की गरिमा की चिंता न ही करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इस सदन की गारिमा को अगर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई जा रही है तो वह लोकदल के साथियों द्वारा ही पंहुचाई जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (Noises and interruptions.) Mr. Harsh Kumar, kindly don' t go for personal aspersions. What do you want to say ? Please come to the point.

श्री हर्ष कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। मैंने तो यह बात केवल इसलिए कही थी कि चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में मै भी शामिल था और दुख मुझे भी हुआ होगा। जिस प्रकार से खस सरकार को तोड़ा गया था उस बारे में माननीय साथी श्री कर्ण सिंह दलाल जी ने जिक्र कर दिया है। उसमे चौटाला साहब का नाम आया तो उन्होंने खड़े होकर अपना जवाब दे दिया। उसी तरह से मैं भी इसमे जुडा हुआ था। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। जो आपका लिखा हुआ है मैं उसके अनुसार ही बोलता हूं न मैं गलत बोलता हूं और न ही

गलत सुनता हूं और अगर मैं गलत बोलता हूं तो मुझे भी अधिकार है कि मैं उसकी क्षमा याचना कर लूं। मैंने कौन सी गलत बात कह दी चौटाला साहब से। हम उनका आदर करते हैं वे बुजुर्ग है, जिम्मेवार है और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जिस प्रकार पहले समय मे कहा जाता था कि तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी। तपस्या से राज मिलता है और राज में अगर पाप हो जायें तो फिर नरक मिलता है लेकिन अगर हम नरक के बचना चाहते हैं तो हमें अपने पापो का प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस देश मे ऐसे–ऐसे ऋषि हुए हैं जिनका घडा पाप से भर गया लेकिन बाद में उसका प्रायश्चित करके वे महर्षि भी कहलाये। आज मैं चौटाला साहब को कुछ गलत नहीं कह रहा हूं। एक महिला की दो लडकियां थी।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः स्पीकर सर, मेरा प्वयंट ऑफ ऑर्डर है। मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि जो ऋषि अपने पाप का प्रायश्चित करके महर्षि कहलाये क्या ये उनके नाम भी सदन मे बता सकते हैं।

श्री हर्ष कुमारः स्पीकर सर, अगर किसी ने इस भारतवर्ष का इतिहास पढा है तो उसे इस देश में हुए सभी महान ऋषि–महर्षियों का पता होगा। स्पीकर सर, मैं बता रहा था कि एक महिला के दो बेटियां थी उनमें के एक का नाम था परेशानी और दूसरी का नाम था फिजूली। जब परेशानी मर गई वो उसकी माँ रो रही थी। उस औरत की एक सहेली आ कर कहने लगी कि

बहन क्यों रो रही हो। वह बोली कि मेरी परेशानी मर गई इसलिए रो रही हूँ। उसकी सहेली बोली कि तेरी फिफ्टी तो अभी जिन्दा है, फिर तू क्यों दो रही है। अगर तेरी फिजूली जिन्दा रहेगी तो परेशानी तो अपने आप पैदा हो जायेगी।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आप अपनी बात पूरी करे then move the motion.

12.00 बजे

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से कुछ कहना चाहता हूँ। Before I move the motion, I want to draw his attention कि इस मामले में आगरा कैनाल सिस्टम मे दो कमियाँ रह गई हैं जिन पर सिचाई मंत्री जी को गौर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली को पानी देने के लिए यमुना नदी में से पानी दिया गया है। यमुना नदी में से जो पानी दिल्ली को दिया गया है वह मेवात और फरीदाबाद के इलाके का पानी गया है। पिछली चौटाला सरकार ऐसे ही चलती रही उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। यह तो अच्छा हुआ कि आपने कमेटी बना दी और मंत्री जी देखभाल कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारा जो पानी आगरा कैनाल में कटा है उसकी भरपाई मंत्री जी कहाँ से करेंगे। दूसरी बात गुडगाँव के लिए जो पीने के पानी की नहर बनाई जायेगी उसमे भी यमुना का पानी जायेगा और वह पानी भी हमारे जिले का ही कटेगा। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी आग्रह

करना चाहता हूं कि मंत्री जी आगरा कैनाल के अधिकारियो से बातचीत करें। इसमें जो आगरा कैनाल में हमें हरियाणा का पानी मिलता है और जिस पानी मे कटौती हुई है, चाहे यह किसी कोर्ट के आदेश से हुई, चाहे किसी प्रशासनिक आदेश से हुई वह नहीं होनी चाहिए। गुडगांव के भाईयो के लिए पीने का पानी– जा रहा है हम उसका विरोध नहीं करेगे, उनको भी पानी मिलना चाहिए लेकिन अन्न महोदय, वो पानी दिल्ली को जा रहा है इसके इलावा गुडगाव में एन०सी०आर० चौनल के लिए भी पानी घाना है यह सारा पानी हमारे मेवात और फरीदाबाद के पानी मे से ही तो जाना हैँ। हमारे पानी मे किसी प्रकार की कटौती न हो, क्या मंत्री जी हमें इस वात केलिए आश्वस्त करेगे? इन बातों के साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने एक ऐसे अति महत्यपूर्ण विषय के मुद्दे पर मुझे बोलने का मोका दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस चर्चा के बाद दिल्ली, फरीदाबाद और मेवात मे आगरा कैनाल, गुडगांव कैनाल से जुडे हुए पानी के ले, चाहे वे गंदगी के मुद्दे हैं, चाहे पानी की भरपाई के मुद्दे हैं, चाहे मकैनिजम बनाने का मुद्दा है ये सदन के समक्ष रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूए कि आप हमारा मकैनिजम ही बनवा दें। हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश की सरकार से हमारा कोई विवाद हो। हम उनसे किसी तरह का झगाडा नहीं चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी अगर कोई प्रयास करेगे तो हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारे जिला फरीदाबाद में चाहे कोई भी राजनैतिक दल हो, किसी भी राजनैतिक विचारधारा से जुडे हुए

हमारे दूसरे भाई हो, हम सब उनका साथ देंगे। मन्त्री जी आगरा कैनाल के०पर अगर कोई व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हैं, यमुना के०पर बैराज बनाने की कोशिश करते हैं, गुडगांव कैनाल का पानी ला कर हमारे लोगों को पानी देने की कोई बात करते हैं तो हम सभी धर्मों के लोग, अलग–अलग विचारधाराओ के होते हुए भी सभी मिलकर उनका साथ देगे। अध्यक्ष महोदय, बहन करतार देवी जी ने जो आश्वासन दिया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। गन्दे पानी की वजह से फरीदाबाद में बीमारियां बढ रही हैं उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि इन बीमारियों को हटाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरा प्रयास करेगा। अध्यक्ष महोदय. मैं आपकी मार्फत माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से भी निवेदन करता हूं कि वे भी अपने जन–स्वास्थ्य विभाग को आदेश देने की कृपा करें कि वे तमाम जलस्रोत जहां से जिला फरीदाबाद को पीने का पानी मिल रहा है उस पानी की गुणवत्ता को ठीक करें, उसको चौक करे और उस पीने के पानी मे अगर कोई दवाई मिलाती पडे तो उसके बारे मे भी वे प्रयास करें। अध्यक्ष महोदय, एक आखिरी निवेदन मैं सिंचाई मन्त्री, कैप्टन अजय सिंह यादव जी से करना चाहूंगा। वे कह रहे थे कि मान लें कि अगर यह व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं चल पाती तो आखिरी सुझाव यह है कि आप सब के प्रयास से माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो हांसी बुटाना लिंक कैनाल बनाने का जो संकल्प लिया है और नहर बनती हुई आ रही है इससे फायदा उठाएं। यह प्रदेश की खुशकिस्मती है कि विरोधियो के ऐसे मन्सूबे होते हुए भी

सी०डब्ल्यू०सी० ने जो रिपोर्ट दी है उससे ऐसा आभास हो रहा है कि सरकार के उस संकल्प को सफलता मिलने जा रही है। जब वह पानी कैप्टन अजय सिंह यादव जी हांसी–बुटाना लिंक कैनाल की मार्फत रिवाड़ी जिले मे लेकर आएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि वह पानी साफ और अच्छा होगा और पीने योग्य होगा। स्पीकर सर, फरीदाबाद, मेवात और गुडगांव के लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाने के लिए अगर कोई और व्यवस्था न भी बनती हो तो कम से कम उस नहर के पानी को सोहना के पहाड से नीचे गिरा कर ओर वहां से कैनाल बनाकर आप हमारे दोनों तीनों जिलों में पीने का पानी उपलब्ध करवा सकते हैं। हमारे इन जिलों पर इससे बड़ा और कोई उपकार नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यबाद।

श्री उदय भान (हसनपुर) (एस०सी०): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय श्री कर्ण सिंह दलाल जी ने आगरा कैनाल के ऐडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से सम्बन्धित जो प्रस्ताव किया है मैं उसका अनुमोदन करने के लिए खडा हुआ हूं। श्री कर्ण सिंह दलाल जी ने आगरा कैनाल से सम्बन्धित सभी बातों को सदन के सामने रखा है और अपने कुछ सुझाव भी रखे हैं। उन्हीं सुझावो में मैं अपने कूछ सुझाव और जोड़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आाप स्वयं इस बात को जानते हैं कि फरीदाबाद, गुडगांव और मेवात जिले पुराने गुडगांव के जिले हैं

और वहां के किसान केवलमात्र उस आगरा कैनाल के०पर अपनी सिंचाई और पानी की व्यवस्था के लिए निर्भर करते हैं। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि इस कैनाल का ऐडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उत्तर प्रदेश सरकार के पास होने के कारण हमारे जिले पानी के मामले में बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मेरे साथी ने बताया है कि हमारे हन जिलो का जो कमाण्ड एरिया पहले करीब डेट लाख एकड़ एरिया को सिंचित करता था लेकिन आज क्या परिस्थितियां बन गई हैं कि दिन प्रतिदिन वह कमाण्ड एरिया घटता जा रहा है। हमें जो पानी पहले मिला करता था उसमें बढोतरी होने की बजाय हर साल और हर महीने उसमें कटौती होती जा रही है। मैं यह कह सकता हूं कि पिछले 30 वर्ष से जो आगरा कैनाल के रजवाहे हैं, चाहे हसनपुर रजवाहा है, चाहे होडल रजवाहा है, चाहे हथीन रजवाहा है पिछले 30 साल में केवल एक सीजन को छोडकर कभी तेल तक पानी नहीं पहुचा। जिसका जिक्र माननीय दलाल साहब ने भी किया है। श्री हर्ष कुमार जब सिंचाई मन्त्री थे तब पता नहीं कैसे वहां के लिए पानी की व्यवस्था हुई थी। केवल मात्र एक सीजन को छोड़ कर पिछले 30 साल में कभी भी पानी टेल तक नहीं पहुंचा। टेल की बात तो छोड़ दीजिए मध्य तक भी कभी पानी नहीं पहुंचा। आज इस व्यवस्था के कारण हमें चौतरफा मार पड़ रही है। न तो हमें पानी मिल रहा है और न ही आबियाने से राहत मिल रही है। हमारे किसानो को आबियाना भी देना पड़ रहा है और पानी भी नहीं मिल रहा। पूरे हरियाणा प्रदेश मे सारी नहरे, सारे रजवाहे, सारी

माईनर्ज पक्की बनी हैं लेकिन फरीदाबाद, गुडगांव और मेवात में सभी की सभी माईनर्ज कच्ची हैं जिसकी वजह से पानी की चोरी भी होती है और हमें पूरा पानी मिलता भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आगरा कैनाल से सम्बन्धित निमवारी हैड से चौधरी बंसी लाल जी के टाईम में निर्णय लिया गया था कि एक किलोमीटर को छोड़कर बाकी की सफाई हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार करे। यह तो ठीक है कि एक किलोमीटर के बाद कुछ सफाई तो सरकार करवाती है लेकिन जो एक किलोमीटर का हिस्सा है उसकी सफाई कोई नहीं करवाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार का उसमें कोई भी इन्ट्रस्ट इन्वौलव नहीं है। जब हम उनके लोगो से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है इसलिए हम इसकी सफाई नहीं करवा सकते हैं। स्पीकर सर, मैं होडल और हसनपुर की बात कर रहा हूं। वहां पर इतनी गाद भर गई है कि उसकी वजह से आखिर तक पानी नहीं पहुंच पाता है। स्पीकर सर, हमारी जो नहरे है, रजवाहे हैं, जिनकी कपैस्टी पहले रक क्यूसिक होती थी और जिसमें हमेशा 500 से 550 क्यूसिक पानी चलता था वहां पर 150–200 क्यूसिक पानी ही चलता है। कभी –कभी तो इसमे 50–60 क्यूसिक पानी ही रह जाता हे। स्पीकर सर, उसकी वजह से हमारे जिले का किसान आज पीड़ित है और पानी की वजह से गांव–गांव मे झगड़े होने की नौबत रहती है। वहां पर हमेशा कानून व्यवस्था का मामला खडा रहता है। यहां पर शुक के 5– 10 गांवो में तो पानी पहुंच जाता है लेकिन आखिर के किसी भी गांव में पानी नहीं पहुंचता

हैं। इस वजह से इसमें एक बड़ी भारी दिक्कत महसूस हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो एक किलोमीटर का हिस्सा छोडा गया है उसके बारे में हमारी सरकार या मुख्यमंत्री जी यू०पी० की सरकार से बात करें या कोई कमेटी गठित करके सिंचाई मंत्री उनके बात करे। मंत्री जी इयर बात को सुनिश्चित करें कि वह जो एक किलोमीटर का हिस्सा है उसका भी कंट्रोल वे हरियाणा को दे दे। अगर वहां पर सही तरीके से सफाई हो जाए जिससे वहा पर अपने हिस्से का पूरा पानी मिल जाए तो इससे हमारे पानी की प्रोब्लम काफी हद तक हल हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आगरा कैनाल से हमे जो पानी मिल रहा है केवल कहने को ही उस पानी में हमारा हिस्सा 52 प्रतिशत है। 30 प्रतिशत पानी यू०पी० चौनल से और 22 प्रतिशत पानी का हिस्सा गुडगांव फीडर से आता है। अध्यक्ष महोदय, यह कहने को 52 प्रतिशत है, असल में तो 22 या 20 प्रतिशत से ज्यादा पानी हमे उसमे नहीं मिल रहा है। वहां पर जो पानी का आऊटलैट है उसमें पानी ही नहीं जा पाता हे जिसकी वजह से वहां पर पानी की बडी भारी दिक्कत आ रही है हमारे हिस्से का जो आगरा कैनाल में पानी है वह हमे नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ जो मुद्दा इस सदन मे उठाया गया है इस बारे मे बडी गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि डब्ल्यू०जे०सी० के माध्यम से खुबरू हैड से होते हुए दिल्ली सब–ब्राच आ रही है। उसमे पहले 500– 500 क्यूसिक पानी आता

था। हैदरपुर ट्रीटमैंट प्लांट पर हम दिल्ली सरकार को 200 क्यूसिक पीने का पानी देते थे और 200 क्यूसिक पानी वजीराबाद हैड पर भी देते थे। अध्यक्ष महोदय, 1996 में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसकी वजह से हमारे पूरे का पूरा एरिया बर्बाद हो गया हे। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात को जो पानी मिलता था आज वह भी दिल्ली को दिया जा रहा है। वहां पर जो 2००– 200 क्यूसिक पानी दिया जाता था, उसकी ऐकज मे पैसे लिए जाते थे। लेकिन आज उनको 100, 1300 और 1400 क्यूसिक पानी मुफ्त दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमे जो पानी मिलता था वह सारे का सारा दिल्ली को जा रहा है और आज हमें एक तोला पानी भी नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह बडे ही दुर्भाग्य की बात हे कि यह जो रिचार्ज का पानी आता है इस बारे मे हमारी सरकार कोई गौर नहीं कर रही है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का जो सारा सीवर का गन्दा पानी, फैक्टरियो का कैमिकल वाला गन्दा पानी और दिल्ली के 22 गन्दे नाले, यमुना के अन्दर पड़ रहे हैं। उनमें से केवल 2 ही नालो पर ट्रीटमैट प्लांट लगे हुए है और वे भी खराब पडे हैं। हमारी सरकार ने दिल्ली सरकार पर कभी यह दबाव नहीं बनाया है कि यमुना मे जो भी पानी आए, वह ट्रीट होकर पानी आए। स्पीकर साहब, इस समय अनट्रीटिड पानी वहां आता है जिसके कारण हमे बहुत ही ज्यादा दुर्गन्ध वाला पानी मिलता है। स्पीकर सर, जो थोड़ा बहुत पानी हमे मिलता है वह बहुत दूषित होता है, जिसकी वजह से हमारे जिले मे बहुत सारी बीमारिया फैल रही हैं। कर्ण सिंह दलाल जी

ने ठीक कहा है मै उनकी बात से शत प्रतिशत सहमत हू, इसमे कोई दो राय नहीं है कि इस दूषित पानी की वजह से हमारे जिले मे चाहे हड्डी की बीमारी हो, चाहे कैंसर की बीमारी हो या चाहे दूसरी अन्य बीमारियां हो, फैल रही है। पानी मे क्लोराइड की मात्रा बहुत् ज्यादा होती है और वहां के पानी मे बदबू भी बहुत होती है। वहां पर गंदे पानी की वजह से कोई आदमी पानी के नजदीक खड़ा नहीं हो सकता। स्पीकर सर, जो पीने के लिए पानी वहा इस्तेमाल किया जाता है उसमे इतनी दुर्गन्ध होती है कि आप उसके पास खड़े नहीं हो सकते। इसी तरह से पानी हमारे यहा पर सिंचाई के लिए भी आ रहा है लेकिन हमारा जो पोल्यूशन बोर्ड है वह सोया हुआ है।

श्री अध्यक्ष: उदयभान जी, ये सारी बातें तो दलाल साहब ने पहले ही कह दी है। Kindly don't repeat the same things.

श्री उदयभान: स्पीकर सर, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं पीने के पानी की बात कर रहा हू

श्री अध्यक्ष: उदयभान जी या तो आप यह कहे कि endorse the speech given by Shri Karan Singh Dalal.

श्री उदयभान: वह ठीक हे, लेकिन आगरा कैनाल से संबधित मसले तो यही है जो हमे उठाने हैं। अध्यक्ष महोदय, 1994 मे जो यमुना जल समझौता हुआ था उससे भी हम ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए है। आपने इस बारे मे एक कमेटी भी बनायी

है। यमुना नदी का जो पानी हमारे इलाके को मिलना था वह सारा पानी अब हमे नहीं मिल रहा है इसलिए मेरा आपसे निवेदन हैं कि इस बारे मे एक कमेटी गठित की जाए जो यह बात देखे कि इस यमुना जल समझौते से पहले कितना पानी हमे मिलता था और अब कितना पानी हमें मिल रहा है। स्पीकर सर, तीस सालों से हमारे जिले की नहरो की टेलों पर पानी नहीं पहुंचा है। पूरे प्रदेश मे पक्के नाले है, पक्की नहरे हें और दूसरे जिलो के किसानो से आबियाना भी नहीं लिया जाता लेकिन हमारे जिले में एक भी पक्की नहर नहीं है, पक्के नाले नहीं हैं और हमसे आबियाना भी लिया जाता है।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, दलाल साहब ने आबियाना के बारे मे भी और पक्के नालो के बारे मे पहले ही बता दिया हे।

श्री उदयभानः अध्यक्ष महोदय, 1994 मे जो जल समझौता हुआ था उसमे यह तय हुआ था कि रेणुका बांध, किशाऊ बांध और लखबार बाध जो बनेंगे और उनसे जो पानी आएगा उसमें से हमें भी पानी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद जिले के एरियाज में खासतौर से गुडगांव जिले में जब हमारे माननीय मुख्यमत्री जी के पिता जी सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने गुडगांव कैनाल का निर्माण करवाया था और उससे हमे राहत मिली थी। अब मेवात के एरियाज मे और होडल सब–डिवीजन के एरियाज मे जमीन का पानी खारा है। न वहां पर पीने का पानी हे और न सिंचाई का पानी है। रजवाहे तो होडल और हसनपुर के

नाम से है लेकिन पानी होडल और हसनपुर के नाम से नहीं पहुंचता है इसलिए इस विषय पर गंभीरता से सोचने की बात है। किशाऊ और रेणुका बांध का तो खर्चा दिल्ली सरकार उठा रही है। लेकिन बना वह हिमाचल सरकार रही है। इसका लाभ भी दिल्ली को ही मिलना है, हम तो फिर भी इस पानी से वंचित रह जाएंगे। इसलिए इन बांधो के बारे मे भी मंत्री जी को सीरियसली लेना चाहिए और कार्यवाही करनी चाहिए जिससे हमे राहत मिल सके। एस०वाई०एल० कैनाल का पानी तो फरीदाबाद मे नहीं पहुंचेगा। जो भाखडा मेन लाईन से हासी–बुटाना लिंक कैनाल बन रही है यह अच्छी बात है क्योकि अब समान पानी का बंटवारा करके दक्षिणी हरियाणा को भी पानी दिया जाएगा। अब तक तो उनका हक दूसरे लोग लूट रहे थे लेकिन इस सरकार ने उनको उनका हक दिलाने का प्रयास किया है। इसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है लेकिन वह पानी भी हमारे फरीदाबाद जिले को नहीं मिल रहा है। हम तो पूरी तरह से यमुना के पानी पर ही आश्रित हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस समय पूरे जिले के किसानो मे आक्रोश है और यह आक्रोश कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है। कभी भी वहा के हालात खराब हो सकते हैं क्योकि वहां पर नहर छाती से तो गुजर रही है लेकिन पानी हमे नहीं मिल रहा है। इसलिए इसके लिए गंभीरता से सोचने की बात है और जिस तरह से इस बारे मे सुझाव दिए गए हैं उन पर विचार करने की जरूरत है।

श्री हर्ष कुमार (होडल): अध्यक्ष महोदय, जो यह आगरा कैनाल वाला मसला कर्ण सिह दलाल साहब सदन में लाए हैं, यह बहुत लंबा चौडा नहीं है। इसमे नीयत का फर्क है और उस नीयत के अनुसार काम करने का फर्क है। इस आगरा कैनाल की तीन डिस्ट्रीव्यूट्रीज और 6 चौनल हरियाणा मे फरीदाबाद और मेवात एरिया मे पडती हैं, तीन डिस्ट्रीब्यूद्रीज यू०पी० मे और राजस्थान मे पाच डिस्ट्रीब्यूट्री और 11 चौनल पडते है। जिस हिसाब से उनमे पानी चलता है उस हिसाब से पानी का वहा भी कोई बंटवारा नहीं है क्योकि वह सारा पानी यू०पी० के खाते मे जाता है। कोई पानी नहीं बंटा हुआ है। हम चाहते है जिस तरह से उनका नहले का पोस्टर चलता है उसी तरह से हमारा रोस्टर चल जाए और जिस तरह से उनकी पाचो डिस्ट्रीब्यूट्रीज मे पानी चलता है उसी तरह से हमारी तीनो डिस्ट्रीव्यूट्रीज मे पानी चल जाए। जिस तरह से उनकी 11 चौनलो मे चलता है उसी तरह से हमारी 6 चौनलों में चल जाए, यह हमारी सरकार से गुजारिश है। मंत्री जी इस बारे मे लाजिमी तौर से कोशिश करे। दूसरी जहां तक टेल पर पानी पहुंचने की बात है, टेली के मामले मे न कहीं यू०पी० का झगडा है न किसी और का है। जब होडल डिस्ट्रीव्यूट्रर चलती है तो होडल के टेल पर पानी पहुंच जाए। हमारे साथ तो झगड़ा यह भी है कि हम टेल की तरफ हैं और जो लोग हैड की तरफ हैं, वे वहां पर ओवर इरीगेशन करते हैं और पानी टेल पर नहीं पहुंचता। मेहरबानी करके अगर हैड की तरफ ओवर इरीगेशन रुकवा दें तो हमारी टेलो पर पानी पहुच जाएगा।

श्री साहिदा खानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हू कि जैसे यह दक्षिणी हरियाणा की बात बार–बार आती है। .... (विघन)

श्री अध्यक्षः सदन मे इस समय आगरा कैनाल के नियंत्रण के बारे मे जो प्रस्ताव आया है उस पर चर्चा चल रही है, आप इस पर बोले। इस कैनाल का आपके मेवात एरिया से और फरीदाबाद से जुडा हुआ मुद्दा है। इस पर यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहे।

श्री साहिदा खानः अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में मैं यह कहना चाहूगा कि जो गुड़गांव कैनाल है उसमे भी पानी नहीं आ रहा है। पिछली सरकार के शासनकाल के समय में हर गांव मे जोहड़ और तालाब भरे रहा करते थे लेकिन इस बार तो पानी कहीं दिखाई ही नहीं देता है। मै मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करूगा कि पीने का पानी तो जमीन मे नहीं है लेकिन तालाबो मे ही पानी मिल जाए तो पशु तो पी लें। आदमी तो जाकर मटके, घडे या बाल्टी से पानी भर कर ला सकते हैं लेकिन पशु नहीं ला सकते हैं इसलिए पशुओ के लिए इंतजाम करना बहुत जरूरी हे।

श्री हबीक–उर–रहमान (नूंह): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रस्ताव भाई कर्ण सिह दलाल साहब यहां पर लाए है ड्सके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और इस सदन का भी

बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अपने प्रस्ताव मे भाई कर्ण सिह दलाल जी ने जो बाते यहां पर रखी है मैं उन सब का समर्थन करता हूं। इस बारे मे मेरी भी एक दो सब्मीशंज है। इसमे कोई दो राय नहीं हे कि फरीदाबाद और मेवात के एरिया मे गंदा पानी आने की वजह से बीमारिया बढ़ रही हैं, उनके इलाज के लिए सरकार तुरत कदम उठाए।

श्री अध्यक्षः हबीब–उर–रहमान साहब, इस बारे मे हैल्थ मिनिस्टर साहब ने आश्वस्त कर दिया है। कल एक टीम वहा पर जाएगी और उन इलाकों मे जरूरत हुई तो शिविर आदि भी लगाएंगे। आप रिपीटीशन न करे।

श्री हबीब–उर–रहमानः अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमत्री जी ने और इरीगेशन डिपार्टमेट ने कोटला लेक को मजूर कर दिया है उसको जल्दी से जल्दी बनाकर जिस तरह से बरसात का पानी आगरा कैनाल के माध्यम से समुद्र मे चला जाता है उसको बरसात के मौसम मे इक्ट्ठा करके परमानैंट रिजरवायर बनाकर वह सिचाई के काम लाया जा सकता है, पीने के काम मे भी वह पानी आ सकता है। इसके अलावा एक हमारे यहां राजस्थान कैनाल निकलती है। उसमे से कुछ लोग ट्यूबवैल्ज और इजन लगाकर पानी उठा लेते है और उस पानी का हम आबियाना भी देते है। इसके बावजूद भी हमारे हरियाणा के अफसरान ट्यूबवैल के इंजन को फेक देते हे और हमे पानी नहीं लेने देते हैं। हमारी छाती से पानी गुजर रहा है। मै इस बारे मे सिंचाई मंत्री महोदय से

गुजारिश करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके उन ट्यूबवैल्ज को वहां परमानैंट कर दिया जाए और हमें भी पानी लेने दिया जाए। इसके अलावा इस सीजन में भी कोई पानी मेवात एरिया को नहीं मिला है। यह बात सही है कि सरकार की नीयत बहुत अच्छी है, वह हर इलाके को समान पानी के बंटवारे की बात कह रही है और यह भी बात सही हे कि मेवात का एरिया इस नहर के टेल एड पर पडता है और वहां पर अभी तक 50 प्रतिशत फसलें सुख गई है क्योकि वहां कोई पानी नहीं पहुंचा है। मेहरबानी करके मेवात एरिया के लिए पानी .की मात्रा बढाई जाये।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महराजपुर) अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बडा महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि भी दलाल साहब ने यह संकल्प प्रस्ताव सदन मे रखा है यह बहुत ही चिन्तनीय विषय है। लेकिन मैं उन बातो का जिक्र दोबारा से नहीं करना चाहूंगा जिनका जिक्र पहले माननीय सदस्य कर चुके हैं। दलाल साहब ने और उदयभान जी ने इस बारे मे विस्तार से चर्चा की है। अध्यक्ष महोदय, जिस समस्या के बारे मे आज हम यहां पर बात कर रहे है उसका समाधान क्या है यह हमे देखना है। यह समस्या क्रीएट कैसे हुई? वर्ष 1954 में यह हिस्सा जब पंजाब मे था, इस पानी मे उत्तर प्रदेश और पंजाब का हिस्सा था। उसके बाद 1994 में पानी के बंटवारे का फैसला हुआ तो उसमे पांच स्टेट्स शामिल कर दिए गये। पाच स्टेट्स जब शामिल होने पर जो हिस्सा दिल्ली को दिया गया उसमे दिल्ली के हिस्से मे 238

क्यूसिक पानी की व्यवस्था की थी। लेकिन सबसे बडी दिक्कत इसमे यह पैदा हुई कि दिल्ली को जो हिस्सा दिया गया वह हिस्सा हरियाणा के हिस्से में से कटौती करके दिया गया।

श्री अध्यक्षः इस बारे में तो विधान सभा की कमेटी पहले ही बनी हुई है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, दिल्ली को पानी देने के बारे मे फैसला कोर्ट. मे पी०आई०एल० डालने के बाद हुआ। कोर्ट ने दिल्ली की फेवर में फैसला कर दिया कि– दिल्ली को पानी देने की जरूरत है। दिल्ली को जो पानी का हिस्सा दिया गया वह हरियाणा के हिस्से में –से कटौती करके दे दिया गया। होना तो यह चाहिए था कि दिल्ली को जो पानी दिया जाना था वह हैदरपुर से 381 क्यूसिक और वजीराबाद से 428 क्यूसिक डिस्ट्रीव्यूटरी से दिया जाना चाहिए था। लेकिन आज दिल्ली को 1200 क्यूसिक पानी ज्यादा जा रहा है हरवका सबसे ज्यादा असर हमारे जिले फरीदाबाद पर पडा है जो प्रदेश का आबादी और एरिया के हिसाब से सबसे बडा जिला है। मेवात और पलवल मे पानी पहले से ही खराब है, आप आबपासी की बात करते हैं वहां पीने के पानी की बड़ी भारी दिक्कत है। इसलिए इस मामले में चिन्ता और चिन्तन होना निहायत आवश्यक है। इसके लिए मेरा छोटा सा सुझाव है कि जिस प्रकार दिल्ली के नागरिको द्वारा पी०आई०एल० डालने के बाद दिल्ली को पानी मिला है तो क्यो न हम भी हरियाणा के नागरिको की तरफ से एक पी०आई०एल०

डाल दे। इस पानी का फैसला तो कोर्ट से ही हो सकता है। फरीदाबाद का मैं जिक्र कर रहा था। वर्ष 1999–2000 मे फरीदाबाद में 43 हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होती थी और वर्ष 2002 –2003 मे वहां घट कर 24–25 हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हुई और आज इससे भी कम भूमि की सिंचाई हो रही है।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब तो एक लाख 85 हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की बात कर रहे थे। श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1999–2000 की बात कर रहा हूं। जिस एरिया का दलाल साहब ने जिक्र किया वह पहले की बात है। वर्ष 1999 – 2000 मे यह एरिया घटकर इतना रह गया था। आज जो पानी की अवेलेब्लिटी है वह 4०० क्यूसिक से भी कम रह गई है यह चाहे यू०पी० सरकार की मिस–मैनेजमैंट की बात हो सकती है। इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि हमारे प्रदेश के रिप्रजैंटेटिव इस बारे मे यू०पी० सरकार के पास जाकर बात करे।

श्री अध्यक्षः इस बारे में दलाल साहब ने सुझाव दे दिए हैं।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा भी यह सुझाव है कि इस बारे मे कोई न कोई एक्शन लिया जाये चाहे इसके लिए कोर्ट मे जाया जाये। मै सदन को और सरकार को यह कहूंगा कि इसके लिए कोई सार्थक कदम उठाये जाये। धन्यवाद।

श्री धर्मबीर (गुड़गांव): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी तक इस गैर सरकारी प्रस्ताव पर जितने मैम्बर साहेबान बोले हैं, वे उसी इलाके को रिप्रैजेंट करते है जहां से आगरा कैनाल और गुडगांव कैनाल का पानी आता है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अगर रिकार्ड उठाकर देखा जाए तो 1982 मे सबसे पहले इस बारे मे प्रश्न मैंने किया था और कहा था कि हरियाणा सरकार को इस कैनाल का कंट्रोल ले लेना चाहिए। आज इस बात को 26 साल हो गए है और ये आज इस बात को याद कर रहे हैं, आज मैं इनके साथ शामिल होता हूं। लेकिन एक और दुःख की बात है जिसका शायद इन्होंने जिक्र नहीं किया कि अगर इस बारे मे कोई झगड़ा होता है तो हमें फैसला करने के लिए आगरा जाना पडता है, उसका फैसला हरियाणा मे नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, जब तक हम कोर्ट मे नही जाएंगे मुझे नहीं लगता कि यह फैसला कभी हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी कोई फैसला कर पाएंगे। इसलिए मेरी सिचाई मन्त्री से दरखास्त हे कि इस मामले मे कोई ठीक फैसला करें।

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया: अध्यक्ष महोदय, जहा तक इस आगरा कैनाल और गुडगाव कैनाल की बात है तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र मे भी इनमे से माइनर निकलती है। जैसा भाई करण सिह दलाल जी ने कहा मैं भी एक बात कहना चाहता हूं कि जितना भी ओखला का गद है वह मेरे हलके की नूह

सब–ब्रांच से मेरी कांस्टीच्यूसी के बीच में से जाता है और ओखला से जो गद निकलता है यह बिलकुल काला पानी होता है। वहा न तो सफाई हो पाती है और न लोगो को राहत मिल पाती है। एक हरचन्दपुर डिस्ट्रीब्यूट्री है मैंने कल भी मत्री जी के ओफिस मे कहा था और लिखकर भी दिया था कि यह आधी बनी हुई है और उसमे भी पानी मिलना चाहिए लेकिन पानी नहीं मिल रहा। आज मुख्यमंत्री जी का पानी के समान बंटवारे का सपना है तो मैं कहना चाहूगा कि गहमला माहनर, नेकपुर माइनर और हरचन्दपुर इन तीनों माइनर्ज के साथ विश्वासघात हो रहा है और उनको पूरा पानी नहीं मिल रहा है इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूगा कि हमारे यहां पूरा पानी दिया जाए। करण सिह दलाल जी ने ड्रिकिंग वॉटर पर प्रश्न किया था। सबसे बडी बात है कि जिस डिस्ट्रिक्ट के नाम से पूरे हरियाणा को विश्व मे जाना जाता है आज उसी डिस्ट्रिक्ट गुडगांव मे पानी को समस्या बनी हुई है। वहा जो रोहतक कैनाल से पानी आ रहा है अगर कल को उस पर झगडा हो जाए या बीच मे कही से ये कैनाल बद कर दी जाए तो मैं समझता हूं किं गुडगांव प्यासा मर जाएगा। जैसे करण सिंह दलाल जी पानी की रैस्टोरेशन की बात कर रहे थे तो मै सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सोहना मे भी पानी को रैस्टोर किया जाए ताकि अगर कोई हादसा हो जाता है या फिर कोई और बात हो जाती है तो कम से कम 2– 4 दिन या 10 दिन तक लोगो को पानी दिया जा सके, अब तो ग्राउंड वॉटर

से काम चल रहा है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि गुडगांव मे पानी की समस्या की तरफ ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

संसदीय सचिव (कुमारी शारदा राठौर): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले भाई करण सिंह दलाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि जिन्होने फरीदाबाद, गुडगांव, मेवात के बहुत गम्भीर मुद्दे को उठाया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पहले आगरा कैनाल से डेढ़ लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई हुआ करती थी। जहां आज हर क्षेत्र में हम आगे निकल रहे हैं वहीं हमारे इन जिलो के साथ सिंचाई के क्षेत्र मे किन्हीं कारणों से बहुत ज्यादा पक्षपात हो रहा है। 1997 के समझौते के बाद हमे मैटीनैंस का काम मिला है, एक किलोमीटर हैड के अलावा मैंटीनैंस का काम मिला है। मेरे विचार से हमें मैटीनैस का पूरा काम मिलना चाहिए, उसका पूरा नियंत्रण मिलना चाहिए। ताजेवाला हैड से जैसा कि करण सिंह दलाल जी ने सुझाव दिया कि अगर हम यू०पी० को पानी दे सकते हैं तो हमे इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और कोई समझौता कर लेना चाहिए जिससे हम ओखला बैराज से फरीदाबाद, नूंह और मेवात को पानी दें और ताजेवाला से यू०पी० को पानी दें सके। अध्यक्ष महोदय, जो रिवैन्यू कलैक्शन होता है, वह हमारे यहां फरीदाबाद और मेवात की सिविल अथोरिटीज करती है। ये आबियाना यू०पी० गवर्नमैंट को जाता है और यह पूरी तरह यू०पी० के अधिकारियो के हाथ में रहता है कि वे पानी दे या न दें। महेन्द्र प्रताप सिंह जी ने कहा कि हमें 400 क्यूसिक

पानी की आवश्यकता होती है और मिलता 200 क्यूसिक है। अगर एवरेज देखी जाए तो हमें 150 क्यूसिक पानी ही मिलता है और वह पानी भी दिल्ली से, नजबगढ से होकर आता है। हिडनगढ से जो पानी मिलता है वह बहुत ज्यादा पोल्युटिड वॉटर है। कुछ दिन पहले हमारे यहां के किसानो ने हिसार एग्रीकल्चर यूनीवर्सीटी के वैज्ञानिको को बुलाया था। उन वैज्ञानिको का रोल वहां के पानी का सैम्पल लेने का नहीं बनता लेकिन फिर भी उन्होने वहा के पानी का सैम्पल लेकर उसको टैस्ट किया। टैस्ट करने के बाद उन्होंने हमारे वहा के पानी को पूरी तरह से सिंचाई के लिए अन–उपयुक्त ठहराया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां का पानी सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। किसान भाई जिस समय सिंचाई करते हैं उस समय उनके हाथ–पैर पानी मे होते हैं। वह पानी इतना खराब है कि किसानों के शरीर मैं खुजली होने लग जाती है जिससे उनके शरीर मे स्किन डिजीज हो जाती है और उस पानी से फसले भी जल जाती हैं। हमारे वहां के पानी में हैवी मैटल्ज होने की वजह से वहां के लोग जो भोजन करते हैं, पशुओं से जो दूध लेते हैं उससे वहां के लोगो की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता हे तथा काफी बीमारियां जैसे कैंसर, डायबीटीज, जोनडिस, इनफरटेलिटी, स्किन डिजीज तथा बोन्ज से रिलेटिड बीमारियां हो जाती हैं। इन समस्याओं से वहां के लोगो को तभी बचाया जा सकता है जब दिल्ली में यमुना पर दो–तीन ट्रीटिमैंट प्लाट लगाये जाये और फरीदाबाद जिले के लोगो को स्वच्छ पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जाये। इसलिए सिंचाई मंत्री जी

इस और विशेष ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, इस बारे मे काफी चर्चा पहले ही हो चुकी है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमारे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड को पूरी तरह से सजग होकर कार्य करना चाहिए। क्योकि पानी मे हैवी मैटल्ज में कैडमियम, क्रोमीयम, निक्कल, जिंक, मेगनीज होते हैं और क्लोराईड भी काफी मात्रा में है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां लोगो और पशुओं मे फरीदाबाद जिले मे फैल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां के किसानो के साथ लम्बे समय से पक्षपात हो रहा है। मौजूदा सरकार से हमें उम्मीद है कि वह हमारे किसानो को न्याय देगी। आगरा कैनाल जो हमारे क्षेत्र से होकर जाती है उसका आबियाना भी यू०पी० सरकार को जाता है। इसलिए मैं चाहूंगी कि उस पर पूरी तरह से हमारा कट्रोंल होना चाहिए। चाहे इसके लिए बोर्ड बनाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री जी या मंत्री जी यू०यी० सरकार से बात करे और फिर भी अगर वे नहीं मानते हैं तो सैंट्रल गवर्नमैंट से इसमें हस्तक्षेप करवायें। क्योंकि हमारे क्षेत्र से नहर होकर जाती है इसलिए उस पर पूरा कट्रोंल हमारा होना चाहिए और आबियाना भी हरियाणा को मिलना चाहिए या लोगो का आबियाना माफ होना चाहिए। यू०पी० सरकार को आबियाना नहीं मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं सिचाई मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि मेरे हलके में जो माईनर कच्चे है उनको भी पक्का किया जाये। इसके अतिरिक्त पानी के स्टोरेज के लिए रेनी वैल्व और रिजर्ववायर बनानी चाहिए, पब्लिक हैल्थ मनीस्टर इस बात के लिए इनीसियटिव ले सकते है। हमारा पोल्युशन कट्रोंल बोर्ड जो सोया हुआ है उसे पूरी तरह से

पानी की जांच करनी चाहिए। पब्लिक इन्द्रस्ट लिटीगेशन के फैसले के द्वारा जो पानी दिल्ली को दिया जा रहा है वह दिया जाये लेकिन हमे भी पूरा पानी मिलना चाहिए और इसके लिए हमारी सरकार को गम्भीर रूप से पहल करनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन बातो का मैंने जिक्र किया है उनकी तरफ सिंचाई मंत्री जी ध्यान देंगे और हमारे एरिया के लोगो को सिंचाई और पीने के लिए पूरा पानी देंगे। धन्यवाद।

श्री नरेश यादव (अटेली): अध्यक्ष महोदय, आगरा कैनाल का यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन इस समय सबसे बड़ा विषय है वह यह है कि चाहे फरीदाबाद,गुडगांव या रिवाड़ी का इलाका हो जहां पूरी दुनियां से लाखो लोग आ गये हैं, वहां पर जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं उनकी गिनती नहीं हो रही। बहुत ज्यादा लोग यहां बिना रजिस्ट्रेशन के रह रहे हैं जिसकी वजह से भी अव्यवस्था हो रही हे। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ हांसी–बुटाना लिंक नहर बन रही है जिसकी पानी की डिमांड आखिरी छोर तक हो रही है और यू०पी० सरकार आगरा कैनाल का पूरा पानी नहीं दे रही है। दूसरी तरफ प्रदेश मे बहुत से पावर प्लांट्स लगाये जा रहे हैं, उनमें भी पानी की जरूरत पडेगी। इसके अतिरिक्त गुड़गाव में हजारो एकड जमीन मे एस०ई०जेड० बनाया जा रहा है और वहां भी बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पडेगी। इस समय वहां पर वॉटर लैवल आखिरी स्तर पर है। वैज्ञानिकों द्वारा मेवात, गुड़गांव, रिवाडी से लेकर नारनौल–नागलचोधरी के एरियाज को डार्क जोन

घोषित किया जा चुका है जिससे हम ट्यूबवैल लगाने के लिए बोर भी नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त 6 साल पहले तो हमारे यहा जो वाशिग सर्विस स्टेशन थे उनके०पर भी बैन लगा दिया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि पानी की खपत बढाने वाली जो भी परमीशन्ज हैं उनके०पर भी हरियाणा सरकार का कोई कंट्रोल होना चाहिए। लगभग सभी जगह से जो माध्यम वर्ग के लोग हैं वे गुड़गाव और फरीदाबाद मे आ गये है। शहरों में यह जो अवाछित भीड़ बढ़ रही है इससे भी हमारी पानी की किल्लत बढ़ रही है। जिस प्रकार से आसाम मे असम गण परिषद् ने किया था हमारी सरकार को भी इस बारे मे कुछ वैसा ही करना चाहिए। हांसी–बुटाना लिंक नहर भी जल्दी बनाई जानी चाहिए। इसमे जो भी रूकावटे है और कानूनी पेचीदगिया हैं उनको शीघ्रता से दूर करके पूरे हरियाणा में उपलब्ध नहरी पानी का ईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए जिससे आखिरी छोर तक पानी पहुंच जाये। 1977 से हमारा जो 18 लाख हैक्टेयर फीट पानी था वह केवल दो जिलें सिरसा और हिसार में ही जा रहा था जिससे बाकी जिलो मे वॉटर लैवल नीचे जा रहा है अभी तक तो महेन्द्रगढ और गुडगाव में ही आखिरी छोर तक पानी नहीं पहुचा तो फरीदाबाद और गुड़गांव कैनाल में तो पानी पहुंचने का मतलब 'ही नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान दे और मुझे विश्वास है कि जब निश्चित रूप से हमारे पास उपलव्य 13 लाख हैक्टेयर फीट पानी का ईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जायेगा तो मेवात मे भी पानी पहुंचेगा और गुडगांव कैनाल में भी

पानी पहुंचेगा। इसके साथ ही केन्द्र सरकार की कांग्रेस सरकार को साथ लेकर पानी के मुद्दे पर आपको उत्तर प्रदेश सरकार से बात करके आगरा कैनाल के लिए और ज्यादा पानी प्राप्त करना चाहिए। इसके साथ ही मेरी एक चिंता यह है कि हम जो एस०ई०जेड० और पॉवर प्लांट्स लगा रहे हैं इनके लिए भी और पानी की आवश्यकता होगी। यह अच्छी बात है कि हरियाणा सरकार ने 5000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। मैं तो आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था उनको करनी चाहिए तभी फरीदाबाद, मेवात और दक्षिणी हरियाणा मे पानी पहुच सकता है। इसके साथ अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मै आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा अमर (नारनौल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और सदन मे यह जो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल लेकर आए हैं मैं इसका अनुमोदन करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह बात बिलकुल ठीक है कि आगरा कैनाल में बहुत ही गंदा पानी बह रहा है। इसमे जो पानी है उसके०पर हरियाणा का कंट्रोल होना चाहिए और इसके लिए केन्द्रीय सरकार को इसमे दखल देना चाहिए। एक बाढ के पानी की बात भै। उन्होंने कही है, उसमे बाढ़ का भागी भै। मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस बारे मे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि

एक समस्या का दूसरे की समस्या के साथ सम्बन्ध है। जैसे फरीदाबाद और गुड़गाव में पानी की समस्या है और उसके साथ ही नारनौल और महेन्द्रगढ़ का भी साथ–साथ है। उस समय इतना पानी यमुना नदी मे अवेलेबल होता है कि बाढ का वह पानी मेवात के साथ–साथ गुडगांव में भी पहुचाया व्या सकता है। इसके साथ अध्यक्ष महोदय मुझे बेहद अफसोस के साथ आपको यह कहना पड रहा है कि आज मैंने एक अखबार पढा 'अमर उजाला', उसमें पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो के साथ यह छपा हुआ था और यह ब्यान था कि हांसी–बुटाना ब्रांच नहर के निर्माण की आवश्यकता. ही नहीं है। जब इस तरह की सोच लोगो की होगी तो इस प्रस्ताव से हम जिस मकसद को प्राप्त करना चाहते हैं उसमें हम कामयाब नहीं होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे मे और ज्यादा न कहते हुए यह कहना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को पास किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय देने के लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं।

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी): अध्यक्ष महोदय, इस बात से मैं अच्छी तरह से परिचित हूं कि सरकार के अंग के तौर पर मुझे कोई लम्बी चौडी बात करना वाजिब नहीं होगा। लेकिन एक विधायक के रूप मे और खास तौर पर यमुना कैनाल के०पर आने वाले पहले असैम्बली हलके और प्रदेश के सबसे बडे 3 हलको मे से एक हलके का नुमाइंदा होने के नाते मैं 2– 3 बातें आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जरूर कहना

चाहूगा। सबसे पहले तो मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरे से पहले जितने भी पूर्व वक्ताओ ने इस समस्या का विस्तारपूर्वक विवरण दिया है वह प्रायः निर्विवाद है, वह सही है ओर वह सरकार के गौर करने योग्य है। लेकिन मैं इस बात को भी मानता हू कि यह एक इन्दर स्टेट मसला है और उसमे हमारी कुछ सीमाए भी है और दूसरे प्रान्त के साथ हम विवाद मे उलझकर अपनी समस्या को और बढाना नहीं चाहेगे। उस नाते से मैं दो–तीन बात बताना चाहूंगा। एक तो उत्तर प्रदेश वालो ने यमुना में बैरीकेट लगाये हुए हैं। जब सिंचाई का सीजन आता है तो वे उन बैरीकेट्स को ढीला कर लेते है और जब वाराबदी मे हमारी बारी आती है तब हमे अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल पाता। मेरा सुझाव है उन बैरीकेट को प्रोपरली इन्सटाल किया जाये ताकि हमारे हिस्से का पूरा पानी हमे मिल पाए। दूसरी बात मैं वाई०ए०पी० (यमुना एक्शन प्लान) के बारे मे कहना चाहता हू कि वाई०ए०पी० की योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई है। जिस तरीके से गगा को पोलुशन मुक्त करने के लिए बहुत बडी राशि दी जा रही है, उसी प्रकार यमुना के लिए भी यह स्कीम लागू है। इस स्कीम का फायदा उठाते हुए हम दिल्ली–हरियाणा की सीमा पर कोई भी जगह जो आसानी से मिल जाये वही पर हम अगर पोलुटिड वाटर और कनटैमिनेटिड वॉटर को ट्रीट करके पास करै तो किसी प्रकार का कोई सरकारी विवाद नहीं होगा। इसके साथ ही साथ मैं अपने हिस्से के बारे मे भी कहना चाहूंगा कि जब पीछे से ही कम पानी आ रहा है तो हमे हमारे प्रोपोर्शन का हिस्सा मिले। अगर इतना

सुनिश्चित कर लेगे तो मैं समझता हूं कि हमारे किसान भी खुशहाल हो जायेगे। एक बात मै और मत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेवात में जब मैं सरकारी तौर पर लोगों की मुसीबतें सुनने के लिए जाता हूं तो मेवात वाले 90 प्रतिशत शिकायत यही लेकर आते हैं कि आप औखला बैराज मे फोन करे कि वे हमें अतिरिक्त पानी दे। यह सौभाग्य की बात है जिसके लिए मुझे यहां की ऑप्रेशनल ऐजेन्सी का भी धन्यवाद करना चाहिए कि जब भी इस बारे में शिकायत आई और हम –लोगों ने उन्हे कटैक्ट किया, चाहे ऑफिसियल लेवल पर या मिनिस्ट्रियल लेवल पर, तो उन लोगो ने हमें रिलीफ दिया है। अगर वे फोन करने पर रिलीफ दे सकते हैं तो मंत्री जी ऐसी कोई ऐजेसी बनाये जो इस सिंचाई के वक्त पर वहाँ पर इस तरह का इंतजाम करे और वह पानी उन लोगो को दिलवाए तो हरियाणा खुशहाल होगा। यही कुछ बातें मैं कहना चाहता था। डॉ० शिव शंकर भारद्वाज (भिवानी): अध्यक्ष महोदय, मुद्दा क्योकि पानी का है ओर स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। में श्री कर्ण सिंह दलाल के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इन्होने बहुत अच्छी बाते कहीं हैं ओर कुछ विशेष बातों पर गौर करना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से यह बात सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं कि प्रकृति हमारे साथ बहुत मेहरबान रही है। हिन्दुस्तान ऐसा देश है जहाँ हमारा पानी करीब–करीब इंडीजीनियस है। यही थोडा सा पानी नेपाल से बहता है और थोडा सा तिब्बत से बहता है। पानी का –हमारा एक ही स्त्रोत है, या तो पिघल कर आता है या

बरसात से आता है। बरसात नेच्यूरल होती है और आजकल वैज्ञानिकों ने आर्टीफिशियल बरसात करने की कोशिश भी की है। हमारे देश मे भी कोशिश की है और कुछ अच्छे परिणाम भी मिले हैं। जहाँ पर पानी की कमी होती है बादलो को वहीं पुश कर देते है और बादलो में सिलवर आयोडाईड और सोडियम क्लोराईड को पुश किया जाता है उसे वाटर वैपर बनकर बादल बरस जाते है और अगर वैज्ञानिक इसी तरह से प्रगति करते रहे तो वह दिन दूर नहीं होगा जब जहाँ पानी की कमी हो वहीं हम आर्टीफिशियल बरसात करवा सकेगे। यह कनार्टक मे हुआ है और मैंने इसे देखा है। यह बिल्कुल सत्य है और मेरे पास इसके डाकूमैंटरी प्रूफ हैं। मेरा बेटा वहा पर पढ़ता था और जब यह अर्टिफिशियल रेन वहां करवाई गई तब मैं कर्नाटक में था। आर्टिफिशियल रेन करवाना सम्भव है। स्पीकर साहब, हम तो शायद उस वक्त नहीं होंगे लेकिन एक दिन आएगा जब भिवानी शहर के०पर तो बरसात न हो लेकिन खेतो मे बरसात हो सकेगी। स्पीकर सर, यह टैक्नीक आएगी। (विघन) यह टैक्नीक अभी महंगी और एक्सपैरिमैंटल स्टेज पर है। स्पीकर सर, अगर आपने मुझे बोलने का मौका दिया होता तो मे आपको विस्तार से सारी यातें बताता लेकिन अभी भी मैं पांच मिनट में कुछ ड़म्पोटैन्ट बाते यहां हाउस में बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: डा० साहब, मैंने आपको कहां मौका नही दिया ५

श्री शिव शंकर भारद्वाजः स्पीकर सर, मैंने एक नॉन ऑफिशियल रैजोल्युशन दिया था।

श्री अध्यक्षः डा० साहब, अभी दो नॉन आफिशियल डे आने बाकी हैं। आपने वैसे ही अपने आप सारा मामला कन्कलुड कर दिया। (विघन) आप यह कह रहे हैं कि आप शायद उस वक्त नहीं होगे, आप क्यो नहीं होंगे, आप होगे। (विघ्न) आप ऐसी बात क्यो कहते हैं।

श्री शिव शंकर भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हू कि आर्टिफिशियल बरसात भी सम्भव है। आगे आने वाले समय मे यह सरल भी बन जाएगी और पानी की कमी को आर्टिफिशियल रेन से पूरा किया जा सकेगा। मैं यहां पर एक पुरानी बात कोट करना चाहता हूं। जैसे दलाल साहब ने भी एक बात कही थी कि युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछा था कि पानी पर किसका हक है तो यक्ष ने कहा था कि पानी पर सबका हक है। स्पीकर सर, कास्टीच्यूशन मे यह साफतौर पर लिखा हुआ है और दलाल साहब ने जो कहा है मैं उसकी ताईद करता हूं। श्री नरेश भाई ने डार्क जोन के बारे मे एक बात कही थी कि हमारे हिन्दुस्तान का और हरियाणा प्रदेश का काफी ऐरिया डार्क जोन मे तबदील हो रहा है। यह जोन तीन प्रकार के होते हैं व्हाईट जोन, ग्रे जोन और डार्क जोन। व्हाईट जोन वह जोन है जिसमें सफिशियैट अण्डर ग्राउंड वॉटर है, ग्रे जोन वह ऐरिया है जिसमे 200 फुट से नीचे पानी है और डार्क जोन वह एरिया है जहा 500

फुट से नीचे पानी है। जो डार्क जोन ऐरिया होता है अगर वहीं से हम निचला पानी या पाताल का पानी निकालना चाहते हैं तो वह इक्नोमिकल नहीं है और दूसरे वह पानी अच्छा भी नहीं होता है। हमारे पूर्वजो ने प्रकृति से जिताना भी लिया उतना ही लौटाया। जितना डिस्चार्ज किया उतना ही रिचार्ज भी किया। अब समस्या इसलिए पैदा हो रही है कि जो हम डिस्चार्ज ले रहे है उतना रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि 75% of total water in India is polluted and contaminated. स्पीकर सर, हमारे जो उद्योग है उनमे भी थोडा साईटिफिक तौर पर सोचना चाहिए। आज एक टन कागज बनता है या एक टन इस्पात बनता है तो लाखो लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। जो दूसरे देश हैं उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है कि वहा पर औद्योगीकरण में कम से कम पानी से काम चले। मेरा यह निवेदन है कि हमे भी इस दिशा मे काम करना पडेगा। स्पीकर सर, एक विशेष बात और यह है कि गन्दे पानी के जो नाले बहते है जिनकी बात कर्ण सिह जी ने उठाई है उस बारे मे मैं कहना चाहूंगा। यह बात सही है और देश मे इस बात की बार–बार डिमाण्ड भी उठ रही है कि हम गंगा की सफाई करेगे। स्पीकर सर, कानपुर में लैदर के कारखानो से सबसे ज्यादा गन्दा पानी आ रहा हे और दिल्ली से भी बहुत ज्यादा प्रदूषित पानी आ रहा है। इस बात के तहत जो लोग पानी को प्रदूषित करते हैं, जो लोग नदियो में गन्दगी डालते है सरकार द्वारा उनसे पानी के इस्तेमाल का हक छीना जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस विषय मे श्री

राजेन्द्र सिंह जी जो अल्वर जिले के रहने वाले है उन्होने बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होने पानी को संजोया है और उसका संरक्षण किया है और दिखाया है। राजस्थान जैसे प्रदेश मे 1960 के बाद उन्होंने पानी का स्टोर किया है और जो नदिया सूख गई थी वे सदानीरा बन गई हैं। सरवरी नाम की नदी सुख गई थी वहा उन्होने पानी का सरक्षण शुरू किया और उस नदी मे अब पानी आने लग गया है जिससे वहां पर वैजिटेशन बढ़ा है। वैजिटेशन अगर बढता है तो वहां पर जो कार्बन डॉयऑक्साईड है वह उसको भी सोखता है इससे हमारा जो ईको सिस्टम है, वह प्योर होता है। जैसे कि स्वास्थ्य मन्त्री जी ने बोला है कि वे स्वास्थ्य कैम्प लगवा कर बीमारियो की जांच और निदान करवा देंगी। इस बारे मे मै एक जरूरी बात कहना चाहता हूं prevention is better than cure. जब तक हम इसका प्रिवैशन नहीं करेगे तब तक हम cure बिलकुल नहीं कर सकते हैं। क्योर मे तो कई खतरे हैं जब कि प्रिवैशन आसान और सरल है जो कि काफी कम पैसे मे हो सकता है। पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर साहब अभी हाउस में बैठे नहीं है मैं उनसे भी रिक्वैस्ट करना चाहता हूं। इरिगेशन मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे वॉटर वर्क्स हैं उनमें ओपन पाईप से नालों मे पानी जा रहा है जो कि उचित नहीं है यह पानी क्लोज पाईपो से जाना चाहिए और उनमे कोई मल या मैल नहीं डालना चाहिए। जो रा–वॉटर हम वाटर वर्क्स में सप्लाई करते हैं वह शुद्ध होना चाहिए। यदि

पानी मे मल और गन्दगी डालते जाएंगे तो उसकी सफाई करने मे ज्यादा दिक्कत आएगी।

श्री अध्यक्षः डा० साहब, यह बात आई०जी० साहब के सवाल मे आ गई है।

श्री शिव शंकर भारद्वाजः सर, मैं एक बात और कहना चाहता हू। हिन्दुस्तान मे पानी की कमी नहीं है, कमी है तो पानी को ठीक प्रकार से प्रयोग करने की। यदि हम हमारे देश की नदियो को जोडने की तरफ ध्यान दे और पानी के इस्तेमाल मे हम सचेत हो जाएं और अपनी डयूटी पूरी करे तो मैं समझता हूं कि हम पानी के बारे में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो कुछ हमारे पूर्वजो ने हमें दिया है उसको सहेज कर रखे। स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन मे दो–तीन सुझाव देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, भारत के सिंचाई मंत्री जी ने सिंचाई के 14 या 16 नैशनल प्रोजैक्टस की घोषणा की है। उसमे किसाऊ डैम, रेणुका डैम और लखवार डैम भी आते हैं। उसके बारे मे कर्ण सिंह दलाल जी ने बोलते हुए पोल्युशन की बात की थी। इस पोल्युशन की सबसे बडी वजह यह है कि यमुना मे पानी रैगुलेट नहीं होता है उसमे पोल्युशन का एलीमैट बहुत ज्यादा है। यह जो लीन सीजन होता

है उसमें पोल्युशन का एलीमैंट बहुत ज्यादा बढ जाता है। इसलिए अगर त्तीनो डैम्ब को प्रायरीटी पर बनाया जाए तो यमूऋना का पानी जो पोल्युट भी होता है वह भी डायल्ट हो जाएगा। जिससे यह पानी किसानो के खेतों के लिए ही नहीं बल्कि पीने के लायक भी हो जाएगा। दूसरी बात मै यह कहना चाहता हू कि यह जो ओखला बैराज है उसमें अपर रीचिज मे दिल्ली सारा पानी लीन सीजन मे इस्तेमाल करता है ओर गन्दा पानी छोड़ता है। इसमे दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है कि वह उस पानी को ट्रीट करके आगे छोड़े। ट्रीटमैंट प्लांट पर और यमुना एक्शन प्लान पर सैकड़ो करोडों रुपए खर्च हो रहे हैं लेकिन दिल्ली सरकार उस पानी को ठीक से ट्रीट करके नहीं छोड़ रही है, वह इसलिए ट्रीट करके नहीं छोडती है क्योंकि आगे तो उन्होने उस पानी को प्रयोग नहीं करना है। आगे तो उस पानी को हमने, राजस्थान और यू०पी० ने प्रयोग करना है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि जो ट्रीटमैंट प्लाट दिल्ली मे लगे हुए हैं उन पर हरियाणा का कंट्रोल होना चाहिए ताकि हमारे जो नागरिक है उनको अच्छा पानी मिल सके। उनको अच्छा पानी देने की जिम्मेवारी हमारी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और सुझाव है कि आगरा कैनाल चार हजार क्यूसिक की कैपेसीटी की है। उसमे हमारा हिस्सा 600 क्यूसिक है। अगर हम बैराज से ही 600 क्यूसिक की एक कैनाल अपनी ही निकाल ले तो हमे किसी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की जरूरत नहीं रहेगी न ही किसी और के कंट्रोल की जरूरत रहेगी। अध्यक्ष महोदय, हमे इन बातो के लिए कोशिश करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, एक किलोमीटर के बाद उन्होंने गुड़गाव कैनाल का कंट्रोल हमें दे दिया है। मेरा यह मानना है कि बैराज मे ही यह प्रोवीजन हो जाए कि हम 600 क्यूसिक ट्रीटीड वॉटर सीधा ही अपने चौनल में डाल दें तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो किसानो को बढिया और पोटेबल वॉटर मिल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आप किसी गांव मे जहा पर 4 मौते हुई हों अफसोस करने के लिए जाएं तो उनमे से आपको एक ऐसा आदमी मिलेगा जिसकी मौत कैंसर की वजह से हुई होगी। अध्यक्ष महोदय, इस बात को वैज्ञानिको ने भी माना है कि पोल्युटिड वाटर ही कैसर के होने की सबसे बडी वजह है। हम यह नहीं चाहते है कि यू०पी० से हमारा कोई विवाद हो। हम तो यह चाहते है कि अगर बैराज से हमारा 600 क्यूसिक पानी मिल जाए और दिल्ली के ट्रीटमेंट प्लांटस का कंट्रोल हमारे हाथ मे आ जाए तो हम अप्पने हरियाणा के उस इलाके के 40 लाख लोगों को स्वच्छ पानी दे सकते है, यही मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध हे।

डा० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदया, माननीय साथी श्री कर्ण सिह दलाल जी जो गैर–सरकारी संकल्प प्रस्ताव सदन में लेकर आए है, यह संकल्प अति महत्वपूर्ण है। इस सदन में चर्चा भी अच्छी हुई है और उस चर्चा मे एक दो बाते खुलकर आयी हैं। एक तो इसमे इंटर स्टेट के डिसप्यूट की बात आयी है। कि हमारा यू०पी० के साथ इस

मामले मे डिसप्यूट है। कारण क्या है वह तो सरकार तह में जाकर देखेगी। दूसरी बात पोल्युटेड पानी की आयी है। फरीदाबाद, गुडगांव और मेवात के जिलों के एरियाज में जिस तरह से जनसंख्या बढ रही है उसके अनुरूप वहा पर पीने का पानी नहीं मिल रहा है। स्पीकर सर, अच्छे सुझावो के साथ मेरा एक सुझाव यह है कि चाहे बरसाती नदी हो, जैसे घग्गर नदी है। या दूसरी नदीयाँ हैं इनमें जो भी पानी बहता है यदि उसमें कैमीकल मिलते है तो यह कैमीकल कैंसर गंभीर बीमारी को बढाने वाले होते हैं। इसलिए इस तरह की नदियो में सरकार को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि उनमें किसी भी तरह के कमीकल्ज न मिल पाएं। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि चाहे सामाजिक स्तर पर या चाहे किसानो के स्तर पर और चाहे इंटर स्टेट स्तर पर अगर इस तरह के मामले होते हैं तो उनको सुलझाना चाहिए। मेरी जानकारी में यह बात आयी है कि नहरो का सिस्टम ऐसा है कि एक नहर के पानी को दूसरी नहर के माध्यम से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है इसलिए सरकार को इसके लिए ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। चाहे एस०वाई०एल० कैनाल का डिसप्यूट हो या चाहे हांसी–बुटाना लिंक नहर का डिसप्यूट हो, जिसका मामला राजस्थान हाई कोर्ट मे भी गया हुआ है, सरकार ऐसा प्रबन्ध करे कि बाद में डिसप्यूट ही न पैदा हो। हांसी बुटाना लिंक कैनाल के मामले मे भी यदि सरकार पहले से ही बात कर लेती तो शायद बाद मे कोई चर्चा नहीं होती और किसानो को भी उसका पानी समय पर मिलता तथा किसानों को फायदा होता। इसी तरह से एस०वाई०एल०

कैनाल के मामले में भी यदि सरकार की तरह से पहले से ही बात कर ली जाती तो बाद मे कोई बात ही नहीं रहती। स्पीकर सर, मेरा सुझाव है कि प्रायोरिटी के तौर पर जो इटर स्टेट डिसप्यूट है, उनको सरकार हल करें। जिस तरह से पानी का पोल्युशन बढता जा रहा है उसको देखते हुए सरकार को कोई ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि लोगो को पीने का पानी स्वच्छ मिले और किसानो को इसका फायदा भी मिले। स्पीकर सर, यह एक अच्छा प्रस्ताव है इसलिए मैं इसका अनुमोदन करता हूं।

13.00 बजे

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय जिह यादव): स्पीकर साहब, आज सुबह से इस मामले पर चर्चा चल रही है। कर्ण सिंह दलाल ने इस बारे में एक रेजोल्युशन मूव किया है। विशेष तौर पर आगरा कैनाल पर कंट्रोल के बारे मे बहुत से मैम्बर्ज बोले हैं। कर्ण सिंह दलाल, हर्ष कुमार, महेन्द्र प्रताप सिंह, उदयभान, शारदा राठौर, चौधरी बिरेन्द्र सिहं जी, इंदौरा जी, नरेश यादव, हबीब–उर–रहमान और शाहिदा जी ने भी अपने– अपने विचार इस बारे मे सदन में रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, मै समझता हूं कि यह जो चर्चा हो रही है इससे काफी ऐसे मुद्दे सामने आये हैं जो प्रदेश के हित मे हैं। यमुना का जो पानी है एक तो यह हथनीकुंड बैराज से होकर निकलता है जहा से वैस्टर्न यमुना कैनाल और इस्टर्न यमुना कैनाल निकलती है वहां पर कंट्रोल हरियाणा का है तथा ओखला बैराज से जो पानी जाता है वह आगरा कैनाल और

गुडगाव कैनाल से होकर निकलता है और उसका कंट्रोल यू०पी० का है। जो आगरा कैनाल है इसकी कैपेसिटी तकरीबन चार हजार क्यूसिक्स की है और इसमें जो मेजर शेयर हैं, वह यू०पी० के लोगो का है। इस रैजोल्युशन के माध्यम से कर्ण सिंह दलाल जी ने अनुरोध किया है कि आगरा कैनाल का कंट्रोल हरियाणा को दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, यह एक इंटर स्टेट मामला है इसलिए यह मुद्दा कफ्रैटेशन रन नहीं बल्कि नैगोशिएशन से बातचीत के द्वारा हल हो सकता है। कर्ज सिंह दलाल जी और हर्ष कुमार जी स्वयं भी सिंचाई मंत्री रहे हैं। 1997 मे इन्होने एक वार्तालाप करके एक किलोमीटर तक का जो एरिया था, उसके बारे मे कहा था कि उसका कट्रोल यू०पी० के पास आएगा और आगे जो एरिया है उसका रखरखाव हमारी गवर्नमैट करेगी। चाहे उसकी सफाई की बात हो, चाहे और कोई मुद्दे हो। आगरा कैनाल मे से तरीबन 51 चौनल्ज निकलती हैं। वैसे तो यहा पर विभिन्न विभिन्न आकड़े माननीय सदस्यो ने बोलते हुए दर्शाये है। कुछ सदस्यो ने यह जानना चाहा है कि सिचाई कितने एरिया मे हो रही हे। मेरे पास जो आकडे हैं उनके मुताबिक तकरीबन 1.4 लाख एकड कमांड एरिया है जिसकी सिचाई हो रही है। यह बात सही है। कि जो ऐवरेज हमे पानी मिलना चाहिए वह नंवबर से फरवरी मे तकरीबन 1138 क्यूसिक्स पानी आम तौर पर इसमे चलना चाहिए। आप जानते हैं कि पिछले 2–3 साल से वर्षा कम हो रही है। उसमे नवबर से फरवरी तक उत्तर प्रदेश का शेयर 26 परसैंट है और हरियाणा का 53 परसेंट शेयर हे। 600 क्यूफिक पानी का हमारा

हिस्सा बनता है और मार्च से जून तक 26 परसैंट हिस्सा यू०पी० का और 52 परसैंट हरियाणा का है। अध्यक्ष महोदय, जो बात निकल कर आई है उसके मुताबिक जुलाई से अक्टूबर तक जिस वक्त पानी यमुना में आता है उसमे तकरीबन 8560 क्यूसिक पानी ऐवरेज चलता है। उसमे यू०पी० का शेयर तो 76 परसैंट रख दिया और हरियाणा का केवल मात्र 7 परसैंट शेयर रख दिया यह मामला आज तक किसी ने नहीं उठाया। यानी कि जब पानी फालतू मिलता है तो हरियाणा का शेयर कम निर्धारित किया है। कल जब मैं अपने अधिकारियो से हस विषय पर बात कर रहा था तब मैंने रिकार्ड मे यह देखा। मेरा यह मानना है कि इस दौरान अतिरिक्त शेयर उसी प्रपोर्शन मे हो। यह कैनाल बहुत ही पुरानी है मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह अब से नहीं है, यह 1896 से है। उस वक्त कोई शेयर निर्धारित नहीं किया गया था। आज से पहले किसी सरकार ने इस इशु को टेकअरा नहीं किया। अब इसके बारे मे यू०पी० की सरकार से बात की जाएगी और हम केन्द्र सरकार से भी इस इशू कने टेकअप करेगे। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि जहां इंटर स्टेट का मामला आता है वहां नैगोसिएशन से ही बाल हो सकती है। बातचीत के जरिए ही हल निकल सकता है। कफनट्रेशन से बात नहीं बनती। पहले किसी सरकार ने अपने समय मे इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की, यह मुद्दा कर्ण सिंह दलाल साहब लेकर आए हैं इसके अलावा आज सदन मे इस बारे मे बहुत सारी बाते आई हैं। कर्ण सिह दलाल साहब ने यह बात रखी है कि हमारे आफीसर्ज इस बारे मे यू०पी०

के अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, वैसे तो रैगुलर तौर पर हमारे अधिकारी उनके अधिकारियो से बातचीत करते रहे हैं और करीबन 1.40 लाख हैक्टेयर वहां बुकिंग है। आगरा कैनाल से 52 परसैंट इरीगेशन है व एनोदर ड्रेन से 10 परसैंट इरीगेशन है इस प्रकार कुल मिलाकर 62 परसैंट इरीगेशन है। एक इन्होंने ऐडीशनल गेट्स कै। बात की है। (विघ्न) दलाल साहब, इतना सीरियस मैटर आपने यहां पर उठाया है और अब आरा यहां बातचीत करने मे लगे हुए है, आप इस बारे में गौर से सुनिये। आपने गेट्स की बात कही है। यह गेट्स तकरीबन साढ़े तीन साल पहले बना दिये गये थे उस वक्त इन पर किसी ने ऑडजैक्शन नहीं किया था। उस वक्त ओमप्रकाश चौटाला जी की सरकार थी और उस समय इन्होने कोई ऑब्जैक्शन नहीं किया था। उस वक्त किसी ने इसको अपोज नहीं किया। लेकिन यह बात सही है वर्ष 2005 मे 600 क्यूसिक पानी आगरा कैनाल रमे और 450 क्यूसिक गुडगांव कैनाल से हमे मिलता था, वर्ष 2006 मे 450 क्यूसिक और वर्ष 2007 मे 400 क्यूसिक पानी आगरा कैनाल से मिलता था। यह मैं मानता हूं कि इस दौरान बरसात भी कम हुई है। और पानी की कमी भी रही है। अध्यक्ष महोदय, श्री कर्ण सिंह दलाल जी ने आबियाना की बात की कि फरीदाबाद और मेवात के लोगों से आबियाना वसूला जा रहा है जबकि बाकी हरियाणा के जिलों में आबियाना माफ किया दुआ है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के किसी हिस्से में भी आबियाना माफ नहीं किया गया हे। यह तो जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी तो

चुनाव से 3–4 महीने पहले उन्होने आबियाना माफ करने की बात की थी वह तो केवल चुनावी स्टट था और केवल लोगो से वाहवाही लूटने के लिए यह बात की गई थी। (विघन) जहा यह सैंटर की बात कर रहे हैं सैंटर ने तो जून से ही 60 हजार करोड रुपये के कर्ज माफ केरने की बात की है। जबकि चुनाव होने में अभी एक साल है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः सढौरा जी आप सीनियर मैम्बर हैं अगर आपने कोई बात कहनी है तो खड़े होकर कहिए। बैठे–बैठे रनिंग को मैंट्री मत कीजिए।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के किसी हिस्से में भी आबियाना माफ नहीं हुआ है। आबियाना हरियाणा के हर किसान से लिया जा रहा है। चौटाला साहब ने तो वाहवाही लूटने के लिए यह किया था। स्पीकर साहब, श्री कर्ण सिंह दलाल जी ने एक बाल क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे मे कही कि पानी की क्वालिटी बहुत खराब है। इसके लिए औखला और हैदरपुर के जो वाटर ट्रीटमैंट प्लांट है जो दिल्ली का पानी ट्रीट करते हैं, इसके बारे मे हमने दिल्ली सरकार के इरीगेशन मिनिस्टर से मीटिंग की है और भारत सरकार के वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर के सामने भी इस मुद्दे को रेज किया है और उनको कहा है कि इस बारे में कार्यवाही की जानी चाहिए। हम दिल्ली के नागरिको के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं कर सकते। कही इरीगेशन करने के लिए 15 बी०ओ०डी० पानी की जरूरत होती है। लेकिन

जो दिल्ली से पानी हमें मिल रहा है उसकी बी०ओ०डीम 40 है। अध्यक्ष महोदय, मैने यह भी मामला उठाया है कि जहां से यह पानी दिल्ली से इस नहर मे डलता है और जहां फरीदाबाद के पास पानी निकलता है इन दोनो जगह से सैम्पल लिए जायें। इस बारे मे हमने सैन्ट्रल वाटर कमीशन को भी कई बार लिखा है। मैंने कई बार यह मामला भारत सरकार के समक्ष रखा है। इस बारे मे पत्र भी लिखा है और वहां के अधिकारियों से भी मिला भी हूँ। मै श्री कर्ण सिंह दलाल जी के और श्री महेन्द्र प्रताप सिह जी से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दिल्ली के नागरिकों ने हरा बारे मे पाइ०आई०एल० डाली है उसी तरह से फरीदाबाद के नागरिको से भी एक पी०आई०एल० डलवा दी जाए क्योंकि इस पानी से आम नागरिक बहुत तंग है। मैं तो समझता हू कि पब्लिक के नुमाइंदे यह पी०आई०एल० डाल दें और आप लोगो का सहयोग हो तो यह हो सकता है।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मत्री जी ने पर्यावरण के बारे में जिक्र किया, इन्होने खुद कबूल किया है कि पोल्युशन का 40 बी. ओ. डी. लैवल जो है, वह उनके हैड पर है। अष्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि कारखानो का, सीवरेज का या कोई और जो भी एफ्लूएंट है वह दिल्ली मे यमुना में पड रहा है उसमें हमारी मजबूरी हो सकती है हालांकि वहां भी हम कार्यवाही कर सकते है। लेकिन फरीदाबाद में मिसाल के तौर पर जो इलैक्ट्रोप्लेटिंग का धन्धा है, वह हरियाणा में सबसे ज्यादा

फरीदाबाद मे है। इलैक्ट्रोप्लेटिंग का जो पौल्यूटैंट है उसका फरीदाबाद मे कहीं ट्रीटमैंट नहीं किया जाता है। उसमे साइनाइड का इस्तेमाल होता है। अध्यक्ष महोदय, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साइनाइड कितना खतरनाक पदार्थ है जिसको जीभ पर रखने से भी आदमी की मौत हो सकती है। सारे इलैक्ट्रोप्लेटिंग के काम फरीदाबाद में हैं इसके इलावा फरीदाबाद के न रजाने कितने कारखानो का गंद आगरा कैनाल, यमुना कैनाल और गुड़गांव कैनाल में पड रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे इस मामले में क्या कार्यवाही कर रहे हे।

कैप्टन अजय सिंह यादव दलाल साहब, आप मंत्री रहे हैं, आपको मालूम है कि ये दायरा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड का होता है। आपने बात रेज की है, सदन मे आपने मामला उठाया है तो मै आपको बताना चांहूगा कि यहा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी बैठे है और सरकार इसको नोट करेगी और जो इस तरह के काम करते है उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। आपने यह बात रेज की है तो हम भी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड को लिखेंगे कि उन पर रोक लगाई जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं पी०आई०एल० की बात कर रहा हू। पी०आई०एल० एक अहम मुद्दा है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका यह फर्ज बनता है कि इस प्रकार की जनहित की याचिकाएँ डाले। दिल्ली वाले इस मामले मे बडे एक्सपर्ट हैं उन्होने 1996 मे पी०आई०एल० डलवाई जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऑडर्ज पास

कर दिए हैं। जबकि जो इंटर स्टेट का मामला होता है सुप्रीम कोर्ट का उसमे दखल नहीं होता, ऐसे केस ट्रिब्यूनल मे जाते हैं। अब अदालत के फैसले मैं क्या कह सकता हूं? उस पी०आई०एल० के०पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम आर्डर पास कर दिए कि दिनी वालो को पीने के लिए जितना पानी देना पडे, आपको देना पड़ेगा और जो ओखला, हैदरपुर के बैराज हैं उनका लैवल आपको रखना पड़ेगा। जब बरसात के दिनों में पानी कम हुआ तो हमे पानी कम करना पड़ा उसकी एवज मे आज हरियाणा के०पर कटैम्प डाल दी गई है। 2000 में ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार रही इन्होने कभी हस मामले को टेक अप नहीं किया। यह सरकार आने के बाद हमने डस मामले पर सुप्रीम कोर्ट मे रिव्यू पटीशन डाली। हमने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के आडर्ज हैं, ये सही बात नहीं है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, ये पी०आई०एल० की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसमे हरियाणा का जिक्र किया है कि हरियाणा दिल्ली को पीने के लिए पानी दे। हमारा मानना है कि हरियाणा अपने हिस्से मे से पानी क्यों दे, अगर दे तो सारे पानी में से कटौती होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए इन्होने कोई अपील की है। मेरा मानना है कि इस बारे में हमें अपील करनी चाहिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को कहना चाहूंगा कि उन्होने आडर्ज दिए थे कि हरियाणा अपने हिस्से मे से पानी नहीं देगा बल्कि पूरा यमुना का जो पानी है उसमे से रेशो के हिसाब से देगा। अध्यक्ष महोदय, आज से पहले किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने सुप्रीम कोर्ट में पटीशन डाली है और सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सी०डब्ल्यू०सी० को रैफर किया है। और सी०डब्ल्यू०सी० की मीटिंग एक फरवरी, 2008 को हुई है। मिस्टर पराशर जो हमारे इरीगेशन के सैक्रेटरी हे उन्होने एक लैटर दिल्ली गवर्नमैंट को लिखा है कि जो दिल्ली वाले पानी ले रहे हैं क्या ये सीवरेज के लिए ले रहे हैं या गार्डनिग के लिए ले रहे हैं और यह भी बताए कि आपकी ड्रिकिग वाटर की रिक्वायरमैट कितनी है। क्या आज से पहले किसी सरकार ने इस तरह के लैटर लिखे है या इस तरह की कोई वार्तालाप की है? इस सरकार ने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पटीशन डाली है कि यह मामला ट्रिब्यूनल को दे क्योकि सुप्रीम कोर्ट को कोई अख्तियार नहीं है कि जहां इंटर स्टेट का मामला हो, वहा इस तरह के आदेश पारित करे। अध्यक्ष महोदय, क्योकि दिल्ली मे बहुत से वी०आई०पीज० रहते हैं इसलिए दिल्ली वालो के साथ हमदर्दी रहती है। इस तरह की दिक्कत हो रही है कि एक तरफ तो हमारी पंजाब से लड़ाई है और एक तरफ दिल्ली वालों से लडाई है। हमारे जो किसान है वे इस मामले में पिस रहे है। यमुना के मामले में यू०पी० वाले हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे झगड़ा नहीं करेगे, हम उनसे वार्तालाप करेंगे। अध्यक्ष

महोदय, दूसरा मुद्दा इन्होने एस०टी०पी० लगाने का उठाया है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी और ए०सी० चौधरी जी ने भी यह बात उठाई है कि ट्रीटमैंट प्लांट लगने चाहिए। इस बारे मे मै पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारा विभाग पहले रो ही सैंट्रल वाटर कमीशन से यह केस टेक अप कर रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय मत्री से भी बात चल रही है कि जैसे ओखला से हमारे यहा पानी एटर करता है वहां पर एस०टी०पी० लगना चाहिए ताकि हरियाणा को साफ होकर पानी मिले और उसका खर्चा भी दिल्ली सरकार को देना चाहिए, क्योकि दिल्ली वाले ही पानी को पोल्युट कर रहे हैं और उस पर कंट्रोल हरियाणा का होना चाहिए। इस प्रकार से हमने पहले से ही सैंट्रल वाटर कमीशन के सामने मामला रेज किया हुआ है। जहां तक माननीय साथी दलाल साहब ने कहा है कि हिंडन नदी से पानी ले ले। इस बारे में मैं मेरे साथी को बताना चाहूंगा कि यह इंटर स्टेट मामला है। इस बारे मे पहले हम अधिकारियों के लैवल पर बात करेगे कि वहां से किस प्रकार से पानी लिया जा सकता है। जहां तक मेरे साथी ने किठवाड़ी हैड वर्क्स से छेडछाड की बात की है। इस बारे मे मैं माननीय साथी को आश्वस्त करना चांहूगा कि हम किठवाडी हैड वर्क्स से छेडछाड नहीं करने देगे, किसी प्रकार की वहां कन्सट्रेक्शन नहीं करने देगे। इसके अतिरिक्त मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हम ओखला हैड वर्क्स की कैपेसिटी बढाने के बारे में भी बात करेगे। इस समय ओखला हैड की कैपेसिटी 4000 क्यूसिक है, हम उसको बढवाना चाह रहे हैं

ताकि बरसात के दिनो मे हम ज्यादा पानी ले सके। औखला से पहले बैराज बनाने के बारे में कल यहां चर्चा हुई थी। इस बारे मे भी हम विचार कर रहे हैं कि जहां पर ओखला मे पानी एंटर करता है वहा से पहले एक बैराज बनाया जाये ताकि उस बैराज के द्वारा हरियाणा को फालतू पानी मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी महेन्द्र प्रताप जी ने 1994 मे जो यमुना अकोर्ड हुआ था उसका किया है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने भी कहा कि किसाऊ, लखवार और रेणुका डैम जल्दी बनने चाहिए। इस बारे मे मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे अधिकारियो के लैवल पर इस बारे मे कई मीटिंग हो चुकी हैं और दिल्ली मे भी कई मीटिंग हो चुकी हैं। हम पूरी-पूरी कोशिश कर रहे है कि जल्दी ही हमारे अप-स्टोरेज बनाये जायें। इस बारे मे दिल्ली में एक मीटिग 20- 12 -2006 को हुई थी और दूसरी मीटिंग सी०डब्ल्यू०सी० से 11 - 2- 2003 को हुई जिसमे feasibility of construction of Dams के बारे मे चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय, 1994 से पहले यमुना में हरियाणा का 67 प्रतिशत पानी का हिस्सा था लेकिन 1994 मे उसको घटाकर 49 प्रतिशत कर दिया। यू०पी० का जितना पानी पहले था उतना ही रखा गया। लेकिन हमारे हिस्से से दिल्ली को पानी दे दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आपने इस बारे मे हाऊस की एक कमेटी भी बनाई हुई है। इस बारे में चर्चा की जा रही है कि किस प्रकार से उस मामले को दोबारा से टेक-अप किया जाए। क्योंकि पहले इस मामले मे यह था कि रेणुका डैम की सारी बिजली और सारा पानी दिल्ली प्रदेश लेगा। उसको हमने

रिओपन करवाया क्योंकि उस पर राजस्थान सरकार के हस्ताक्षर नहीं थे। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेवात कैनाल का प्रोप्जैक्ट हमने बना दिया है। जहां तक हांसी–बुटाना लिंक ब्रांच नहर की बात है तो इस बारे मे मै बताना चाहूंगा कुछ लोग इसमे बहुत सी बाधाये डाल रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। उन्होने किस प्रकार से 16 पटीशन्ज तो हाई कोर्ट मे डाल रखी हैं और 5 पटीशन्ज सुप्रीम कोर्ट में डलवा रखी है। पूर्व सिंचाई मंत्री श्री राम पाल माजरा स्वयं हाई कोर्ट मे इसकी तारीखो के दौरान बैठते हैं, मैंने उनको स्वयं देखा है। मैं यह बात ऑन दी रिकार्ड कह रहा हूं। वे इस केस मे हाई कोर्ट मे गये हैं और इसके लिए उन्होंने सभी कुछ करके दिया है।

डॉ० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हू कि वे यह कह कर क्या साबित करना चाहते हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव: मै यह साबित करना चाहता हूं कि आप लोग नहीं चाहते कि पूरे हरियाणा प्रदेश मे पानी का समान बटवारा हो।

डा० सुशील इन्दौरा: ....

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मै सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हस्ति–बुटाना नहर के

निर्माण के बारे में जो हमारे इश्यूज थे उनको सी०डब्ल्यू०सी० ने 11 –3–2008 को मान लिया है।

श्री बलवंत सिंह सढ़ौरा: अध्यक्ष महोदय,

डॉ० सुशील इन्दौरा: आपने सी डब्ल्यू सी से पहले परमिशन क्यो नहीं ली ?

श्री अध्यक्ष: इंदौरा जी, जब मैंने आपके एक साथी को बोलने के लिए अलाऊ किया है तो आप क्यों खड़े हो। आप उनको बोलने दीजिए।

श्री बलवंत सिंह सढौरा: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 1994 मे जब यमुना जल समझौता हुआ तब किसकी सरकार थी ?

कैप्टन अजय सिह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो उस समय यमुना जल समझौता हुआ था उस पर पुनर्विचार के लिए एक कमेटी बनाई गई है।

श्री अध्यक्ष: साढौरा साहब, आप यह पूछ रहे हैं कि उस समय किस की सरकार थी तो इस बारे में कल आपके लीडर ने कहा था कि यह एक पूर्व मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। जहां तक आपके सवाल का सम्बन्ध है तो उसमे यह टर्म ऑफ रैफ्रैंस भी थी कि जो मामला कैबिनेट से अप्रूव

करवाया गया वह अलग था और जो डिसीजन लिया गया वह अलग था, दोनो मे डिफरैंस था। जो डिसीजन लिया गया था उस पर कैबिनेट की अप्रूवल नहीं ली गई थी। (शोर एवं व्यवधान।)

कैप्टन अजय सिंह यादव स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से इनको यही बताना चाहता हूं कि उस समय जो मामला केबिनेट के सामने रखा गया था और जो समझौता हुआ था उन दोनो मे भिन्नता थी इसीलिए इसको फिर से एग्जामिन करवाने के लिए हाऊस की कमेटी बनाई गई है।

श्री अध्यक्षः हम अब इसी बात का फैसला करने जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान।) देखिए समय हो गया है आप मंत्री जी को अपना जवाब देने दीजिए।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, जहां तक इनके सवाल का सम्बन्ध हैं तो मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पहले सिंचाई मंत्री हिसार और सिरसा के ही बनते थे और इसीलिए– उन्होने यह मामला कभी उजागर नहीं किया। इस बौर पहली बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने दक्षिणी हरियाणा से किसी को सिंचाई मंत्री बनाया है और उसी ने यह मामला उजागर किया है। दूसरा मेवात कैनाल के बारे में हमने सी०डब्ल्यू०सी० को 126 करोड का एक प्रोजैक्ट बनाकर भेज दिया है। इसकी आग्श्यक ड्राईंग्ज वगैरह भी बन रही हैं। यह जे०एल०एन० फीडर से टेक ऑफ करेगी और गुडगांव कैनाल में

गिरेगी और आपके एरिया की पूर्ति करेगी। यह मेवात कैनाल बनाने का काम भी मौजूदा सरकार ही करेगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो एन०सी०आर० चौनल की बात की है, वह पलवल तक पानी लेकर जायेगी और उस पर 225 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा। इस प्रोजैक्ट पर कार्य तीव्र गति से जारी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले दिनो ही इसकी आधार शिला रखो थी और 31 मार्च, 2009 तक यह चौनल बनकर तैयार हो जायेगा। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, साथी कर्ण सिह दलाल ने रोस्टर सिस्टम के बारे में चर्चा की है, यह बात बिलकुल सही है कि रोस्टर सिस्टम मेनटेन नहीं हो पा रहा है। इस रोस्टर सिस्टम को पुनः लागू करने के बारे मे हम अपने अधिकारियो से बात करेंगे। अगर रोस्टर सिस्टम लागू नहीं होता है। और मुझे यू०पी० सरकार से बात करनी पडी तो मैं स्वयं बात करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आप जो भी रूलिंग देगे हम मानेगे ओर प्रदेश की जनता की समस्याओ को हल करवायेंगे। हरचन्द डिस्ट्रीब्यूटरी को एक्सटैड करने के बारे में जो मेरे साथी जौनापुरिया जी ने बात कही है उस पर भीा हम विचार करेगे और अपने अधिकारियो से बात करेगे और उसको एक्सटैड करने बारे विचार करेंगे। दूसरे जो गुडगांव कैनाल की केपेस्टी बहुत ज्यादा है उसके लिए गुडगाव कैनाल के साथ–साथ हम एक छोटा चौनल बनाना चाहते हैं ताकि उसमे पानी तेजी से क्लो कर सके और जब एस०टी०पी० लग जायेगा तब जो पानी आयेगा वह गुड़गांव कैनाल में पानी सही तरीके से चले, इसलिए हम साथ मे एक छोटा चौनल बनाने

पर विचार कर रहे है। हम इसका लैवल ठीक करके एक छोटा सा बैक बनाकर एक 600 क्यूसिक की स्टोरेज बनायेगे। इसके अतिरिक्त जो बैरिकेट के बारे मे मेरे माननीय साथी ने बात रखी है उसको हम जरूर टेकअप करेगे। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने रावी व्यास लिक 2 के बारे मे बात रखी है। यह पहली सरकार है जिसने यह मामला उठाया कि हमारा सारा पानी पाकिस्तान मे जा रहा है इसलिए रावी व्यास लिंक बैराज नं० 2 बनना चाहिए जिसको पंजाब आज भी ओपोज कर रहा है, चाहे पानी पाकिस्तान मे चला जाये। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पानी के मामले मे पूरी तरह से सजग है और हमारी हर सम्भव कोशिश है कि हम हरियाणा की जनता को ज्यादा से ज्यादा पानी पहुचाए, उनके हितो का अहित न हो। मेरे माननीय साथी श्री कर्ण सिंह दलाल और जो दूसरे साथियो ने यही पर जो चर्चा की है उसके लिए मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि उन्होने जो भी सुझाव दिये हैं हमारे अधिकारी उन मामलों को टेकअप करेगे। यू० पी० के अधिकारियो से हम बातचीत भी करेगे लेकिन मैं माननीय साथी श्री कर्ण सिंह दलाल से अनुरोध करूँगा कि अब वे इस रेजोल्युशन को वापिस ले ले। अगर उसके बाद भी कोई हल नहीं निकलता है, तो चाहे मंत्री लैवल पर या मुख्य मंत्री लैवल पर हमे बातचीत क्यों न करनी पड़े, हम जरूर बात करेगे और अगर ट्रिब्यूनल गठित करने की बात होगी तो वह भी गठित करेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने जवाब दिया है, उसमे कुछ बिन्दुओ पर वह जवाब नहीं दे पाये, इसलिए उन बिन्दुओ को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे दस मिनट का समय और दिया जाये।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 10 मिनट के लिए बढा दिया जाये।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है हाउस का समय 10 मिनट के लिए बढाया जाता है।

आगरा नहर के प्रशासनिक नियन्त्रण संबंधी गैर सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)

श्री मागे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब मे जो हरियाणा का शेयर बताया है वह नवम्बर से फरवरी तक 26 परसैंट है और यू०पी० का 53 परसैंट है। जुलाई से यू०पी० का 78 परसैंट और हरियाणा का 7 परसैंट हिस्सा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कोई समझौता दो स्टेट्स के बीच मे होता है तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन तो बनती होगी। जो भी जस्टिफिकेशन है वह रिकॉर्ड मे तो होगी ही। यह इतना फर्क कैसे है इस बात को हाउस में बताना चाहिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव अध्यक्ष महोदय, यह जो कैनाल है यह 1694 से ऐसे ही चल रही हे। बहुत पुराने समय से ऐसे चल रही है। इस मामले को आज तक कभी भी किसी ने नही उठाया है। हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे कि किस लैवल पर ऐसी बातचीत हुई है। मेरे पास इस समय यह रिकार्ड नहीं है। मैं अपने अधिकारियो से इस बारे में कहूगा कि पानी के मामले मे इस प्रकार की जो अनियमितता हो रही है वह पता करवाएं। अध्यक्ष महोदय, जैसे कर्ण सिंह दलाल जी कह रहे थे कि बरसात के दिनों में भी हमे इसी रेशो मे पानी मिल सकता है। लेकिन इसमे उन्होंने यह कर रखा है कि जब 8560 क्यूसिक पानी अगर होता है तो उन्होने माना है कि हमारा शेयर 500 क्यूसिक ही रहेगा जो कि तकरीबन 7% बनता है। (विघन) बरसात के दिनो मे भी बारिश 8560 क्यूसिक होती है। तो भी वे हमे ऐवरेज पानी केवल 600 क्यूसिक ही देते है। यमुना का पानी सारे समय चलता रहता है। हम उनरने यह बात कर सकते हैं कि हमारा शेयर बढा कर 600 क्यूसिक की बजाए ज्यादा किया जाए और वह फालतू पानी हमारा सिस्टम ले सकता है। स्पीकर सर, यह बात करने की है जो ऑफिसर्ज लैवल पर हम करेगे। जो हमारा शेयर है वह 600 क्यूसिक है इसरो ज्यादा नहीं है। पानी की हमारी रेशो नहीं है बल्कि वे हमे 600 क्यूसिक पानी देते है इसमे यू०पी० का शेयर 53% दिल्ली का शोयर 26% और राजस्थान का शेयर 21% है लेकिन हमारा जो शेयर है लीन पीरियड मे 600 क्यूसिक है ओर थ्रू आउट दि ईयर भी उन्होने हमारा शेयर 600 क्यूसिक ही रखा

हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यहा पर जो आकडे प्रस्तुत किये गये हैं जुलाई से अक्तूबर तक उनमे डिस्किपैसी क्यो है यह तो रिकार्ड देखने के बाद ही बता सकेगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि 600 क्यूसिक पानी का हिस्सा हरियाणा का मानते हैं लेकिन असल मे तो वह पानी हमे नहीं मिल रहा है, वह इनके रिकार्ड में 600 क्यूसिक कैसे हो रहा है हमे यह नहीं पता है लेकिन किसानो के खेतो में 600 क्यूसिक पानी नहीं आता है। (विघन) हमे तो 200 क्यूसिक पानी भी नहीं मिलता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव अध्यक्ष महोदय, मैं इनको आकडे बता देता हूं। वर्ष 2005 मे 450 क्यूसिक, वर्ष 2006 में 450 क्यूसिक और वर्ष 2007 मे 400 क्यूसिक हमे ऐवरेज पानी मिला है इसमे गुडगांव कैनाल का पानी और आपकी आगरा कैनाल का भी शामिल है। आध्यक्ष महोदय, बरसात में पानी की कमी रही और दिल्ली में भी हमारा काफी पानी चला जाता है, यह सारी बात इनको मालूम है।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि मेंने यह कभी नहीं कही कि हम यू०पी० से कोई विवाद चाहते हैं। मैंने यह निवेदन किया है कि हम भी इस देश के वासी है, हम भी हरियाणा प्रदेश के निवासी हैं और हमें भी पानी की जरूरत है। हमारी पानी की जरूरत केवल

खेतों के लिए नहीं हे, बल्कि हमे पीने के पानी की भी जरूरत है। अगर हमें पानी मिलेगा तभी वह रजवाहों मे चलेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय इस बात को मानेगे कि उसकी कैपेसिटी 3000 क्यूसिक है। हरियाणा मे जो सबसे पहली नहर बनाई गई थी वह नहर च्चायंट पंजाब मे बनी थी और चौधरी रणबीर सिंह जी ने वह बनवाई थी जो कि आदरणीय मुख्य मन्त्री जी के पिताश्री हैं। यह ज्वायंट पंजाब के समय भी हमारी हरियाणा की सबसे पहली नहर है, जिसकी तीन हजार क्यूसिक की कैपेसिटी मे से मात्र 300 क्यूसिक पानी ही इसमे चलता है और इसमे भी गाद भरी रहती है। अध्यक्ष महोदय, ये मानते हैं कि चार हजार क्यूसिक पानी आगरा कैनाल मे चलता है और उसमे से 200 क्यूसिक पानी भी हमारे किसानों को नहीं मिलता है। इन्होने यह भी माना है कि एक लाख 40 हजार एकड़ हमारी धरती इसके कमाण्ड ऐरिया मे है और वह पानी लेने का हमारा हक्ट है।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, कल तो आप एक लाख पिचासी हजार कह रहे थे।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, मेंने एक लाख पचास कहा था और फिर एक? लाख पचास से चालीस हजार के बीच कहा था और वह इन्होने माना भी है। स्पीकर सर, वैरने भी मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा जो रिकार्ड मे है वह वही रहेगा। अध्यक्ष महोदय, हम यू० पी० से कोई विवाद नहीं चाहते हैं। यह अच्छी बात है, यू०पी० हमारे साथ सहयोग करती है और हम भी

उनके साथ सहयोग करना चाहते हैं लेकिन यह जो सारी व्यवस्था है यह तमाम की तमाम व्यवस्था हमारे अपने मकैनिजम के लिए है। स्पीकर सर, मैंने अपने संकल्प मे मांग भी है कि कोई मकैनिजम ऐसा बने जिससे पानी के बंटवारे में कोई न कोई न्यायोचित फैसला हो।

श्री अध्यक्षः ऑनरेबल मिनिस्टर की रिप्लाई में यह बात आ गई हे कि अगर कोई amicable settlement in between the States होगी तो वह की जाएगी। इसमे यह dispute settle हो जाएगा

श्री कर्ण सिंह दलालः सर, अगर आप सही समझें तो इस बारे ने मेरा निवेदन है कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है। सर, अगले हफ्ते भी गैर सरकारी दिन आएगा। मंत्री जी हमें एक हफ्ते का समय दे दे। ये अपने अधिकारियों के साथ हमारी बैठक करवाएं और हम मुख्यमंत्री जी के साथ भी बात कर लेगे। अगर ये इस बारे मे अच्छा सा फार्मुला बना देगे तो हम अगले हफ्ते के लिए इस गैर सरकारी संकल्प को विदड्रा कर लेगे।

श्री अध्यक्षः कर्ण सिंह जी, मंत्री जी ने आपको प्यायंट टू प्यायट जवाब दे दिया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल अध्यक्ष महोदय, इन्होने एक बात कही है कि ये दिल्ली की सरकार के खर्चे पर एस०टी०पी० लगाने की बात करेंगें। लेकिन दिल्ली की सरकार हमें क्यों खर्चा देगी।

हमारे बच्चो को गन्दा पानी पीना पड़ता है, हमारे पशुओं को गन्दा पानी पीना पड़ता है और हमारी ही फसलो मे गन्दा पानी लगता है। अगर उसका खर्चा दिल्ली की सरकार देगी तो ही क्या ये तहां पर ट्रीटमैट प्लांट लगाएंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं यह पहले भी कह चुका हू कि केन्द्र मे हमारे जो वाटर रिसोर्सिज मंत्री हैं उनसे इस बारे मे बात चल रही है। सी०डब्ल्यू०सी० से भी बातचीत चल रही है। जो प्रदेश गन्दा पानी हमारे प्रदेश को भेज रहा है ते। यह उनकी ही जिम्मेवारों बनती है कि वे हमें ट्रीटिड पानी दे। उन्होने जिन प्राईवेट पार्टिज को ओखला और हैदरपुर मे ट्रीटमैंट प्लांट दे रखा है, वे पानी का ट्रीटमैंट नहीं कर रहे हैं। हम उनसे इस मामले को टेकअप करेगे। दूसरी बात इन्होने कही है कि सरकार इसके तारे में कोई मकैनिजम निकालें। इस बारे में मैं यह कह चुका हूं कि हमारे आफिसर्ज के लैवल पर पहले मीटिंग होगी, फिर मिनिस्टर लैवल पर बातचीत होगी अगर फिर भी बात नहीं बनी तो मुख्यमत्री जी के लैवल पर भी बातचीत कर सकते हैं। हम भी इस बारे में चिन्तित है और मैंने खुद देखा है कि वहा पर बहुत ही गन्दा और काला पानी जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जितने चिन्तित ये हैं उतनी चिन्ता हमे भी हैं। अगर हमारे प्रदेश के लोगो को इस तरह का गन्दा पानी मिलता है तो उसके निपटारे के लिए हमारी सरकार पूरा प्रयास करेगी यह मैं पहले भी कह चुका हूं।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, हमने भी और सभी ने यही निवेदन किया है कि इसमें हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी नौबत खडी हो कि हमारी सरकार और यू०पी० की सरकार मे कोई मतभेद पैदा हो। मेरा जो संकल्प है यह यही कहता है कि हमारी यह सरकार ऐसी कोई व्यवस्था बनाए, कोई ऐसा मकैनिजम बनाए जिससे यह प्रोब्लम दूर हो जाए। अध्यक्ष महोदय, हम तो इनको कहते है कि आप कोई मकैनिजम बना लीजिए इसमें हमे कोई दिक्कत नहीं है। हम यह नहीं कहते हैं कि आप किसी से झगडा करे। इन्होने जो सदन मे आश्वासन दिया है उसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि ये इस संकल्प को अपने महकमे में अपने पास रखे। हजूर हम इस हरियाणा के वासी हैं, आप हमारे०पर भी कृपा करे। (विघन)

श्री अध्यक्षः चलो इन्होंने कह दिया है कि he is satisfied.

Mr. Speaker : Question is—

That this House recommends to the State Government that some mechanism may be evolved to have the administrative control over the functioning of Agra Canal for proper and assured supply of share of water to the territory of Haryana State.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the permission may be granted for the withdrawal of the

resolution ?

Voices : Yes.

(The permission was granted to withdraw the resolution and the resolution was withdrawn.)

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. On Friday, the 14th March, 2008.

*13.38 hrs.

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 14th March,. 2008.)

अनैक्श्चर

Steps Taken for Administrative Reforms

***823. Dr. Sushi! Indora :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any steps have been taken by the Government for making Administrative Reforms in the administration during the year 2006-2007; if so, the details thereof ?

मुख्यमन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): श्रीमान जी, एक विवरणी सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरण

हां, श्रीमान् जी,

वर्ष 2006–2007 के दौरान प्रशासन मे प्रशासकीय सुधार करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए 1 प्रशासकीय सुधार विभागः – –

(1) उत्तरदायी और नागरिक मित्रता शासन प्रदान करने के लिए छ विभागो ने अपने नागरिक अधिकार पत्र (चार्टर) तैयार किए है।

(2) यात्रा खर्चा क्लेम फार्म को तर्क संगत तथा सरल किया गया।

(3) अमले की आवश्यकता के आकलन के लिए दो विभागो की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया गया।

2. ग्रामीण विकास विभागः – भारत सरकार को एम०पी०एल०डी०एस० सहित सभी केन्द्रीय क्षेत्र ग्रामीण विकास योजनाओ पर रिपोर्टो के प्रस्तुतीकरण की ऑन लाईन मॉनिटरिंग आरम्भ की गई।

3. पर्यटन विभागः – वर्ष 2006–07 के दौरान चार सव्यूहों अर्थात् रैडबिशप पंचकूला, होटल राजहंस, सनबर्ड मोटल और सुरजकुण्ड मे हरमीटेज की सम्पूर्ण गतिविधियों को कम्प्यूट्रीकरण करने के लिए सम्पूर्ण होटल प्रबन्धन सॉफटवेयर आरम्भ किया गया तथा पूरा किया गया जबकि 3 पर्यटन संव्यूहो अर्थात् बड़खल लेक, ओपसिस और कर्णलेक से सम्बन्धित कार्य आरम्भ किया गया।

4. उद्योग एबं वाणिज्यिक विभागः– एम०एस०एम०ई०डी० एक्ट, 2006 के उपबधो के अनुसार औद्योगिक उद्यमी को ज्ञापन लघु एवं उद्यमो के लिए इलैक्ट्रोनिक माध्यम से दर्ज करना तथा स्वीकार करना आरम्भ किया जा चुका हैं।

5. लोक निर्माण (भवन एवं सड़के विभाग)ः– भाग द्वारा निम्नानुसार मुख्य पहल की गई है – (1) वित्तीय शक्तियो का सशोधन

(2) पी०डब्ल्यू०डी० कोड का संशोधन करना

(3 ई– टैंडरिग की शुरुआत।

6. परिवहन विभाग

हरियाणा रोडवेज कर्मशाला मे अपने अमले को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव आरम्भ किया गया।

7. विकारा एवं पंचायत विभाग

(1) ग्रामीण क्षेत्रो मे विकास कार्यो को कार्यान्वयन के सम्बन्ध मे कार्य प्रक्रिया सरल की गई हे।

(2) ग्राम पंचायतो को 3 लाख रुपये तक के कार्य अपने स्तर पर सम्पन्न करवाने के लिए अधिकृत किया गया है। इन कार्यो को करवाने के लिए राशि सम्बन्धित ग्राम पचायतो को स्थानान्तरित भी की जा रही है।

8. सिचाई विभाग

प्रत्येक स्थान क्य विजुअल मैटीरियल निरीक्षण रजिस्टर वी०एम०आई०आर० को आरम्भ किया

9. जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग

(1) 25.00 लाख रु० तथा अधिक लागत की परियोजनाओं के लिए उचित किस्म के निर्माण की गुणवत्तों को सुनिश्चित करने के लिए M/s RITES and WAPCOS द्वारा तीसरी पार्टी द्वारा जांच करवाना आरम्भ किया जा चुका है।

(2) कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति के लिए वर्ष 2006–07 मे सॉफटवेयर का विकास आरम्भ किया गया, जो अब प्रयोग में लाया जा रहा है।

(3) विभाग ने वर्ष 2006–07 मे अपनी स्वयं की वैब–साईट भी शुरू की तथा वैब– साईट पर निम्नलिखित सूचना नियमित उपलब्ध करवाई जा रही है।

(4) प्लान एव नान–प्लान कार्यो के लिए महीने का साख पत्र (एल०ओ०सी०) वित्त विभाग द्वारा पहले जारी किया जा रहा था। वर्ष 2006–07 के दौरान बिजली०र्जा के बिलों का भुगतान साख पत्र को जारी करने की शक्तियो को प्रत्योजित करने का प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता, हरियाणा लोक निर्माण विभाग जल आपूर्ति एव स्वच्छता विभाग को दिया गया है। वित्त विभाग की स्वीकृति के पश्चात् 1 – 4–2007 से लाग कर दिया गया है: –

(क) समाचार पत्रों मे प्रकाशित करने की विद्यमत प्रक्रिया के अतिरिक्त 10 लाख से अधिक लागत के कार्यों का टैण्डर नोटिस किया जाता है।

(ख) चल रहे कार्यो जल आपूर्ति एवं सीवरेज कार्यों से सम्बन्धित लम्बित बिजली कनैक्शन एवं मुख्यमंत्री घोषणाओं की ऑन लाईन पर मोनिटरिग।

10. नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

(1) सरकार ने निजी लाईसैस कालोनियों के विकास की प्रगति के संचालन के उद्देश्य से विभाग मे मोनिटरिग एवम् लेखा परीक्षा कोष्ट स्थापित किया गया।

(2) सरक ने निजी लाईसैंस कालोनियो के विकास के प्रगति के संचालन के उद्देश्य से हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 के उपबधो तथा इसके अधीन बनाए नियमो के पालन को सनेश्चित करने के लिए विभाग मे मोनिटरिग एवं लेखा परीक्षा कोष्ट स्थापित किया गया।

(3) यह मोनिटरिंग एवं लेखा परीक्षा कोष्ट आर्थिक रूप मे पिछडे वर्गो को बिना लाभ व हानि के प्लाटों/फलैटो (ई०डब्ल्यू०एस०) के आबंटन तथा कालोनाईजर के वित्तीय की जांच करने सहित लाईनैंस की सेवा शर्तो की पालना को भी सुनिश्चित करेगा।

(4) विभाग में सभी स्तरों पर ई–प्रशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 4.25 करोड रुपये की लागत से कम्प्यूटरीकरण प्रोग्राम अनुमोदित किया गया है। परियोजना को टरन–की (turn-key) बेसेज पर आरम्भ करने के लिए एक निजी कम्पनी से दिनाँक 9–5–06 को एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं। यह प्रोग्राम सभी स्तरों पर वास्तविक ई–गवनैस को सुनिश्चित करेगा तथा प्रणाली में पारदर्शिता तथा कुशलता लाएगा।

11 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

(1) हुडा ने अलाटियो के लेखो तथा कार्यालय कार्य का कम्प्यूट्राईजेशन आरम्भ करके प्रशासनिक सुधर से संबंधित एक मुख्य पहल की है।

(2) वैब के०पर प्रत्येक एप्लीकेशन को दो मापकों जोकि प्लाट तथा सम्पति प्रबन्धन (पी०पी०एम०) एवं वित्तीय लेखा प्रणाली (एफ०ए०एस०) के आनुसार लेने का कार्य सम्पदा कार्यालय, हुडा, पंचकुला से प्रारम्भिक आधार पर शुरू कर दिया गया है१ (3) प्लाट तथा सम्पत्ति प्रबन्धन (पी०पी०एम०) मे पंचकुला सम्पदा कार्यालय के सभी सैक्टरों को ऑनलाईन कर दिया गया है। प्रयोगकर्ता पहचान (यूजर आई०डी०) एवं कुंजी शब्द (पासवर्ड) प्रत्येक प्लाट धारक को जारी कर दिये गये हैं ताकि वे किसी भी स्थान एव समय पर अपनी सम्पति का ब्यौरा देख सके।

12. तकनीकी एवं शिक्षा विभाग

(1) तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा ने अच्छे शासन एवं बेहतर प्रशासन के लिए राजकीय बहु–तकनीकी, उटावर, राजकीय बहु–तकनीकी, नाथुश्री चौपटा, राजकीय बहु–तकनीकी, लौहारू एवं राजकीय बहु–तकनीकी, मानेसर को राजकीय बहु–तकनीकी शिक्षा समितियो में बदल दिया। नरवाना, साधी, लेसाना तथा चीका में नए राजकीय बहु–तकनीकी की सोसाईटी ढंग में स्थापना की गई है।

(2) हरियाणा राज्य काउसलिग सोसाईटी ने सभी तकनीकी कोर्सिज के प्रवेश मे एकल खिड़की प्रणाली, विद्यार्थियों का दवाब कम करने के लिए तथा पारदर्शिता लाने के लिए ऑन–लाईन स्थापित की गई है 1।

13. खेल एवं युवा कार्यक्रम विभागः–

विभाग ने वर्ष 2006–07 के दौरान फतेहाबाद, झज्जर, नारनौल, पानीपत, रिवाडी तथा सिरसा मे अधीनस्थ कार्यालयो को प्रशासनिक सुधार के लिए कम्प्यूटर सैट उपलब्द करवाए हैं।

4. पर्यावरण विभाग

(1) पर्यावरण विभाग, हरियाणा ने पर्यावरण बारे जनता की जागरूकता बढाने की आवश्यकता, योजना बनाने सम्बन्धी निर्णय में पारदर्शिता तथा विश्वसनीय पर्यावरण सूचना की आवश्यकता को बढाने के लिए राज्य की रिपोर्ट (एस०ओ०ई०आर०) प्रकाशित की है, जिसका विमोचन 5 जून, 2006 को किया। गया था।

(2) विभाग ने जैविक विविधता के सरक्षण, इसके अवयवों का सतत प्रयोग तथा जैविक स्त्रोतो की जानकारी से होने वाले लाभों का उचित एवं न्यायसंगत हिस्सेदारी के लिए दिनांक 1 4– 1 –2006 को अधिसूचना द्वारा हरियाणा राज्य बायो–डाईवर्सिटी बोर्ड का गठन किया गया है।

15. गृह विभाग

(1) 2007 में राज्य विधान सभा द्वारा हरियाणा पुलिस विधेयक, 2007 पारित किया गया है तथा विभाग इसके अधीन नियम बनाने की प्रक्रिया मे है।

(2) मई, 2006 से राज्य अपराध शाखा को सी०आई०डी० से पृथक किया गया तथा वह पुलिस के अपर महानिदेशक रैंक के अधिकारी के अधीन पृथक से कार्य कर रहा है।

(3) जांच की गुणवता मे सुधार करने के क्रम में पुलिस थाना स्तर मे कानूनी व्यवस्था अमले से पृथक जांच अमला बनाने के लिए भी प्रयत्न किया गया है।

16. बिजली विभाग

(1) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटिड के अमले के मानदण्डो तथा ढांचा को पुनः गठित करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव जून 2006 मे एच०बी०पी०ई० को प्रस्तुत करने की हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटिड ने पहल की है।

(2) एक छत के नीचे उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की शिकायतो को दूर करने के लिए दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटिड ने फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुडगांव, भिवानी, हिसार

तथा सिरसा मे उपभोक्ता देखभाल केन्द्र स्थापित किए है ताकि उपभोक्ता मैत्री माहौल बनाया जा सके।

(3) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटिड ने यमुनानगर तथा रोहतक मे दो उपभोक्ता देखभाल केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की है।

(4) एच०पी०जी०सी०एल० ने गैर तकनीकी अमले की पुनः संरचना प्रारम्भ की है।

17. राजस्व विभाग

(1) प्रायः सभी जमाबन्दिया कम्प्यूटराईज की गई हैं राजस्व रिकार्ड से छेडछाड से बचने के क्रम मे बार कोडिंग तथा बायो मैट्रिक सुझावो को सुरक्षा एवं सुरक्षा उपायो को अपनाने के लिए तहसीलो मे कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किये गये हैं तथा कम्प्यूटरो के माध्यम से अधिकारों के रिकॉर्ड की प्रतियां जारी करने का परिचालन आरम्भ कर दिया गया है।

(2) राजस्व रिकार्ड को आन लाईन अद्यलन करना बहुत दी उपयोगी होगा, जिसके परिणामस्वरूप जनता को विभिन्न राजस्व कर्मचारियों के बार–बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

(3) विभिन्न तहसीलों के कार्य को देखने तथा कर्मचारियो की गतिविधियो पर निगरानी रखने के लिए क्लोज टी०वी० सर्कट को स्थापित करना।

(4) तहसील में पंजीकरण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अर्थात् निष्पादको को, जब वे पंजीकरण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, क्रम संख्या/टोकन संख्या देना।

18. श्रम विभाग

(1) वर्ष 2006 में राज्य सरकार ने राज्य श्रम नीति शुरू की है, जिसके द्वारा अन्य नीति निर्णयो के अतिरिक्त विभिन्न स्तरों' पर कार्य के निपटान के लिए एक समय सूची के निर्धारण द्वारा विभिन्न श्रम कानूनो को लाग करने सम्बन्धी कार्य सुव्यवस्थित किए गए हैं।

(2) 1948 के फैक्टरी एक्ट के तहत आवेदन का पंजीकरण, लाईसैस देने तथा फैक्टरी भवन के नक्शे का अनुमोदन मुख्यालय की बजाय फील्ड के उपनिदेशक (आई०एस० एण्ड एच०) के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है।

(3) विभिन्न श्रम नियमो के अधीन कम्प्यूटराईज्ड वैधानिक रिकार्ड स्वीकार्य होगें तथा आवश्यकता के मुताबिक प्रारूप एव सूचना देने के लिए किसी भी उद्योग या वाणिज्यिक स्थापना के लिए मान्य होंगे।

(4) सूचना प्रोद्योगिकी एवं सूचना प्रोद्योगिकी योग्य बनाने वाली सेवाओं में रात्रि बारी (नाईट शिफट) के दौरान महिला कर्मचारियो को रोजगार तथा उनके अधिकारों की पर्याप्त सुरक्षा की शर्त पर।

19. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

(1) जन सेवा वितरण प्रणाली मे सुधार लाने तथा प्रशासकीय विभाग को बेहतर बनाने हेतु विभाग द्वारा हरियाणा समाज कल्याण पैंशन प्रक्रिया सूचना प्रणाली (एच०ए०पी०पी०आई०एस०) सोफ्टवेयर अपनाया गया है जो कि उपभोक्ताओ के अनुकूल है। कोई भी व्यक्ति आसानी से सभी प्रकार के विवरण वेबसाईट पर प्राप्त कर सकता है। हाल हई में, विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओ को उन्नत सोफ्टवेयर में अपलोड करने बारे कई कदम उठाये गये हैं।

(2) मुख्यालय के अधीनस्थ अधिकारियो तथा क्षेत्रीय अधिकारियो को वित्तीय एव प्रशासकीय शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि देरी से बचा जा सके और कार्य कुशलता मे सुधार किया जा सके।

(3) हरियाणा में समाज कल्याण के क्षेत्र मे कार्यरत गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओ की एक निदेशिका वर्ष 2006 मे प्रकाशित की गई हे।

20. अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

(1) वर्ष 2006 में इस विभाग द्वारा लागू की जा रही विभागीय सभी योजनाओं की एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है। इसमे जनता की सुविधा के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओ के सभी ब्यौरे शामिल हैं।

(2) सयुक्त निदेशक एवं मुख्य लेखा अधिकारी को विभिन्न वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई है ताकि देरी से बचा जा सके तथा कार्यकुशलता मे सुधार किया जा सके। 21. आवास विभाग

(1) निर्माण कार्य मे प्रयोग मे लाई गई सामग्री के परीक्षण के लिए परियोजनाओ के कार्य स्थल पर क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की गई।

(2) आवासीय योजनाओं के अलाटियो को शुरू से ही मकानो के निर्माण कार्य मे शामिल किया जा रहा है ताकि उनकी अधिक भागीदारी एव उपभोक्ताओ की संतुष्टि के लिए गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके।

(3) बड़ी हिस्सेदारी तथा उपभोक्ता सतुर्ष्टि को लिए गुणवत्ता नियत्रण को सुनिश्चित करने के लिए मकानो के निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था से ही आवास योजनाओं के अलाटियो को शामिल किया जा रहा है।

(4) अलाटियो के अवलोकनों तथा सुझावो को दर्ज करने के लिए स्थल पर एक रेजिस्टर रखा गया है। इससे कार्य के निष्पादन की गुणवत्ता मे सुधार हुआ है।

(5) सभी श्रेणियों के मकानो के लिए मुख्यालय स्तर पर हस्तांतरण पत्र विलेख तथा मकानों के स्थानान्तरण के निष्पादन

की शक्तियां फील्ड मे सम्बन्धित सम्पदा प्रबन्धको को प्रत्यायुक्त कर दी गई हैं।

(6) अलाटियो द्वारा अदा की गई अधिक राशि को वापिस करंने की शक्तिया मुख्यालय से फील्ड में कार्यकारी अभियन्ताओ को प्रत्यायुक्त कर दी गई है।

22. औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग

(1) कार्यकारी, वित्तीय, प्रबन्धकीय, स्वायत्तता उपलब्ध करवाने के लिए 41 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो को 29 समितियो मे परिवर्तित किया गया है। समितियो को सत्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रमो को आरम्भ करने, अपने कर्मचारियो को मानदेय देना तथा स्थानीय आवश्यकताओ के अनुरूप पाठ्यक्रम चलाने के लिए ठेके संबधी संकाय नियुक्त करने की व्यापक शक्तियां दी गई हैं (2006—07) मे सुधार प्रारम्भ किए गए)।

(2) 23 औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा संस्थानो का दर्जा बढ़ाने के लिए 13 .उद्योगो के साथ समझौता (एम०ओ०यू०) पर हस्ताक्षर किए गए, उनमे से कुछ बडी कम्पनियां जिन्होंने अपनाया वे हैं मैसर्ज मारुति उद्योग लिमिटेड, गुडगांव, मैसर्ज सोना कोयो स्टीरिंग सिस्टम लिमिटेड, गुड़गाव, मैसर्ज लिबर्टी फुटवियर लिमिटेड, करनाल. मैसर्ज जय भारत मारुति लिमिटेड, फरीदाबाद और इंडुकाम्प सोल्युशन लिमिटेड, नई दिल्ली है (सुधार 2006 — 07) मे शुरु किए गए)।

(3) Skill Development Initiative (SDI), डी०जी०ई० एण्ड टी० स्कीम, Moduls Employees Skill (MES) के तहत 22 moduls शुरू किए गए हैं। 15 मे बहुत से ट्रेडों में School drop-out की प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी हैं। 2394 प्रशिक्षु इस स्कीम के तहत प्रशिक्षण ले चुके हैं (सुधार 2006—07 से शुरू किया गया)।

(5) एक नई स्कीम जिसका नाम "Testing & Certification of workers in Informal Sector" है सी०आई०डी०सी० के सहयोग से शुरू की गई है। यह स्कीम लघु अवधि के प्रशिक्षण देती है, परीक्षा का सचालन करती है तथा अनौपचारिक क्षेत्र एवं उद्योगो में लगे उनके कुशल श्रमिको को, जिनके पास कोई औपचारिक शिक्षा तथा कोई तकनीकी अर्दता नहीं है, विभिन्न स्तरो के प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना! इस स्कीम के तहत 8934 व्यक्ति प्रमाणित किए गए हैं (सुधार 2006—07 से शुरू किया)।

23. स्वास्थ्य विभाग

(1) मेवात जिले में आउट सोरसिंग पोलिसी दिंनाक 1 — 9— 2006 वर्ग सी० एवं. डी० श्रेणियों तकनीकी/गैर तकनीकी कर्मचारियो के लिए लाग की गई है। वर्ष 2006— 07 के दौरान, 133 वर्ग—सी० एवं डी० श्रेणियो के पद तथा वर्ग — बी० श्रेणी के 15 पद तकनीकी गैर तकनीकी कर्मचारियो को आउट सोरसिंग पोलिसी द्वारा नियुक्त किए गए। पर्ग — सी० एवं डी० श्रेणी के 387

पद तकनीकी/गैर तकनीकी कर्मचारियों को मेवात सहित सम्पूर्ण राज्य मे आउट सोर्सिग पोलिसी द्वारा नियुक्त किए गए।

(2) विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओ की मुरम्मत तथा रखरखाव के लिए 10.00 लाख रुपये तक की राशि लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़के) से लिया गया तथा जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समितियों द्वारा करवाया जा रहा है।

24. विद्यालय शिक्षा

विद्यालय शिक्षा विभाग ने विस्तृत कम्प्यूटराईज पर्सनल सूचना प्रणाली को विकसित किया है, जिसमे माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियो के आई०डी० नम्बर दिये गये हैं और उनके विवरणो को कम्प्यूटराइज किया गया है।

25. वन विभाग

(1) विभाग ने वर्ष 2005 – 06 में समीक्षा प्रक्रिया तथा विभागीय वित्तीय नियमो (डी०एफ०आर०) का अद्यतन करना आरम्भ किया तथा वर्ष 2006 – 07 के दौरान राज्य सरकार को अपनी सिफारिश भेजी।

(2) विभाग ने अपने बजट नियमावली तथा सिविल सेवा नियमों के अद्यतन की प्रक्रिया भी आरम्भ की।

(3) विभाग ने वैबसाईट को अद्यतन बनाना जारी रखा। कार्य मे पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वैबसाईट पर वर्ष 2003

–04, 2004–05 तथा 2005 – 06 के पौधारोपण नक्शा (प्लानटेशन मैप्स) को डाला।

(4) गवनमैंट पब्लिक इन्टरफेस प्रारम्भ करने के लिए वन सरक्षण अधिनियम मामला आवेदकों के लिए उनके मामलो की स्थिति जानने के लिए वेबसाईट पर डाले गये थे।

26. आबकारी व कराधान विभाग

विभाग ने वर्ष 2006–07 के लिए अपनी नई आबकारी नीति आरम्भ की। नई आबकारी नीति जिसने दूसरी बातो के साथ–साथ आम जनता के लिए व्यापार प्रारम्भ किया। अनौपचारिक उत्पादन संघ बनाने की प्रतिक्रिया को समाप्त किया योग्य मूल्यो पर अच्छी शराब उपलब्ध कराई तथा शराब माफिया के समापन को सुनिश्चित किया।

2). कृषि विभाग

(1) कृषि विभाग ने 1– 1 – 2006 से प्रत्येक कीटनाशक/खाद/बीज निरीक्षक को कृषि कीटनाशक/खाद/बीजा/ निरीक्षक कृषि आदानो के नमूने भरते समय किसान क्लब के प्रतिनिधि को अपने साथ रखना।

(2) विभाग ने किसानो की कृषि सम्बन्धी समस्याओ के तत्काल समाधान के लिए निःशुल्क एस०एम० एस० सेवा वर्ष 2006– 07 से भी शुरू की है। किसान अपनी समस्या मोबाइल नं०

9915882026 पर अथवा एस०एम०एरन० भेज सकते हैं तथा उन द्वारा उठाए गये प्रश्नो का कृषि विभाग के विशेषज्ञो द्वारा 24—28 घंटो में जवाब दिया जाता है।

28. खाद्य एवं पूर्ति विभाग

(1) विभाग द्वारा आई०आई०एरर०एफ०एम० परियोजना को लागू किया। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य ओन लाईन कम्प्यूटराईज्ड नैटवर्क पर केन्द्रीय मूल में खाद्यान्न स्टाक पर समायोजित तथा विश्वसनीय आकड़े एकत्रित करना था।

(2) विभाग द्वारा बजट घटाने—बढाने पर (बी०एम० — 26 व 29) वैब एनैबिल्ड एप्लीकेशन सौफ्टवेयर विकसित किया तथा लागू किया।

29. सिविल विमानन विभाग

वर्ष 2006—07 के दौरान प्राईवेट सैक्टर आप्रेटर के सहयोग से हिसार हवाई पट्टी को उन्नत करने की प्रक्रिया आरम्भ की गई थी।

30. न्याय प्रशासन विभाग

(1) हरियाणा लीगल सैल, हरियाणा भवन, नई दिल्ली का कम्प्यूटरीकरण भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, उच्च न्यायालय तथा दिल्ली में स्थित अन्य स्थानीय न्यायालयो में उनके विवादों की नवीनतम स्थिति हेतू नेटवर्क पर

तुरन्त पहुंच के लिए सम्बन्धित विभागों को सुविधा देने के लिए शुरू किया गया था।

(2) हरियाणा राज्य अभियोजन विधिक सेवाए (ग्रुप–क) नियम, 1979 के निरसन के लिए तथा नये सेवा नियम बनाने के लिए मामला शुरू किया गया था। यह भी व्यक्त किया जाता है कि विद्यमान सेवा नियमो में निदेशक के पद के लिए कोई नियम नहीं थे। प्रस्ताव में यह प्रस्तावित किया गया है कि नये सेवा नियमों में निदेशक तथा अपर निदेशक के पद को भी शामिल किया जाये। यह राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा प्रस्ताव मंत्रि परिषद के सम्मुख उनके अनुमोदन के लिए रखा जाना सम्भावित है।

(3) सहायक लोक अभियोजको/लोक अभियोजकों द्वारा दोष सिद्धि की कितनी प्रतिशतता की गई, के बारे में नया कॉलम जोड़ने के लिए मामला शुरू किया है तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा तदानुसार वर्ष 2006–07 से आगे इसे वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो के फार्मो में शामिल किया जा चुका है।

31 सहकारिता विभाग

वर्ष 2006–07 के दौरान अल्पकालिक ऋण व्यवहार्य बनाने के लिए 2443 प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण एवं सेवा समितियो को समायोजित करके 590 प्राथमिक कृषि सहकारी

समितिया बनाई गई तथा भारत सरकार के आदर्श सहकारी समितियां अधिनियम 1991 के पैटर्न पर सहकारी समितियों के कार्यकरण को अधिक प्रजातान्त्रिक बनाने तथा रजिस्ट्रार सहकारी समितियां के नियन्त्रण को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2006–07 के दौरान हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 मे बडे संशोधन भी किये गये। दबावपूर्ण तरीको द्वारा वसूली अर्थात् किसानो की गिरफ्तारी सम्बन्धी अधिनियम के उपबंध को हटा दिया गया।

32. वित्त विभाग

वित्त विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियमों एवं हिदायतो से सम्बन्धित विभिन्न पुस्तके (WWW. finhry. gov.in) वित्त विभाग की वैबसाईट अर्थात पर पहले ही उपलब्ध करवाई जा चुकी है। विभाग ने अधिसूचना क्रमाक 474(2) 2003– 2 एफ०आर०, दिनांक 9–5–2006 केवल सामान्य भविष्य निधि नियमो को ही सरल नहीं बनाया गया बल्कि कार्यालय अध्यक्ष को वित्तीय शक्तियां भी प्रदान की गई। सामान्य भविष्य निधि अग्रिम/निकासी स्वीकृत करने की शक्तिया कार्यालय अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को सौंपी गई।